खण्ड-6, अंक-8
शुक्रवार, 24 ज्येष्ठ, शक संवत् 1924
(14 जून, 2002 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2002)

(खण्ड 6 में 8 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2003

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
प्रश्नोत्तर	1–47
पंचायत राज संशोधन अधिनियम की प्रतिलिपियाँ मा0 सदस्यों को उपलब्ध न कराये जाने पर आपत्ति ...	47–48
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा पाठ्यक्रम वैधता प्रमाण– पत्र हासिल न कर पाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	49
जनपद हरिद्वार के गूजर समुदाय के लोगों को आरक्षण देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	49
जनपद पौड़ी गढ़वाल के अशासकीय विद्यालयों में अध्यापकों के पदों को सृजित करने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	50
रुद्रप्रयाग में बस पार्किंग की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50
बद्रीकेदार मन्दिर समिति का गठन कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	50–51
उत्तरांचल के माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को तीन वर्षों से मानदेय भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
उत्तरांचल में लोक निर्माण विभाग द्वारा कृषकों को भूमि कटान, दबान के मुआवजे का शीघ्र भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	51
काष्ठ एवं लौह कला उत्पादक लि0 नथुवावाला रायपुर देहरादून द्वारा फैलाये जा रहे ध्वनि एवं प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	52
नगर निगम देहरादून द्वारा जन्म प्रमाण–पत्र जारी करने में विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	52
उत्तरांचल के वरिष्ठ सहायक वन संरक्षकों की उप निदेशक पदों पर तैनाती देने एवं उ0प्र0 के विकल्पधारियों को कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	52–53
नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं	53

विषय	पृष्ठ संख्या
द्वाराहाट में श्री पंकज वर्मा की हत्या के सम्बन्ध में ...	53–54
विधान सभा उपवेशन के दिनों में सभी मा0 सदस्यों के वाहन प्रवेश गेट के बाहर रोकने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	55
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत) ...	56–57
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	57–68
कुमाऊँ विश्वविद्यालय शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ, नैनीताल के फैक्स–पत्र के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	68–70
वर्ष 2002–2003 के लिए सदन की समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव ... (स्वीकृत) ...	70–71
उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 (पारित)	71–75
देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 (पारित)	75–77
पशुपालन मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प (स्वीकृत) ...	77–78
विधायकों को विधायक निधि के रूप में मिलने वाली विवेकाधीन विकास निधि को 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने के सम्बन्ध में (संयुक्त संकल्प) (अस्वीकृत) ...	79–84
विभागों से सूचनाओं के उत्तर न आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	84–87
हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ, 2004 में अस्थायी निर्माण के स्थान पर स्थायी निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में (संकल्प) (अस्वीकृत)...	87–91
उत्तरांचल राज्य के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए उद्योगों का जाल बिछाने के सम्बन्ध में (संकल्प) (अस्वीकृत)	91–95
उत्तरांचल में पंचायतों, नगरपालिकाओं तथा महानगर क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 40 तथा संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अनुरूप अनुच्छेद 243 (क) से 243 (य) (च) के प्रावधानों के अनुसार इसी सत्र में विधि बनाने के सम्बन्ध में (संकल्प) (अस्वीकृत) ...	96–103
सबके लिए शिक्षा योजना की भाँति प्रदेश में सबके लिए स्वास्थ्य योजना बनाकर प्रदेश के दूरस्थ एवं अरोवित क्षेत्रों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में (संकल्प) (अस्वीकृत) ...	103–106

विषय	पृष्ठ संख्या
कैलाश मानसरोवर यात्रा को धार्मिक यात्रा घोषित कर यात्रियों को यात्रा हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाय तथा सम्पूर्ण पैदल यात्रा मार्ग को विकसित किया जाय, पर प्रस्तुत संकल्प (चर्चा जारी)	106
उत्तरांचल राज्य में सामान्य जाति के नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाय, पर प्रस्तुत संकल्प (चर्चा जारी)	106—107
हरिद्वार में करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केन्द्र "हरि की पैड़ी" गंगा तट को पूर्णतया प्रदूषण से मुक्त रखा जाय, पर प्रस्तुत संकल्प (चर्चा जारी)	107
जनपद अल्मोड़ा में छावनी परिषद, रानीखेत के नागरिक क्षेत्र (सिविल एरिया) को नगरपालिका बनाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय, पर प्रस्तुत संकल्प (चर्चा जारी) ...	107
पौड़ी गढ़वाल की चार पट्टियों विचलाढांगू, मल्लाढांगू (द्वारीखाल) और तल्लाढांगू व मल्ला उदयपुर (यमकेश्वर) को मिलाकर अलग विकास खण्ड जाखणीखाल बनाया जाय, पर प्रस्तुत संकल्प (चर्चा जारी)	107
उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस करने के सम्बन्ध में, नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (चर्चा जारी) ...	108
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	108
जनपद देहरादून में कोटी में अरबों रुपयों की लागत से बने सिंचाई विभाग के भवनों की दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरबंस कपूर, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	108—109
[उत्त]रांचल राज्य लोक सेवा आयोग में परीक्षा नियंत्रक की स्थायी नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० नारायण सिंह जंतवाल, सदस्य विधान सभा, द्वारा दी गई नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	109
[मा]ननीय सदस्यों के उद्गार	110—114
[रा]ष्ट्रगान	114

''क''

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. '' अनिल नौटियाल
3. ''डा0'' अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डे
6. श्रीमती आशा देवी
7. ''डा0'' (श्रीमती) इन्दिरा ह्रदयेश
8. श्री उम्मेद सिंह मांघिला
9. '' काशी सिंह ऐरी
10. '' किशोर उपाध्याय
11. '' कौल दास
12. '' गगन सिंह
13. '' गणेश प्रसाद गोदियाल
14. '' गोपाल सिंह
15. '' गोबिन्द लाल
16. '' गोबिन्द सिंह कुंजवाल
17. '' चन्द्रशेखर
18. '' जोत सिंह
19. '' तसलीम अहमद
20. '' तिलक राज बेहड़
21. '' तेजपाल सिंह रावत
22. '' दिनेश अग्रवाल
23. '' नरेन्द्र सिंह भण्डारी
24. '' नव प्रभात
25. '' नारायण पाल
26. '' नारायण राम आर्य
27. ''डा0'' नारायण सिंह जंतवाल
28. काजी निजामुद्दीन
29. श्री प्रकाश पन्त
30. कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
31. ''डा0'' प्रताप बिष्ट
32. श्री प्रदीप टम्टा
33. '' प्रीतम सिंह
34. '' प्रीतम सिंह पंवार
35. श्री प्रेमानन्द महाजन
36. '' फूल सिंह बिष्ट
37. '' बलबीर सिंह नेगी
38. '' विजयपाल सिंह सजवाण
39. '' बिशन सिंह चुफाल
40. '' भगत सिंह कोश्यारी
41. '' मदन कौशिक
42. '' मंत्री प्रसाद नैथानी
43. '' महेन्द्र भट्ट
44. '' महेन्द्र सिंह माहरा (मद्दू भाई)
45. '' मातबर सिंह कण्डारी
46. '' मालचन्द
47. चौ0 यशवीर सिंह
48. श्री योगम्बर सिंह रावत
49. '' रणजीत सिंह
50. '' राम प्रसाद टम्टा
51. श्रीमती विजया बड़थ्वाल
52. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
53. '' शूरवीर सिंह
54. ''डा0'' शैलेन्द्र मोहन सिंघल
55. श्री शहजाद
56. '' साधू राम
57. '' सुबोध उनियाल
58. '' सुन्दरलाल मन्द्रवाल
59. '' सुरेन्द्र सिंह नेगी
60. ''डा0'' हरक सिंह रावत
61. श्री हरबंस कपूर
62. '' हरभजन सिंह चीमा
63. '' हरिदास
64. '' हरीश चन्द्र दुर्गापाल
65. '' हीरा सिंह बिष्ट
66. '' हेमेश खर्कवाल
67. '' त्रिवेन्द्र सिंह रावत
68. '' रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर

शुक्रवार, दिनांक 14 जून, 2002 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

शिक्षा विभाग में एल0टी0 एवं प्रवक्ता के पदधारियों को राजपत्रित पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में

**1–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विभाग में कार्यरत एल0टी0 एवं प्रवक्ता वेतनक्रम के अध्यापकों को अधीनस्थ राजपत्रित पदों से श्रेणी दो राजपत्रित पद पर पदोन्नति दिए जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

जी हाँ।

प्रश्न 'नहीं उठता।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, ये उस श्रेणी में नहीं आते जो गुड़ देने की बात करते हैं, गुड़ खिलाने वाले भी हैं। तो इसमें कहा है कि एक हमारा प्रमोशन, प्रोन्नति देने का विचार है, ठीक है और इस प्रश्न का आशय और गम्भीरता भी आप समझते हैं, वह यह है कि हमारे तमाम सारे इण्टर कालेज, हाई स्कूल प्रधानाध्यापकों और प्रधानाचार्यों के बिना ही चल रहे हैं। शिक्षण कार्य व्यवस्थित ढंग से नहीं हो रहा है और इधर सरकार प्रोन्नति नहीं कर रही है, सरकार कहती है कि न्यायालय में वाद लम्बित है। मान्यवर, अगर यह करने जा रहे हैं तो कब तक और इसकी नीति भी स्पष्ट करें?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, प्रोन्नति का जो हमारा मामला है, इसमें 50 प्रतिशत तो सीधी भर्ती से होते हैं और 50 प्रतिशत पदोन्नति से होता है। सीधी भर्ती तो कमीशन की पोस्टें हैं, वह उसी से होता है। जहाँ तक 50 प्रतिशत प्रोन्नति की बात है, इसमें हमने जिनकी चरित्र–पंजिका थी, उनको कर दी है और जिनकी उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें हम मँगवाने का कार्य कर रहे हैं, और बल्कि हमने कुछ कर भी दी हैं और अभी भी जितनी पदोन्नति होनी है, हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक, उनको हमने निर्देश दे दिए हैं और इस समय करीब–करीब मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सत्र से पूर्व जितने भी प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं, उनको पूर्ण कर देंगे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अतिशीघ्र कहा है, मैं इसे अतिशीघ्र ही समझूँगा। इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है, आप जान रहे हैं कि 50 प्रतिशत की जो सीधी भर्ती की प्रक्रिया है, वह काफी लम्बी प्रक्रिया है, जबकि प्रोन्नति द्वारा पद भरने की जो प्रक्रिया है, उसमें शीघ्रता होती है। दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ जब आप नीचे से प्रमोशन कर देंगे, तो उससे नीचे के पद खाली हो जायेंगे, तो आपको नीचे के पदों पर भर्ती करने का अवसर मिलेगा ? इसे कब तक करेंगे ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यही हमारी भावना भी है कि हम प्रमोशन से पदों को भरें और उससे जो नीचे के पद खाली होंगे, उसमें नई भर्ती की जा सके। हम इसमें एडहाक प्रमोशन की बात कर रहे हैं, ताकि पद भी भरे जा सकें और नीचे के पद भी खाली हो जाएं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि एल0टी0 एवं प्रवक्ता वेतनमान क्रम के कितने अध्यापक हैं ? कितने अध्यापकों की चरित्र पंजिका आ चुकी है और कितनों की शेष रह गई है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इसके पूरे आँकडे मेरे पास नहीं हैं। मैं माननीय भट्ट जी को बाद में यह जानकारी उपलब्ध करा दूँगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सूचना सदन को चाहिए।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इसे सदन को बँटवा दिया जाएगा।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न था कि कितनों की चरित्र पंजिका आ चुकी है और कितनों की आनी शेष है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, इसकी पूरी सूचना अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसे देखना पड़ेगा।

हिल्ट्रान में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में

**2–''डा0'' नारायण सिंह जंतवाल–

क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि हिल्ट्रान में कार्यरत कुल 145 अधिकारियों/कर्मचारियों को विगत सात माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है ?

क्या यह सत्य है कि राज्य बनने के बाद इस निगम के पास कोई भी कार्य नहीं है ?

क्या सरकार इन कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु कोई योजना बना रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

वर्तमान में हिल्ट्रान में 140 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। जिसमें से 12 कर्मचारी सचिवालय से सम्बद्ध हैं तथा 6 अधिकारी/कर्मचारी अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर हैं। अभी हिल्ट्रान में कुल 122 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। अधिकतर कर्मचारियों को माह जनवरी, 2002 का वेतन माह अप्रैल, 2002 में अवमुक्त कर दिया गया है। यह प्रयास रहता है कि निगम को आमदनी प्राप्त होते ही कार्मिकों के वेतन का निस्तारण प्राथमिकता पर कर दिया जाए।

जी नहीं।

निगम द्वारा वर्तमान में कम्प्यूटर हार्डवेयर आपूर्ति/वैकल्पिक ऊर्जा उपकरणों की आपूर्ति/कम्प्यूटर शिक्षण व प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है।

हिल्ट्रान में पुनः ऊर्जान्वित करने के लिए योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इससे वेतन आदि की समस्या का समाधान हो जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता।

''डा0'' नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, जैसा कि विदित है कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए हिल्ट्रान की 1985 में स्थापना हुई थी। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक की व्यापक संभावनाएं हैं। पहला मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि हिल्ट्रान की असफलता के क्या प्रमुख कारण रहे हैं। क्या प्रबन्धन में तकनीकी ज्ञान की कमी थी या फिर भ्रष्टाचार के कारण ऐसा हुआ है ? मान्यवर, प्रारम्भ से ही इसका मुख्यालय भीमताल में स्थापित करने की बात थी, परन्तु कुछ अधिकारियों के कारण इसका मुख्यालय पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आ पाया। इस सम्बन्ध में सरकार का शासनादेश भी हो गया है। क्या इसका मुख्यालय भीमताल में कार्य कर रहा है ? यदि नहीं तो कब तक भीमताल में इसका मुख्यालय कार्य करना प्रारम्भ कर देगा ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हिल्ट्रान का कार्यालय भीमताल में स्थानान्तरित किया जा चुका है। पंजीकृत करने हेतु विधिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जहाँ तक माननीय सदस्य के दूसरे प्रश्न का सवाल है, यह सही है कि हिल्ट्रान की स्थापना 1985 में हुई थी। इलेक्ट्रॉनिक

क्षेत्र में और अधिक प्रगति करने के लिए विभिन्न कम्पनियों के साथ इन्वेस्टमेन्ट किया गया जो लगभग 279.48 लाख रु0 है, जो लगभग अभी उन पर बकाया है। जिससे बहुत बड़ी राशि हिल्ट्रान की इसमें डूब गयी। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जो प्रगति होती रही उसके अनुरूप हम अपने को ढाल नहीं पाए, यह भी एक कारण है। सरकार इस बारे में गम्भीर है। 140 अधिकारी/कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है, उत्तर में भी मैंने कहा है कि यह विचाराधीन है, कि इसको कैसे रिवाइज किया जाय, जैसे ही इस पर कुछ होगा मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करा दूँगा।

"डा0" नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि निगम द्वारा वर्तमान में कम्प्यूटर हार्डवेयर आपूर्ति/वैकल्पिक ऊर्जा उपकरणों की आपूर्ति, कम्प्यूटर शिक्षण व प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। यदि वास्तव में कार्य किया जा रहा है, तो माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हिल्ट्रान द्वारा जो उपकरण बनाये जा रहे हैं या आपूर्ति किए जा रहे हैं, तो हमारे जो राज्य सरकार के कार्यालय हैं, उनमें कितनी राशि के उपकरणों की आपूर्ति की गई है या हिल्ट्रान से खरीदे गये हैं ? दूसरा जैसा कि माननीय मंत्री जी ने पहले उत्तर दिया है कि अधिकतर कर्मचारियों को माह जनवरी, 2002 का वेतन दे दिया गया है, तो माननीय मंत्री जी वेतन देने के लिए समय सीमा निर्धारित करेंगे ?

माननीय अध्यक्ष जी, एक प्रश्न और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हिल्ट्रान को ऊर्जान्वित करने के लिए क्या योजना बनाने वाले हैं ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हिल्ट्रान के कर्मचारियों के वेतन के बारे में मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि निगम को आमदनी प्राप्त होते ही कार्मिकों के वेतन का निस्तारण प्राथमिकता पर कर दिया जायेगा। मान्यवर, दूसरे सवाल के जवाब में बताना चाहता हूँ, कि कम्पनी में जो स्टाफ है वह अभी वहीं है। मान्यवर, हिल्ट्रान के कर्मचारियों के लिए जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसमें 43 सेन्टर में सर्विस दे रहे हैं और 22 सेन्टर उत्तर प्रदेश में और 2 सेन्टर हरियाणा में हैं। मान्यवर, मैंने सदस्य को अवगत कराया कि हिल्ट्रान में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका समय से भुगतान हो सकता है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य के प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने बताया कि हम हिल्ट्रान के ऊर्जाकरण का कार्य कर रहे हैं और आपने कहा कि जब सम्भव होगा तब हम कर्मचारियों को वेतन देंगे। मान्यवर, इसका मतलब है कि जब आमदनी होगी तब वेतन दिया जायेगा। लेकिन, आमदनी कब होगी ? मान्यवर, आप प्राइवेट कम्पनियों से और दूसरे से कम्प्यूटर खरीद रहे हैं, तो हिल्ट्रान के पास आमदनी कहाँ से आयेगी? मान्यवर, अगर सरकार गम्भीर है, तो सरकार ने हिल्ट्रान में कितने का आर्डर दिया है? माननीय मंत्री जी आप सदन को सूचना देकर अवगत कराने की कृपा करें। मान्यवर, आपने कहा कि वहाँ 140 कर्मचारी हैं और 140 में से 12 तो सचिवालय से सम्बद्ध हैं और 8 प्रतिनियुक्ति में हैं। इसका मतलब तो यह हुआ कि जिसका जोर था

वह तो सम्बद्ध हो गए और जो गरीब थे, जिनका जोर नहीं था, वह रह गए। मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, इस पर आपको कार्यवाही करनी चाहिए। मान्यवर, मैं यह भी पूछना चाहता हूँ, कि जो कर्मचारी हिल्ट्रान से भाग रहे हैं, उनको विश्वास में लाने के लिए आप कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, हिल्ट्रान उपकरण नहीं बना रहा है। वह मात्र आपूर्ति और सर्विस का काम कर रहा है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूँगा कि शिक्षा विभाग में हिल्ट्रान के माध्यम से ही कम्प्यूटर आदि की आपूर्ति की जा रही है, जिसमें अभी तक 6.7 करोड़ रुपये की आपूर्ति हुई है और हिल्ट्रान मैन्यूफैक्चरिंग नहीं कर रही है और न ही उसका इरादा है, जहाँ तक हिल्ट्रान के कर्मचारियों के सम्बद्धिकरण की बात है, मैंने पहले भी कहा है कि इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जैसा भी होगा मैं आपको अवगत करा दूँगा, मामला विचाराधीन है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हिल्ट्रान, उत्तरांचल के उद्योगों की क्या दुर्दशा है, यह दर्शाता है। यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है, इसमें टाल–मटोल नहीं होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने अभी यह कहा है, इसका कार्यालय उत्तरांचल के भीमताल में शिफ्ट कर दिया है, मान्यवर, कार्यालय का मतलब कोई टूटी–फूटी बिल्डिंग नहीं होती है, अगर ये कम्पनी वहाँ शिफ्ट हो गयी है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ, इसका प्रबन्ध निदेशक किस बिल्डिंग में बैठ रहा है और इसमें कितने कर्मचारी हैं? वर्तमान में इसमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और इसका प्रबन्ध निदेशक कहाँ बैठ रहा है? तथा जो कर्मचारी लखनऊ में बैठे हैं, क्या उनको फिर से बुलाने का कष्ट करेंगे? मान्यवर, ये मैं, आपसे जानना चाहता हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, यह मामला कम्पनी ला बोर्ड में दर्ज है। इसका निर्णय अभी होना बाकी है। इसका लखनऊ में मात्र एक कर्मी है, जो वाणिज्य मामलों के लिए रखा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपका उत्तर स्पष्ट नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी अपना उत्तर कृपया स्पष्ट कर दें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आपको बता दूँ कि केवल एक कर्मचारी को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारी उत्तरांचल आ गये हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वर्तमान में इसके कुल कितने कर्मचारी उत्तरांचल में हैं? इसकी पूरी जानकारी दें।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं कई बार कह चुका हूँ, इसका केवल एक कर्मचारी लखनऊ में है।

शेष उत्तरांचल के पिथौरागढ़, टिहरी, मुनि की रेती तथा देहरादून में हैं। कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है, मैं आपको बाद में बता दूँगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जो प्रति वर्ष 16 करोड़ रुपये का घाटा होता है, इसकी पूर्ति कैसे करेंगे? दूसरा, आज से 10 वर्ष पूर्व, हिल्ट्रान ने एक दिल्ली की कम्पनी को 6 लाख 88 हजार का ड्राफ्ट भेजा था, वहाँ से आज तक सुई का तागा तक नहीं आया। एक निवेदन और है, हिल्ट्रान ने लखनऊ की कम्पनी को दो हजार घड़ियाँ रिपेयर करने को भेजी थीं, वह आज तक वापस नहीं आयीं, हिल्ट्रान ने कहा कि हमारी घड़ियाँ वापस दे दें, तो उन्होंने कहा, हमारा किराया दे दीजिए। क्या माननीय मंत्री जी इसके निस्तारण के लिए कुछ करेंगे? मान्यवर, हिल्ट्रान द्वारा लखनऊ में दुकानदारों तथा फर्मों को एक करोड़ अठ्ठासी लाख रुपये की सामग्री दे दी, जब उसको वसूल करने की बारी आयी तो वह कह रहा है, कि हमने सामान लिया ही नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, कि कितना पैसा है, क्या वास्तव में दुकान को सामान दिया गया था, तो पैसा वसूल क्यों नहीं हो रहा है, उसके लिए कौन दोषी है? इससे हमारे उत्तरांचल को भारी नुकसान हो रहा है। इन तीन चार बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही करेंगे और दोषी लोगों को दण्डित करेंगे?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, जो 16 करोड़ का घाटा बताया, वह पिछले दो साल का है, वर्ष 1998–1999 में 68 लाख का घाटा है। 2001–2002 में वह 47 लाख का है। दूसरा जो आपने कहा कि दो हजार घड़ियाँ लखनऊ से वापस नहीं आयीं और 6 लाख 88 हजार के ड्राफ्ट का क्या हुआ, 1.88 लाख लखनऊ में दुकानों को दिया गया है, वह वापस नहीं हुआ, उसके बारे में कहना चाहता हूँ, निश्चित रूप से इसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं, फिर आप 16 महीने में नहीं कर पाये, तो हम तीन महीने में कहाँ कर पायेंगे। जितने भी इस प्रकार के मामले हैं, उन पर कड़ा रुख अपनाया जाएगा, निश्चित रूप से पैसा वापस लाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ, कि हमारे आई0टी0आई0 में सारे पद खाली हैं, जो हमारे 45 कर्मचारी हैं, क्या उनको सम्बद्ध करेंगे ?

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि यह अभी विचाराधीन है, सबसे पहले अभी तो इस योजना को रूप दिया जा रहा है, उसमें बिन्दु है, जिस पर विचार हो जायेगा और भी कई हैं, हिल्ट्रान सरकारी क्षेत्र है, यह भी इसमें एक बिन्दु है।

तारांकित प्रश्न

सरकार द्वारा बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के सम्बन्ध में

*1–श्री मदन कौशिक–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

सरकार बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार नहीं कर रही है। सरकार बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के सम्बन्ध में अन्य विकल्पों को उचित समझती है, बेरोजगारों के हित में शासन/विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योग सेवा एवं व्यवसाय से सम्बन्धित विभिन्न स्वतः रोजगार की योजनाएं संचालित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस समय रोजगार कार्यालयों में कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं? वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया और उसमें से कितने लोगों को रोजगार कार्यालयों से नाम लेकर रोजगार दिया?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

श्रीमन्, मेरे जो विद्वान साथी ने प्रश्न किया, इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी मैं उनकी जानकारी के लिए उपलब्ध आँकड़ों के हिसाब से बताना चाहता हूँ, कि हमारे यहाँ कुल तीन लाख तेरह हजार छः सौ उन्तीस बेरोजगारों का, रोजगार कार्यालयों में रजिस्ट्रेशन है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कितने लोगों को रोजगार दिया ? उन लोगों में से जिन्होंने रोजगार पाया, वे क्या सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत थे? मूल प्रश्न से ही सम्बन्धित है, अलग नहीं है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

श्रीमन्, आपका संरक्षण चाहता हूँ, प्रश्न जो पूछा गया, वह यह है कि क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे, कि सरकार बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो कब तक? जो सवाल पूछा जा रहा है, वह बिल्कुल अलग है। इसको अलग से लगा लें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि जिलों में जो रोजगार कार्यालय है, वहाँ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? पंजीकृत होने के जो नियम हैं, उनके विपरीत पंजीकरण हो रहे हैं। उसमें सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हरिद्वार जिले में भर्ती के समय जो बेरोजगार पंजीकृत हुए थे, उनको रोजगार नहीं दिया गया बल्कि जो उत्तर प्रदेश से लोग आए थे, उनको भर्ती किया गया। क्या इसके खिलाफ सरकार ने कोई कार्यवाही की ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य को फिर जानकारी देना चाह रहा हूँ कि मूल प्रश्न से इसका कोई मेल नहीं है। फिर भी आप जानकारी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से बता दूँ, ऐसा आपके शासनकाल में हुआ था। जैसे ही इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई, सम्बन्धित कर्मचारियों को सस्पैंड कर दिया गया।

श्री गणेश प्रसाद गोदियाल–

मान्यवर, आपने सत्ता पक्ष के विधायकों को समय दिया। इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि वर्तमान में भारत सरकार और प्रदेश सरकार के संयुक्त प्रयास से कुल 13 स्वतः रोजगार की योजनाएं चालाई जा रही हैं, जिनके नाम निम्न प्रकार हैं–

1. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना।
2. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना।
3. सुनिश्चित रोजगार योजना।
4. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना।
5. प्रधानमंत्री रोजगार योजना।
6. बहु उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र–खादी एवं ग्रामोद्योग।
7. पर्यटन के क्षेत्र में स्वतः रोजगार योजनाएं।
8. नगरीय दुर्बल आय उन्मूलन योजना।
9. जिला खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित योजनाएं।
10. मत्स्य पालन योजना।
11. सघन मिनी डेरी योजना, उत्तरांचल।
12. महिला उत्थान योजना।

13. स्वर्ण शहरी रोजगार योजना।

इन योजनाओं से हजारों बेरोजगारों को रोजगार मिलता है।

श्री महेन्द्र भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए परीक्षार्थियों को दूर–दराज के स्थानों से जाना पड़ता है, तो क्या सरकार इन परीक्षार्थियों को ट्रैवलिंग एलाउन्स देने की कोई योजना बना रही है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, ऐसी किसी योजना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, कितने लोगों को वास्तव में रोजगार मिल पाएगा, इसके बारे में शायद मंत्री जी भी न बता पाएं। मैं माननीय मंत्री जी से एक लोक महत्व का प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिन बेरोजगारों को बैंकों से ऋण दिया जाता है, क्या ऋण दिलाने की पद्धति में सरकार कोई सरलीकरण करेगी? क्योंकि ऐसा होता है कि जिन व्यक्तियों को ऋण दिया जाता है, उनको बैंकों के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, इस सम्बन्ध मे जैसा आप चाह रहे हैं, हम भी वही चाह रहे हैं। हमारे माननीय नेता सदन ने 3 बार बैंकों के साथ बड़ी मीटिंग की है, मैं भी उस मीटिंग में शामिल था। माननीय नेता सदन ने बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस सम्बन्ध में सरलीकरण किया जाए।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पर्यटन स्थल देवरियाताल को विकसित करने के सम्बन्ध में

*2–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे, कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल देवरियाताल को विकसित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो प्रस्तावित योजना का स्वरूप क्या है ?

पर्यटन मंत्री, (श्री तेजपाल सिंह रावत)–

देवरियाताल का सम्पूर्ण क्षेत्र, वन क्षेत्र के अन्तर्गत है। इस परिप्रेक्ष में पर्यटन विभाग द्वारा देवरियाताल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किए जाने हेतु कोई योजना तैयार नहीं कराई गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती आशा नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न में पूछा था कि प्रसिद्ध पर्यटक स्थल देवरियाताल को विकसित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? जवाब आया कि कोई योजना तैयार नहीं कराई गई है। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या कोई योजना बनाने पर सरकार विचार कर रही है, ताकि देवरियाताल को विकसित किया जा सके ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, पर्यटन विभाग द्वारा देवरियाताल को विकसित करने के लिए न कोई योजना बनाई गई है और न ही कोई योजना बनाई जा रही है। मेरे संज्ञान में आया है, चूँकि यह सम्पूर्ण क्षेत्र वन क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, इसलिए वन विभाग द्वारा, इको टूरिज्म के सहयोग से वायु चेतना केन्द्र की स्थापना वहाँ पर की जा रही है।

श्रीमती आशा नौटियाल–

मान्यवर, इसके विकास के लिए क्यों न वन विभाग को ही धन अवमुक्त कर दिया जाए ?

वन मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, माननीय सदस्या को मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि इको टूरिज्म पर्यटन का एक नया रूप है, जो सामने आ रहा है और चूँकि ऐसे स्थल यहाँ पर बहुत से हैं और वहाँ पक्का निर्माण करने या अन्य किसी दृष्टि से कार्य करने के लिए पहले केन्द्र सरकार तक की आज्ञा लेनी पड़ती है, इसलिए इको टूरिज्म के आधार पर कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है और अभी कुछ दिन पहले केन्द्रीय पर्यटन मंत्री जी यहाँ थे और उनके यहाँ आने का मुख्य मकसद यही था और इस सम्बन्ध में जो भी होगा उससे हम अवगत करा देंगे।

श्री गणेश प्रसाद गोदियाल–

मान्यवर, पर्यटन मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पर्यटन का ध्रुवीकरण हो चुका है और गढ़वाल मण्डल में हरिद्वार से बद्रीनाथ तक का क्षेत्र पर्यटन में सीमित रखा गया है, जब कि कुमाऊँ मण्डल में नैनीताल सीमित है। क्या अन्य जगहों पर भी बढ़ाया दिया जा रहा है, जिससे कि सुदूर ग्रामीण अंचलों में भी विकास हो सके, क्या इस सम्बन्ध में कोई योजना है ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, पर्यटन के माध्यम से कई इलाकों में हमारा पर्यटन-प्लान बन चुका है और इस बजट में भी ऐसे कई इलाके हैं जो ग्रामीण इलाके हैं, लेकिन इनकी लिस्ट हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, मैं माननीय सदस्य को अलग से जानकारी दे दूँगा कि कहाँ-कहाँ पर यह हो रहा है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पर्यटन बहुत अहम् सवाल है, यहाँ उत्तरांचल का, इसलिए अभी जब माननीय सदस्या का उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे थे, तो वन मंत्री जी ने कहा कि हम देवरियाताल में बना रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल के जो छिपे हुए टूरिज्म प्लेस हैं, जहाँ हम अभी पहुँच नहीं सके हैं, उनको खोजने का कार्य वन–विभाग कर रहा है या पर्यटन विभाग ? मान्यवर, दूसरा यह कि क्या पर्यटन मंत्री और वन मंत्री जी का आपस में कोई तालमेल है कि कौन से हम ढूँढ़ेंगे और कौन से आप ? इस स्तर पर कोई कमेटी या हिडेन प्लेस को खोजने की कोई योजना है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सरकार के हर विभाग के अन्दर पूर्ण तालमेल है, क्योंकि इको टूरिज्म एक नई किस्म की परियोजना है और वास्तव में मैं कहूँ, तो इसमें क्या–क्या सम्भावनाएं हैं, इसकी केवल हमारे राज्य में ही नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर कुछ न कुछ नया प्रयोग रोज हो रहा है। किसी होटल से इसका सीधा सम्बन्ध नहीं है, बल्कि लोगों में जागरूकता पैदा करने से भी है। चूँकि पर्यटन–विभाग, पर्यटन–क्षेत्र में प्रचार–प्रसार का कार्य करता है, तो निश्चित रूप से इसमें सामंजस्य स्थापित करके ही कार्य किया जाएगा और हमने अभी जो सेमिनार किया है, केन्द्रीय मंत्री जी के साथ, उसके अनुपालन में योजनाओं की तैयारी के साथ–साथ यदि आवश्यकता होगी, तो कमेटी का भी गठन होगा।

श्री अनिल नौटियाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जनपद चमोली में कितने स्थानों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है ? मान्यवर, बेनीताल में 60–70 वर्ष पुराना एक पर्यटक स्थल है, क्या इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना प्रस्तावित है ?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने सुझावों से हमें अवगत करा दें, उसमें जितना भी सम्भव होगा, कार्यवाही की जायेगी।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जैसा कि भारत में पिछले कुछ वर्षों से देखने में आ रहा है, हैरीटेज टूरिज्म, तो क्या इसे आगे बढ़ाने की कोई योजना बनाई गई है ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, इसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है और जैसे ही इस पर कोई निर्णय लिया जायेगा, तो उससे माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जायेगा।

श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, नंदा देवी राज जात यात्रा की योजना बनी थी। यह एक बड़ा पैदल मार्ग है। इस यात्रा में देश–विदेश के पर्यटक पहुँचते हैं। मान्यवर, इस यात्रा में बैराज कुंड, राम कुंड कुछ ऐसे स्थान हैं, जिन्हें हम पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकते हैं, क्या इसके लिए कोई योजना बनाई गई है ? मान्यवर, ऋषिकेश में कॉलेज के पास एक झील है, इसके लिए राशि प्रस्तावित की गई थी, वह कितनी राशि थी ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, जितने भी हमारे टूरिस्ट स्थल हैं, उनका एक सर्वे कराया जा रहा है, इसमें देखा जायेगा कि ऐसे कितने स्थान हैं, जिन्हें पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। सभी सुझावों पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या चार धाम यात्रा की कार्ययोजना में बूढ़ा केदार को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करने की व्यवस्था की गई है ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

मान्यवर, चार धाम यात्रा के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हरिद्वार से लेकर 4 धाम तक कंसल्टेंश यात्रा पर विचार कर रहे हैं, जो बीच के इलाके हैं, उन्हें विकसित करने पर भी विचार किया जायेगा।

श्री बलवीर सिंह नेगी–

मान्यवर, प्रश्न का जवाब स्पष्ट नहीं है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिए हैं, इस पर विचार किया जायेगा।

उत्तरांचल राज्य परिवहन निगम के गठन तथा परिसम्पत्तियों के बँटवारे के सम्बन्ध में

*3–श्री प्रकाश पंत एवं श्री गणेश प्रसाद गोदियाल–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे, कि उत्तरांचल राज्य परिवहन निगम का गठन कर लिया गया है तथा परिवहन निगम की परिसम्पत्तियों का बँटवारा किया जा चुका है ?

यदि हाँ, तो विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

उत्तरांचल राज्य में अभी परिवहन निगम का गठन नहीं किया गया है तथा परिसम्पत्तियों का बँटवारा भी नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि इस सरकार को गठित हुए तीन महीने हो गए हैं, परन्तु अभी तक परिवहन निगम का गठन नहीं हुआ है और दूसरा परिसम्पत्तियों का बँटवारा नहीं हुआ है, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, पिछली सरकार ने एक लाम्बा समिति गठित की थी और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है और सी0आई0आर0टी0 पूना जो कि एक केन्द्र सरकार की संस्था है, जिससे सारे प्रदेश की सरकारें राय लेती हैं, जैसे ही परीक्षण हो जायेगा उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी। लाम्बा समिति की जो रिपोर्ट आयी है, उसका भी परीक्षण कराया जा रहा है। औपचारिकताएं हमने पूरी कर ली हैं और जैसे ही इसका परीक्षण पूरा हो जाएगा, हम तत्काल निगम का गठन करके परिसम्पत्तियों के बँटवारे की दिशा में आगे कार्य करना शुरू कर देंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, रिपोर्ट का परिसम्पत्तियों से क्या सामन्जस्य है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, कारपोरेशन गठित हुए बिना परिसम्पत्तियों के बँटवारे का कोई औचित्य नहीं है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, लाम्बा समिति की रिपोर्ट, जब यह सरकार बनी थी, वह रिपोर्ट अधूरी लगी। इसलिए पुणे वाली रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। मैंने स्वयं स्थानीय स्तर पर के0एम0ओ0यू0 तथा जी0एम0ओ0यू0 तथा विभिन्न ट्रांसपोर्ट संघों से दो बार बैठक करके इस सम्बन्ध में प्रयास किया और बहुत अच्छे सुझाव आए हैं।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि रिपोर्ट मई के अन्तिम सप्ताह में आ गयी थी, तो उस रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु क्या थे ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, जैसा कि हमने पहले कहा, कि इसका परीक्षण कराया जा रहा है। मैंने मोटे–मोटे तौर पर इसके दो–चार पेज देखे। अधिकारियों की टीम इस पर वर्क कर रही है, इसमें जो अच्छे सुझाव होंगे, उसके आधार पर हम एक नई व्यवस्था गठित करेंगे।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, परिवहन निगम के गठन का मामला है और माननीय मंत्री जी इसको बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं। निगम और परिसम्पत्तियों के बँटवारे का मामला है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ, कि सी0आई0आर0टी0 पुणे की रिपोर्ट में क्या–क्या प्रमुख बिन्दु थे ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मुझे रिपोर्ट को सदन में रखने में कोई आपत्ति नहीं है। जब निगम ही नहीं है, तो परिसम्पत्तियों के बँटवारे का कोई औचित्य ही नहीं है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी भिज्ञ हैं। आज पूरे प्रदेश में आप चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, ज्यादातर बसें मानक पाँच लाख कि0मी0 के मानक से ऊपर चल चुकी हैं और किसी न किसी रास्ते में बसें खड़ी मिलती हैं, उसमें दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। माननीय मंत्री जी से परिसम्पत्तियों के बँटवारे के सम्बन्ध में अपनी कठिनाइयाँ बता दी।

मान्यवर, हमारी चिन्ता है कि अभी तक परिसम्पत्तियों का बँटवारा नहीं हो पाया है। मान्यवर, डेढ़ साल से जो पैसा देने वाला विभाग है, उसका भी बँटवारा नहीं हो पाया है। मान्यवर, परिवहन का पैसा उत्तर प्रदेश जा रहा है और गाड़ियों के रख–रखाव के लिए आपके पास पैसा नहीं है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश नई बसों को खरीद कर दे रहा है, लेकिन एक भी बस यहाँ नहीं आई है। मान्यवर, आप उत्तर प्रदेश से कहेंगे कि पैसा हमको दें, ताकि हम बसों का रख–रखाव कर सकें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं माननीय ऐरी जी की चिन्ता का सम्मान करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि परिवहन का पैसा उत्तर प्रदेश जा रहा है और कन्ट्रोल भी उनका है। मान्यवर, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं, जिससे दोनों राज्यों के बीच में मन–मुटाव हो। मान्यवर, यह विवाद का विषय है, हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि हम इसमें दिखा रहे हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं।

काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि हमारे मंगलौर क्षेत्र में परिवहन की बसें नहीं रुकती हैं जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, क्या इसकी शिकायत मुझे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से करनी पड़ेगी।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

माननीय सदस्य की चिन्ता को देखते हुए मैं आज ही आदेश दे दूँगा कि मगलौर में बसें रुका करें।

श्री गणेश प्रसाद गोदियाल–

मान्यवर, उत्तराखण्ड में जो सी0आई0आर0पी0 या जो भी नियुक्ति होती हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप अपना प्रश्न पूछिये।

श्री गणेश प्रसाद गोदियाल–

मान्यवर, हमारे यहाँ जो बसें चलती हैं उनको चलाने वाले हम लोग हैं, तो क्या हम लोग उसके लिए कोई नई नीति नहीं बना सकते हैं ? इस तरह से दूसरों से कब तक कहेंगे। अगर ऐसा ही है तो जो अग्निकाण्ड हुआ है, उसके लिए तमिलनाडु या अन्य किसी प्रदेश की कमेटी गठित करनी चाहिए।

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि सरकार ने इन तीन महीनों में क्या किया है, हम रिजल्ट चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार ने अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की है। अभी तक परिसम्पत्तियों का बँटवारा नहीं हुआ है। क्या उत्तरांचल में जो परिसम्पत्तियाँ हैं, वे ज्यादा हैं ? यदि नहीं हैं, तो इन परिसम्पत्तियों का बँटवारा होना चाहिए। यदि परिसम्पत्तियों का बँटवारा 5 साल बाद होता है, तो इससे हमें हानि होगी।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की। जो रिपोर्ट है, वह एडवाइजरी रिपोर्ट है। जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को सूट करेगी, उसी के अंश लेंगे।

श्रीमती आशा नौटियाल–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहती हूँ कि वर्तमान में उत्तरांचल में कितनी परिवहन निगम की बसें चल रही हैं और कहाँ–कहाँ चल रही हैं ? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि देहरादून से ऊखीमठ के लिए एक बस चलाई जाय, ताकि पर्यटन स्थल देवरियाताल जाने में पर्यटकों को असुविधा न हो।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

माननीय सदस्या का प्रश्न आँकड़ों पर निर्भर है। मैंने परसों ही आपको जानकारी दी थी, फिर भी बता दूँ, अभी तक 1059 बसें रन कर रही हैं तथा कुछ बसें कण्डम हो गयी हैं।

श्रीमती आशा नौटियाल–

मान्यवर, ये बसें कहाँ–कहाँ चल रही हैं?

श्री हीरा सिंह बिष्ट--

मान्यवर, ये बसें उत्तरांचल के सभी जनपदों के राष्ट्रीयकृत राजमार्गों पर चल रही हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ, कि परिवहन निगम की जो बसें हैं, ये सवारियाँ तो नहीं ढो रही हैं, परन्तु प्रदूषण फैला रही हैं, इन बसों के पीछे चलना दूभर हो गया है। क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही आप करने जा रहे हैं?

श्री हीरा सिंह बिष्ट--

मान्यवर, माननीय सदस्य की चिन्ता वाजिब है, परन्तु मैं इसका उल्लेख अपने बजट भाषण में कर चुका हूँ। इस सम्बन्ध में हमने प्रयास कर दिये हैं।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल--

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर में जो बसें चल रही हैं, वे बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं और नियमित नहीं चल रही हैं, इन मार्गों पर जी0एम0ओ0यू0 की बसें चलाने का कष्ट करें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट--

मान्यवर, मैं माननीय सदस्या को बता दूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर सरकारी बसें चलती हैं, फिर भी आपके प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी--

मान्यवर, प्रश्न काल चल रहा है, हमको विभिन्न कार्यालयों से सम्बन्धित साहित्य मिला है। यह अच्छी बात है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही कल चर्चा करना नहीं चाहते थे, खासतौर से सरकार की पॉलिसी पर चर्चा होनी चाहिए थी। कल आपने बजट पारित करा दिया, यह अलग बात है।

मान्यवर, जो यह सामग्री मिली है, बैग के बाहर लिखा है, कि से नो टू प्लॉस्टिक, इसके अन्दर क्या है, यह तो देखना पड़ेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)--

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि इसके लिए तो आपको टूरिज्म विभाग को धन्यवाद देना चाहिए। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

इस पर विभाग अगली बार से ध्यान दे।

उत्तरांचल में अत्यधिक सड़क दुर्घटनाओं के कारण व रोकथाम के सम्बन्ध में

*4–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे, कि उत्तरांचल में अत्यधिक सड़क दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं ? इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कोई नीति बनाई है ? यदि हाँ तो क्या, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

सड़क दुर्घटना अनेक कारणों से होती है, यथा गाड़ियों की यांत्रिक दशा ठीक न होना, तेज रफ्तार से वाहनों का संचालन, सड़क नियमों का सम्यक रूप से अनुपालन न किया जाना, रात्रि संचालन में उचित संकेतन तंत्र का न होना, चालक द्वारा नशे का प्रयोग, पारस्परिक स्पर्धा के कारण खतरनाक तरीके से वाहन का संचालन अथवा वाहनों में असामान्य ढुलान एवं बाहरी गाड़ियों के चालकों को पर्वतीय क्षेत्र की घुमावदार सड़कों का अनुभव न होना आदि।

सड़क दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम/नियमावली के अन्तर्गत परिवहन अधिकारियों को लगातार चेकिंग आदि हेतु निर्देशित किया जाता रहा है, लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त स्थानीय प्रशासन, पुलिस, एक्साइज, डाक्टर, यू0पी0एस0आर0टी0सी0 के अधिकारियों की टास्क फोर्स गठित की गई है तथा सहायक संभागीय प्रवर्तन दल का गठन किया गया है। हैलोजन लाईट को आधा ब्लैक रखवाया गया है तथा टैस्ट की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया गया है तथा अच्छे रिकार्ड वाले ड्राइवरों को पुरस्कृत किया जा रहा है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न पूछने की एक मंशा होती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उत्तरांचल में आये दिन बस दुर्घटना होती है, जीप दुर्घटना होती है, वह भी विशेष करके यात्रा सीजन पर, इसका कुप्रभाव पड़ता है ? आपने इसका कारण बताया कि वाहनों में असामान्य ढुलान एवं बाहरी गाड़ियों के चालकों को पर्वतीय क्षेत्र की घुमावदार सड़कों का अनुभव न होना है। मैं कहना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्र में जो चालक वाहन को चलाए, उसका हिल ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक हो, इससे समस्या का समाधान होगा। एक निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या आप लोग निर्माण विभाग और परिवहन विभाग दोनों विभाग मिलकर एक ऐसी योजना बनायें कि ये दुर्घटनायें न हों, क्या ऐसी व्यवस्था आप करेंगे ? ताकि यह दुर्घटनायें कम हो सकें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, पहाड़ों में हमारी जो पी0डब्ल्यू0डी0 की जो सड़कें हैं, वह टूट जाती हैं और उनमें फिसलन हो जाती है, दूसरा विचार आपने रखा, पर्वतीय लाइसेंस देना, यह कितना व्यवहारिक होगा, इस पर विचार करेंगे।

डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

मान्यवर, इस विषय में एक प्रश्न और है। एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी, उसका अचानक ब्रेक फेल हो गया, उसके बाद वह गाड़ी, पुल के आस–पास खड़ी दूसरी गाड़ी से जा टकराई, दूसरी गाड़ी पुल के अवरोधक के पास पिलर था, उस पर जा टकराई और उसके बाद दूसरी तरफ जो लोग खड़े थे, उनसे टकरा गई, वहाँ पर आठ लोग खड़े थे, उन सब की बड़ी ही दर्दनाक मौत हो गई। मान्यवर, मेरा प्रश्न पूछने का मकसद यह था जो मोटर एक्सीडेंट होते हैं, उसमें निश्चित रूप से बीमा कम्पनियाँ क्षतिपूर्ति देती हैं। लेकिन ऐसे मामलों में जैसा कि मैंने बताया, बीमा उनको कैसे मिलेगा, जिन आठ आदमियों की मृत्यु हुई है। बीमा कम्पनियाँ बीमा देने को उनको तैयार नहीं है। यह मामला निश्चित रूप से कोर्ट में है। मेरा मकसद प्रश्न पूछने का यह है कि क्या ऐसे मामलों में अनुग्रह राशि दी जाती है ? क्या ऐसे मामलों में अनुग्रह राशि दिए जाने का प्राविधान किया जा सकता है ? उनको आज तक किसी प्रकार की राशि नहीं दी गई है।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अभी जो प्रश्न किया, उसके सम्बन्ध में बताना चाहता हूँ कि हमारे परिवहन निगम की सभी गाड़ियों का बीमा होता है चूँकि मामला न्यायालय में है जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया इसलिए इस पर कोई विचार व्यक्त करना ठीक नहीं है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, सड़क दुर्घटना उत्तरांचल के लिए विशेष महत्व रखता है। सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण सड़क के नियमों का पालन न करना होता है। लेकिन दुनिया भर में किये गये सर्वे में एक बात और सामने आई है जो ड्राइवरों के गाड़ी चलाते समय नींद आ जाने से सम्बन्धित है। इसके लिए स्लिप लैब होनी चाहिए, जिसमें ड्राइवरों का टेस्ट होना चाहिए, मुख्य रूप से उन ड्राइवरों का जो 40 साल के हों या उसके ऊपर की उम्र के हों। यह बीमारी होती है तो मान्यवर, मेरा कहना यह है कि बेस हॉस्पिटल में लैब की स्थापना हो।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया। इस पर हम विचार करेंगे।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित विषय के बारे में एक घटना का जिक्र मैं भी करना चाहता हूँ एक बस सहारनपुर से आ रही थी दुर्घटनाग्रस्त हो गई उसका कारण यह था कि ड्राइवर कैसेट बदल रहा था, उसका ध्यान कैसेट बदलने में लगा रहा जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।

मान्यवर, ऐसा देखने में आया है कि कभी या तो ड्राइवर अपने पास किसी को बैठा लेता है या रोडवेज से सम्बन्धित जो बसें हैं, उनमें वीडियो और टेप लगे होते हैं, जिस कारण से ड्राइवर का ध्यान इधर–उधर चला जाता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हिल रूट पर जो बसें चलती हैं, उनमें कैसेट और वीडियो नहीं लगे होने चाहिए।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, मैं भी दुर्घटना स्थल पर गया था। वह सहारनपुर डिपो की बस थी और उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित की जाती थी, जिस पर हमारा कोई कन्ट्रोल नहीं है। मान्यवर, हमारे यहाँ पहले ही से यह नियमावली बनी हुई है कि जो गाड़ियाँ हिल रूट में चलती हैं, उनमें रेडियो, टेप अथवा वीडियो न लगे हों।

श्री योगम्बर सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ। मान्यवर, रामनगर में कुमाऊँ और गढ़वाल का द्वार है, वहाँ पर परिवहन डिपो बनाने के लिए यदि कोई प्रस्ताव नहीं है तो उसके लिए प्रस्ताव रखना चाहिए और वैकल्पिक तौर पर पानी और शौचालय की वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, मैं उसका सम्मान करता हूँ लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि परिवहन निगम की सम्पत्तियाँ अभी वैधानिक रूप से हमारे पास नहीं हैं, इसलिए हम डिपो का निर्माण नहीं करा सकते, लेकिन पानी और शौचालय की समस्या जन भावनाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए इसको हल कर दिया जाएगा।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह जो परिवहन का महकमा है, यह बहुत महत्वपूर्ण महकमा है। हमने यह देखा है कि पहले रोडवेज अपने आप में इकोनॉमिकल नहीं था। बाद में रोडवेज ने लम्बे दूर अपने लिए रख लिए और पहाड़ से सीधे लुधियाना और जम्मू तक एक बस जाने लगी। लम्बी दूरी होने के कारण ही अधिकतर एक्सीडेन्ट होते हैं। रात की नींद में ड्राइवर बड़ी–बड़ी घाटियों में चले जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जो लम्बी दूरी की बसें हैं, उनको दूरी के हिसाब से अधिक समय दिया जाए। समय कम होने और सफर लम्बा होने के कारण ड्राइवर तेजी में चलते हैं और रात की निद्रा में एक्सीडेंट हो जाते हैं। मान्यवर, हमारे यहाँ परम्परा है, कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका छोटा सा नाम रख दिया जाता है, जैसे–पप्पू, कुक्कू आदि। लेकिन जब वह बड़ा हो जाता है तो कहता है कि मुझे बचपन के नाम से न पुकारा जाए। मैं कहना चाहता हूँ कि इस राज्य का नाम उत्तराखण्ड इसके जन्म होने से पहले रखा गया था, लेकिन आज इसका नाम उत्तरांचल हो गया है और यही वैधानिक नाम है। जब इसका नाम उत्तराखण्ड हो जाएगा तो हम भी इसको उत्तराखण्ड के नाम से ही पुकारेंगे। लेकिन इस समय मैं समझता हूँ कि प्रदेश को उसके वैधानिक नाम से न पुकारा जाना प्रदेश का अपमान करने के समान है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं आपकी जानकारी के लिए, सदन की जानकारी के लिए और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह बिन्दु रखना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जब नैनीताल दौरे में आए और लोगों ने उनसे कहा कि हमारा नाम गलत रख दिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी उदारतापूर्वक सार्वजनिक रूप से पत्रकारों के मध्य घोषित किया कि उत्तराखण्ड वाले इसे उत्तराखण्ड ही कहना चाहते हैं तो इसी नाम से पुकारें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, चूँकि यह व्यवस्था का प्रश्न है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चूँकि उत्तरांचल राज्य अनुच्छेद–03 के अधीन बना हुआ है, इसका नाम परिवर्तित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है, कोई मंत्री या अन्य व्यक्ति इसे नहीं कर सकता। माननीय हरभजन सिंह चीमा जी ने इसे उठाया, चूँकि बार–बार राज्य का नाम उत्तराखण्ड आ रहा है, जो कि भारत के संविधान का अपमान है, सदन का अपमान है।

[श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूँ कि यदि आप सदन की गरिमा रखना चाहते हैं, इसी सदन से उत्तरांचल की जगह उत्तराखण्ड का नाम प्रस्तावित करके केन्द्र को भेजा है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, अनुच्छेद–03 के अन्तर्गत इसे परिवर्तित करने का अधिकार केवल संसद को है, यह आपत्तिजनक बात है।]

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने [ ] को प्रस्तावित करके भेज दिया, मान्यवर, इस माननीय सदन के विचार के बिना यह प्रस्ताव भेज ही नहीं सकते और इसे कब भेजा ? कृपया स्पष्ट करें।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, चूँकि इस सदन में सवाल का मूल प्रश्न तो है नहीं

(व्यवधान)

यह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में आया था।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि यह अंश कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह अंश प्रोसीडिंग से निकाल दिया जायेगा।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सदन के अन्दर जो बात ....]

(व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, नैनीताल जनपद के अन्तर्गत लाल कुआँ जो नैनीताल का प्रवेश द्वार है, वहाँ बहुत पहले रोडवेज स्टेशन हुआ करता था। यदि मंत्री जी आश्वस्त कर दें कि बस स्टेशन वहाँ पर होना चाहिए तथा एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि बसें जो चल रही हैं।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्त रहें, प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

नोट :– नत्थी "ख" के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

विकल्पधारी आयुर्वेद एवं एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

*5–श्री कैलाश शर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विकल्पधारी आयुर्वेद एवं एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों को उत्तरांचल से उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल में स्थानान्तरण किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री तिलकराज बेहड़)–

उत्तरांचल में कार्यरत उत्तर प्रदेश सामान्य संवर्ग के विकल्पधारी एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों में से प्रथम चरण में 67 पुरुष एवं 05 महिला एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों व 02 दन्त चिकित्सकों को उ0प्र0 के लिए कार्यमुक्त किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। शेष उ0प्र0 के विकल्पधारी एलोपैथिक चिकित्साधिकारी, जिनकी तैनाती उ0प्र0 शासन द्वारा की जा चुकी है, को चरणबद्ध आधार पर कार्यमुक्त किया जाएगा। शेष विकल्पधारी एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों तथा तदर्थ आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन की सहमति प्राप्त होने पर उनको चरणबद्ध तरीके से कार्यमुक्त किया जाएगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

चौलाई की सम्पूर्ण फसल कीड़ा लगने के कारण नष्ट होने एवं सुरक्षा के उपाय

*6–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गतवर्ष चौलाई की सम्पूर्ण फसल कीड़ा लगने के कारण नष्ट हो गई थी ?

यदि हाँ, तो इस वर्ष सुरक्षा की दृष्टि से सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री महेन्द्र सिंह माहरा)–

गत वर्ष चौलाई की फसल के लिए मौसम अनुकूल न होने के कारण पर्णजालक कीट का व्यापक प्रकोप हुआ था, फलस्वरूप विभिन्न जनपदों में चौलाई की फसल 20 से 80 प्रतिशत तक नष्ट हुई थी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस वर्ष चौलाई की फसल को कीड़े से बचाने के लिए निम्न उपाय किए गए हैं:-

(1) पर्वतीय क्षेत्र के समस्त जनपदों में कृषि रक्षा रसायनों की आवश्यक व्यवस्था की गई है।

(2) सभी क्षेत्रीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को चौलाई की फसल पर सतत् निगरानी रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं।

(3) क्षेत्र में प्रचार, प्रसार व प्रशिक्षण के माध्यम से कृषकों को उक्त कीट के प्रकोप से नियंत्रण हेतु जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

यमकेश्वर में धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ना

*7–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी क्षेत्र यमकेश्वर में स्वर्गाश्रम, नीलकण्ठ, यमकेश्वर एवं महाबगड़ धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल हैं ?

क्या सरकार उक्त धार्मिक स्थलों को पर्यटन से जोड़ने की कोई योजना बना रही है ? यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हाँ।

उपरोक्त धार्मिक एवं पौराणिक स्थलों की पर्यटन की दृष्टि से महत्ता को देखते हुए पर्यटन विभाग द्वारा इन पर्यटकों की सुविधा हेतु आवासीय सुविधाएं सृजित करने की कार्यवाही की गई है। इस क्रम में स्वर्गाश्रम एवं नीलकण्ठ महादेव में रैन बसेरा निर्मित किए गए हैं। यमकेश्वर में एक पर्यटक आवास गृह निर्मित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन स्थलों को आकर्षक बनाए जाने हेतु नीलकण्ठ महादेव के विद्युतीकरण एवं महाबगड़ मंदिर के सौन्दर्यीकरण हेतु भी राज्य सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल राज्य गठन के बाद राज्य परिसम्पत्ति बँटवारे में रोडवेज बसों का बँटवारा

*8–काजी निजामुद्दीन–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य गठन के बाद राज्य

परिसम्पत्ति बँटवारे में रोडवेज बसों का भी बँटवारा हुआ है ? यदि हाँ, तो इससे राज्य को दि0 31-3-2002 तक कितनी आय हुई है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

उत्तरांचल राज्य में अभी तक परिवहन निगम का गठन न होने के कारण अभी तक परिवहन निगम की परिसम्पत्तियों का बँटवारा भी नहीं हुआ है एवं रोडवेज बसों का बँटवारा भी नहीं हुआ है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्राइवेट नर्सिंग होम के लिए मानकों का निर्धारण

*9–श्री नारायण पाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्राइवेट नर्सिंग होम खोलने के लिए सरकार द्वारा कोई मानक निर्धारित किए गए हैं ? यदि हाँ, तो वे मानक क्या हैं ?

क्या यह सही है कि प्राइवेट नर्सिंग होम में जबरदस्ती महिला प्रसव को सीजेरियन केस बनाकर जनता से अवैध पैसा वसूला जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस प्रकार के कृत्यों पर अंकुश लगाने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलकराज बेहड़–

जी नहीं।

इस विषय में किसी व्यक्ति विशेष से कोई शिकायत प्राप्त होना शासन के संज्ञान में नहीं है।

उ0प्र0 मेडिकल एक्ट, 1917 की धारा 26 के तहत इस प्रकार के कृत्यों की शिकायत चिकित्सा परिषद् से की जा सकती है तथा चिकित्सा परिषद् इस सम्बन्ध में जाँचोपरान्त अधिनियम के अन्तर्गत किए जाने के लिए सक्षम है।

चमोली के औली, क्षेत्र जोशीमठ को अन्तर्राष्ट्रीय हिम क्रीडा के रूप में विकसित किया जाना

*10–डॉ0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि जनपद, चमोली के औली क्षेत्र जोशीमठ को अन्तर्राष्ट्रीय हिम क्रीडा स्थल के रूप में विकसित किए जाने की पूर्ण सम्भावना है ? क्या इस स्थान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हिम क्रीडा स्थल बनाया जाएगा ? यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हाँ। जनपद, चमोली के औली क्षेत्र को अन्तर्राष्ट्रीय हिम क्रीड़ा स्थल के रूप में विकसित किए जाने की पूर्ण सम्भावनाएं हैं। इन सम्भावनाओं के दृष्टिगत पर्यटन विभाग द्वारा औली में स्की–ढलान, रोप–वे एवं आवासीय सुविधाएं तैयार की गई हैं। इस क्षेत्र को एक सुनियोजित योजना के तहत विकसित किए जाने हेतु औली लगा सल्यूड डूंगरा की 249 नाली 10 मुट्ठी (13.975 एकड़) भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है, जिससे इस भूमि पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्की–रिजार्ट का विकास किया जा सके। इस कार्य को शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पदों के सम्बन्ध में

*11–श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कुल कितने आयुर्वेदिक चिकित्सों के पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कुल कितने आयुर्वेदिक चिकित्सक कार्यरत हैं ?

क्या सरकार एलोपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सकों को उनके मूल विभाग में वापस करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

उत्तरांचल में आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के कुल 396 पद स्वीकृत है। वर्तमान में कुल 606 आयुर्वेदिक चिकित्सक कार्यरत है।

जी हाँ। एलोपैथिक चिकित्सालयों में कार्यरत लोक सेवा आयोग से चयनित आयुर्वेदिक चिकित्सकों को उनके मूल विभाग में वापस किया जायेगा। समय निर्धारण करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

हॉडा स्टील पावर प्रोजेक्ट, ऊधमसिंह नगर को नोएडा में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में

*12–श्री अजय भट्ट–

क्या श्रम मंत्री अवगत हैं, कि हॉडा स्टील पावर प्रोजेक्ट, ऊधमसिंह नगर को उत्तरांचल से नोएडा में स्थानान्तरित किया जा रहा है, जिसके विरोध में श्रमिकों ने धरना दिया हुआ है ?

क्या यह भी सत्य है कि प्रबन्ध तन्त्र द्वारा गैर–कानूनी ढंग से कम्पनी की तालाबन्दी की गयी है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस कम्पनी को उत्तरांचल से बाहर जाने से रोकने हेतु क्या उपाय कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी नहीं। केनल होंडा सील पावर प्रोजेक्ट रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) के कारखाने की एल्युमिनियम शाप मशीन को ग्रेटर नोएडा में प्रबन्ध तन्त्र द्वारा स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके विरोध में श्रमिकों द्वारा धरना दिया जा रहा है।

तालाबन्दी के कोई आदेश शासन के संज्ञान में नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में होम्योपैथिक दवाओं का निर्माण करने वाली कम्पनियों के स्थान पर लखनऊ से दवाओं का क्रय

*13–श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जिला होम्योपैथिक विभाग देहरादून द्वारा उत्तरांचल में होम्योपैथिक दवाओं का निर्माण करने वाली दवा कम्पनियों के स्थान पर लखनऊ स्थित डा० सहाय नामक लेबोरेटरी से दवायें क्रय की गई ?

यदि हाँ, तो क्या इन दवाओं पर दवा निर्माण तिथि व बैच नम्बर अंकित हैं ?

क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री तिलकराज बेहड़–

औषधियों का क्रय जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, देहरादून द्वारा गठित क्रय समिति के माध्यम से लखनऊ स्थित डा० सहाय लेबोरेटरी से किया गया था। उत्तरांचल में होम्योपैथिक औषधियों का निर्माण जिस फर्म द्वारा किया जाता है। उसके द्वारा क्रय की जाने वाली औषधियों का निर्माण नहीं किया जाता है। अतः उससे उक्त औषधियों का क्रय किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों में सप्लाई की गई दवाओं की शीशियों पर बैच नम्बर व दवा निर्माण तिथि अंकित नहीं है।

जी हाँ।

बाल श्रम कानून उल्लंघन करने वाले भट्टा मालिकों के खिलाफ कार्यवाही

*14-श्री शहजाद-

क्या श्रम मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कितने भट्टे कार्यशील हैं तथा इन भट्टों में कितने बाल मजदूर कार्यरत हैं ?

क्या शासन बाल श्रम कानून उल्लंघन करने वाले भट्टा मालिकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्यवाही करेगा ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट-

उत्तरांचल राज्य में कुल 161 भट्टे कार्यशील हैं। सर्वेक्षणों के आधार पर 25 भट्टा प्रतिष्ठानों में 36 बाल श्रमिक चिन्हित किये गये।

जी हाँ। 23 उल्लंघनकर्ता प्रतिष्ठानों के विरुद्ध बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत प्राभियोजन की कार्यवाही की गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार की कृषि नीति

*15-कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा कोई कृषि नीति घोषित की गई है ?

यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है ?

तथा यह कब तक लागू कर दी जायेगी ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा-

जी हाँ,

उत्तरांचल कृषि नीति 2001 घोषित की गई है।

उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु की विविधताओं, उपलब्ध संसाधनों तथा पर्यावरणीय संतुलन को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि के स्तर में वृद्धि करते हुए काश्तकारों को उनके जोतों से बेहतर आमदनी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि नीति का प्रारूप तैयार किया गया है तथा कृषि नीति की मुख्य-मुख्य प्राथमिकतायें इस प्रकार हैं। मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से राज्य का खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, कृषि विविधीकरण के माध्यम से लाभप्रद एवं व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहन देना, कृषि विकास से सम्बन्धित आधारभूत सुविधाओं का विस्तार एवं प्रबन्धन, पर्यावरण

संतुलन बनाते हुए कृषि उत्पादन में टिकाऊपन सुनिश्चित करना, जलागम आधारित भूमि एवं जल प्रबन्धन करते हुए कृषि विकास की उपर्युक्त योजनायें बनाकर उनका नियोजन एवं क्रियान्वयन, कृषि आधारित उद्योगों का विकास तथा कृषि प्रबन्धन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, कृषि शोध, शिक्षा प्रसार एवं संचार कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि।

उत्तरांचल कृषि नीति 2001 के अनुसार ही कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के नियोजन एवं उनके क्रियान्वयन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रदेश में वाहनों के प्रेशर हार्न पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार

*16–श्री हरबंस कपूर–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वाहनों के प्रेशर हार्न पर प्रतिबन्ध लगाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या सरकार स्कूलों, चिकित्सालयों आदि क्षेत्रों को ध्वनि प्रतिबन्धित क्षेत्र घोषित करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य में पूर्व से ही तीखी ध्वनि वाले हार्न, जिसमें प्रेशर हार्न भी सम्मिलित है और जो ध्वनि प्रदूषण करते हैं, का प्रयोग वर्जित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

स्कूल, चिकित्सालय आदि क्षेत्र ध्वनि करने के लिए पहले से ही प्रतिबन्धित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

देहरादून स्थित दून अस्पताल में सिटी–स्कैन और इन्डोस्कोपी की व्यवस्था की माँग

*17–श्री दिनेश अग्रवाल–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजधानी देहरादून में स्थित दून अस्पताल में सिटी–स्कैन और इन्डोस्कोपी की व्यवस्था न होने के कारण जनता को बहुत परेशानी हो रही है ?

क्या सरकार दून अस्पताल में सिटी–स्कैन और इन्डोस्कोपी की व्यवस्था अविलम्ब कराने की कृपा करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी हाँ।

ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य के 3 बड़े चिकित्सालयों में डाईग्नोसिस्ट सेन्टर की स्थापना की जानी है जिसमें जनपद देहरादून के दून चिकित्सालय को भी सम्मिलित किया गया है। इन डाईग्नोसिस्ट सेन्टर की स्थापना में अन्य उपकरणों के साथ सिटी–स्कैन मशीन भी प्रस्तावित है तथा वित्तीय वर्ष 2002–03 में 3 चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से दून चिकित्सालय में इन्डोस्कोपी की स्थापना की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर के बाजपुर में स्थित "को–ऑपरेटिव आसवानी फैक्ट्री" की आधी सप्लाई निजी संस्था को सौंपना

*18–श्री अरविन्द पाण्डेय–

क्या आबकारी मंत्री अवगत है कि जनपद ऊधमसिंह नगर के बाजपुर में स्थित "को–ऑपरेटिव आसवानी फैक्ट्री" जो कि वर्ष 1978 से लगातार लाभ में चल रही है उसकी आधी सप्लाई एक निजी संस्था आई0जी0एल0 काशीपुर को दे दी गयी है ?

यदि हाँ, तो स्थानीय रोजगार को मद्देनजर सरकार जनहित में आई0जी0एल0 काशीपुर को दिये गये लाइसेंस का निरस्तीकरण किये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जनपद ऊधमसिंह नगर के बाजपुर में स्थित "को–ऑपरेटिव आसवनी फैक्ट्री" को लाभ–हानि के आधार पर कोटा आवंटित नहीं किया गया है बल्कि पूर्व में उत्तरांचल राज्य में केवल 2 आसवनियां देशी मदिरा की आपूर्ति करती थी, किन्तु गत वर्ष आई0जी0एल0 काशीपुर को शासन द्वारा पेय मदिरा निर्माण के लिए दिनांक 14 जून, 2001 को लाइसेंस प्रदान किया गया। इस प्रकार राज्य में देशी मदिरा की थोक आपूर्ति हेतु आई0जी0एल0 सहित 3 आसवनियों को उत्तरांचल राज्य के अन्तर्गत देशी मदिरा आपूर्ति हेतु विभिन्न जनपदों का कोटा आवंटित किया गया है, जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण जनपद चम्पावत, जनपद ऊधमसिंह नगर का आधा क्षेत्र एवं जनपद हरिद्वार का आधा क्षेत्र, जहाँ विगत वर्ष बाजपुर डिस्टिलरी द्वारा देशी मदिरा सप्लाई की गयी थी, इस वर्ष आई0जी0एल0 को आवंटित किये गये हैं। शेष जनपद नैनीताल अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ व बागेश्वर पूर्ववत बाजपुर आसवनी को आवंटित किये गये हैं तथा जनपद ऊधमसिंह नगर का आधा क्षेत्र आई0जी0एल0 के साथ–साथ बाजपुर आसवनी को भी आवंटित किया गया है। आई0जी0एल0 को हरिद्वार जनपद का आधा वह क्षेत्र भी आवंटित किया गया है जो विगत वर्ष दून वैली आसवनी को आवंटित था।

सम्प्रति आई0जी0एल0 काशीपुर को दिये गये लाइसेंस को निरस्त करने का कोई विचार नहीं है।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण

1—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील मुख्यालय ऊखीमठ में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़—

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002—03 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ऊखीमठ के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। संसाधनों एवं भूमि की उपलब्धता के आधार पर उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उच्चीकरण करना प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी के द्वारीखाल क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नये भवनों के निर्माण की माँग

2—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड द्वारीखाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र किनसुर, सुमेरसौण, ढांगर, नैल, कठगर आदि विगत कई वर्षों से किराये के मकानों पर चल रहे हैं ?

क्या सरकार इन केन्द्रों के नये भवनों का निर्माण शीघ्र करवायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ, किन्तु नैल नाम से कोई चिकित्सालय/उपकेन्द्र स्थापित नहीं है।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी में विकास खण्ड द्वारीखाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कांडी के भवन निर्माण की माँग

3—श्रीमती विजय बड़थ्वाल—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के विकास खण्ड द्वारीखाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कांडी का भवन विगत कई वर्षों से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है ?

क्या सरकार जनहित में इनका निर्माण शीघ्र करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ।

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर।

प्रदेश में धार्मिक यात्रा मार्गों को सुविधाजनक बनाये जाने की योजना

4—श्री प्रकाश पंत—

क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में धार्मिक यात्रा मार्गों को सुविधाजनक बनाये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हाँ, तो योजना का स्वरूप क्या है तथा कब तक कार्य रूप में परिवर्तित हो जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

जी हाँ।

उत्तरांचल में स्थित चारधाम यात्रा मार्गों एवं अन्य यात्रा मार्गों में आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना पर्यटन विभाग का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसी क्रम में चारधाम यात्रा मार्गों पर अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु चारधाम परिपथ को विकसित किये जाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के सहयोग से एक व्यापक कार्य योजना प्रस्तावित है। इसी प्रकार कैलाश मानसरोवर यात्रा को सुविधाजनक बनाये जाने हेतु भी शासन द्वारा अनुदान दिया जाता है। चारधाम यात्रा परिपथ का विकास शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

बेस चिकित्सालय अल्मोड़ा में एनेस्थिटिक के रिक्त पद पर नियुक्ति की माँग

5—श्री कैलाश शर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेस चिकित्सालय जनपद अल्मोड़ा में एनेस्थिटिक का पद वर्तमान में रिक्त चल रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त पद पर चिकित्सक की नियुक्ति करेगी ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी नहीं, बेस चिकित्सालय, जनपद अल्मोड़ा में एनेस्थिटिक का पद वर्तमान में रिक्त नहीं है। उक्त चिकित्सालय में एनेस्थिटिक के पद पर तैनात डा0 प्रभाकर बहुखण्डी दिनांक 05—12—2001 से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित चल रहे हैं। डा0 बहुखण्डी की अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल से चिकित्सकों के चयनोपरान्त उक्त चिकित्सालय में एनेस्थिटिक के पद पर तैनाती की जानी सम्भव हो सकेगी।

जनपद पिथौरागढ़ में थलकेदार, धुनसेरादेवी, अर्जुनेश्वर आदि पर्यटन स्थलों के विकास की योजना

6—श्री प्रकाश पंत—

क्या पर्यटन मंत्री जी बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में थलकेदार, धुनसेरादेवी, अर्जुनेश्वर, असुरचूला, पशुपतिनाथ, चन्डिका मन्दिर, कामाक्षया मन्दिर, बटकेश्वर, मोस्टमान, चंडाक, पतलदेव, मर्सोली, सुकोली, कमनेश्वर नामक पर्यटन स्थल हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बना रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

जी हाँ।

उत्तरांचल में नवीन पर्यटन स्थलों का चिन्हीकरण पर्यटन विभाग की 10वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य विषय है। प्राथमिक रूप से यह प्रस्तावित है कि प्रदेश के सम्भावित पर्यटक स्थलों को नये पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जाय। किन्तु यह कार्य इन पर्यटक स्थलों के महत्व के आधार पर क्रमबद्ध रूप से किया जाना प्रस्तावित है। तद्नुसार ही इन पर्यटक स्थलों को भी भविष्य में विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में श्रेणी–2 चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में

7—श्री कैलाश शर्मा–

क्या चिकित्सा मंत्री बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में चिकित्सा विभाग में श्रेणी–2 चिकित्सकों के कितने पद कब से रिक्त चल रहे हैं ?

क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरे जाने की कोई कार्य योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

चिकित्सा विभाग के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में उत्तरांचल के गठन नवम्बर, 2000 से चिकित्साधिकारी श्रेणी–2 के 73 पद रिक्त चल रहे हैं।

जी हाँ। रिक्त पदों को भरे जाने हेतु 41 पुरुष चिकित्सक, 01 महिला चिकित्सक एवं 03 दन्त चिकित्सक कुल 45 चिकित्सकों की जनपद अल्मोड़ा में संविदा के आधार पर नियुक्ति की गयी थी जिसमें से वर्तमान में 19 पुरुष चिकित्सक व 02 दन्त चिकित्सक कुल 21 चिकित्सक कार्यरत हैं। पुनः 04 पुरुष चिकित्सक, 01 महिला चिकित्सक तथा 01 दन्त चिकित्सक कुल 06 चिकित्सकों की संविदा पर तैनाती के आदेश निर्गत किये गये हैं। उत्तरांचल में 400 पुरुष एलोपैथिक चिकित्सकों एवं 30 महिला एलोपैथिक चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु चयन के लिए लोक सेवा आयोग से विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है।

लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सकों के चयनोपरान्त यथासम्भव तैनाती कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा में होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान के भवन का निर्माण

8—श्री कैलाश शर्मा–

क्या पर्यटन मंत्री बतायेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग संस्थान का भवन निर्माणाधीन है ?

यदि हाँ, तो उक्त भवन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हाँ।

इस भवन के निर्माण के लिए 1995–1996 में धनराशि स्वीकृत की गई थी। वर्तमान में मूल लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि जारी कर निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

22 दिसम्बर, 2002 को सामुदायिक केन्द्र, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग में नसबन्दी ऑपरेशन से विकलांगता को राहत की मांग

9—श्री मातबर सिंह कण्डारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 22 दिसम्बर, 2002 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग में आयोजित परिवार कल्याण शिविर में श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री विजय सिंह ग्राम बक्सीर पूर्वी बांगर जनपद रुद्रप्रयाग ने नसबंदी ऑपरेशन कराया था ?

क्या श्रीमती आशा देवी ऑपरेशन के पश्चात् विकलांग हो गयी ?

स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्रीमती आशा देवी को राहत दी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ, परन्तु दिनांक 22 दिसम्बर, 2000 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग में आयोजित परिवार कल्याण शिविर में श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री विजय सिंह ग्राम बक्सीर पूर्वी बांगर जनपद रुद्रप्रयाग ने नसबंदी ऑपरेशन कराया था।

जी नहीं।

श्रीमती आशा देवी की उंगलियाँ जलने से उनके हाथ में गैंगरीन हो गयी थी, जिसका इलाज जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर जनपद चमोली तथा बेस चिकित्सालय श्रीनगर में हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

हरिद्वार में रोडवेज के क्षेत्रीय कार्यालय को स्थानान्तरित किये जाने की योजना

10—श्री मदन कौशिक—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरिद्वार में रोडवेज के क्षेत्रीय कार्यालय को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की सरकार की कोई योजना है ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

उ०प्र० परिवहन निगम, हरिद्वार में कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। अतः इसे अन्यत्र स्थानान्तरित करने की योजना का प्रश्न ही नहीं है।

चमोली के मातृ शिशु कल्याण केन्द्रों के सम्बन्ध में

11—श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट—

क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के कुल कितने गाँवों में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र चल रहे हैं ?

कितने गाँवों में मातृ शिशु कल्याण केन्द्र प्रस्तावित हैं तथा सरकार कब तक यह लक्ष्य पूर्ण करेगी ?

श्री तिलक राज बेहड़–

भारत सरकार के मानक के अनुसार 3000 की ग्रामीण जनसंख्या पर 01 उपकेन्द्र की स्थापना की जाती है, न कि प्रति गाँव में। जनपद चमोली में 91 उपकेन्द्र वर्तमान में चल रहे हैं, जो ग्रामीण जनता को मातृ शिशु कल्याण सेवायें प्रदान कर रहे हैं।

10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में 16 उपकेन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है, जिनमें से वित्तीय वर्ष 2002–03 में 05 नये उपकेन्द्र खोलने प्रस्तावित हैं।

चमोली अन्तर्गत कर्णप्रयाग के लंगासू के आयुर्वेदिक चिकित्सकों के रिक्त पदों पर तैनाती

12–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या चिकित्सा मंत्री को जानकारी है कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के लंगासू स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय डाक्टर के अभाव में एक वर्ष से अधिक समय से बन्द है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार डाक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं, लंगासू स्थित आयुर्वेदिक चिकित्सालय, चिकित्साधिकारी के पद की रिक्ति के समय वहाँ पर कार्यरत फार्मासिस्ट एवं अन्य स्टाफ के रहते हुए निरन्तर खुला रहा है।

डाक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

चमोली के नन्दप्रयाग नगर पंचायत में राजकीय चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में

13–श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

क्या चिकित्सा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के नन्दप्रयाग नगर पंचायत में सरकार राजकीय चिकित्सालय खोलने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नन्दप्रयाग में पूर्व से ही एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं एक मातृ शिशु कल्याण केन्द्र स्थापित है तथा 7 कि०मी० की दूरी पर घिरपाक में रा०एलो०चि० स्थापित है।

उत्तरांचल एवं हिमांचल प्रदेश के बीच निषिद्ध क्षेत्र (इनर लाईन) चितकुल सांगला लमखांगा इत्यादि को पर्यटकों के लिए खोलने के सम्बन्ध में

14–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल एवं हिमांचल प्रदेश के बीच में पड़ने वाले निषिद्ध क्षेत्र (इनर लाईन) चितकुल सांगला लमखांगा पास–हर्षिल को देशी/विदेशी पर्यटकों के लिए खोलने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

चितकुल सांगला क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लमखांगा पास व हर्षिल उत्तरांचल राज्य के जनपद, उत्तरकाशी में स्थित है। लमखांगा पास तथा हर्षिल निषिद्ध क्षेत्र (इनर लाइन) को देशी व विदेशी पर्यटकों के लिए खोलने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी से प्रस्ताव उपलब्ध हो गया है। इस प्रस्ताव को स्वीकृति/अग्रेतर कार्यवाही हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देवलसारी, नाग टिब्बा, थत्यूड के विकास की योजना

15–श्री कौलदास–

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देवलसारी, नाग टिब्बा, थत्यूड के विकास हेतु कोई योजना बनाई जा रही है ? इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों के यातायात व ठहरने की सुविधा के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हाँ, जनपद टिहरी गढ़वाल में देवलसारी, नाग टिब्बा एवं थत्यूड दर्शनीय स्थल हैं। इन स्थलों के विकास हेतु प्रारम्भिक चरण में पर्यटन विभाग द्वारा नाग टिब्बा तक पैदल मार्ग का सुधार तथा वहाँ स्थित दो छोटे तालों का भी सौन्दर्यीकरण कराया जा रहा है। वर्तमान में देवलसारी में वन विभाग का विश्राम गृह है भविष्य में पर्यटकों की संख्या के अनुरूप यहाँ पर और आवासीय सुविधायें भी विकसित की जा सकती हैं।

टिहरी गढ़वाल के जनजातीय क्षेत्र जौनपुर के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में

16–श्री कौलदास–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि टिहरी गढ़वाल के जनजातीय क्षेत्र जौनपुर के अन्तर्गत तकनीकी शिक्षा केन्द्र कब तक खोला जायेगा ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी के अस्पतालों में चिकित्सकों/फार्मासिस्टों के रिक्त पदों को भरने की जानकारी

17–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में विभिन्न अस्पतालों में रिक्त पड़े चिकित्सकों/फार्मासिस्टों के पदों को कब तक भर दिया जायेगा।

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

चिकित्सकों के चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल को भेजा जा चुका है। चिकित्सकों के चयनोपरान्त जनपद उत्तरकाशी में यथासम्भव रिक्त पदों को भर दिया जायेगा। वर्तमान में जनपद उत्तरकाशी में फार्मासिस्टों के समस्त पद भरे हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के कृषि प्रदर्शन फार्म में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं वार्षिक आमदनी

18–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में कृषि प्रदर्शन फार्म की संख्या तथा उनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इन फार्मों से सरकार को कुल कितनी वार्षिक आमदनी होती है ?

क्या कृषकों को मिट्टी परीक्षण की सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

जी हाँ।

जनपद उत्तरकाशी में एक सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन प्रक्षेत्र है, जो चिन्याली सौंड में स्थित हैं।

इस प्रक्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों में 06 तृतीय श्रेणी के तथा 08 चतुर्थ श्रेणी के हैं।

सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन प्रक्षेत्र चिन्याली सौंड़ वर्ष 1996–97 से 1998–99 तक क्रमशः रुपया 45,374, रुपया 60,016, रुपया 46,211 के लाभांश में रहा।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी क्षेत्र यमकेश्वर में जलागम की योजनायें

19–श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या जलागम प्रबन्ध मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी क्षेत्र यमकेश्वर में जलागम की कौन–कौन सी योजनाऐं हैं ?

क्या सभी गाँवों में इन योजनाओं को लागू किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

जी हाँ।

जनपद पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र में जलागम प्रबन्ध निदेशालय, उत्तरांचल के अन्तर्गत विश्व बैंक पोषित आई०डब्ल्यू० डी०पी० (हिल्स–II) परियोजना चलाई जा रही है, यह योजना यमेश्वर ब्लाक के 63 गाँवों में संचालित है।

उपरोक्त योजना निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप शिवालिक क्षेत्र के कुछ चयनित सूक्ष्म जलागमों के चयनित ग्रामों में ही चलायी जा रही है।

सन् 1988 में नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को विनियमित किये जाने के सम्बन्ध में

20–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1988 में नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों को विनियमित किये जाने का प्रकरण विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो इन्हें कब तक विनियमित कर दिया जायेगा ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उ0प्र0 कैडर के चिकित्साधिकारियों को कार्यमुक्त करने से पूर्व चिकित्साधिकारियों की व्यवस्था

21–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ0 प्र0 कैडर के चिकित्साधिकारियों को कार्यमुक्त करने से पूर्व सभी जनपदों में चिकित्साधिकारियों की व्यवस्था पूर्ण की जायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

उ0प्र0 कैडर के चिकित्साधिकारियों को चरणबद्ध तरीके से उ0प्र0 हेतु कार्यमुक्त किया जा रहा है। प्रथम चरण में कार्यमुक्त किये गये चिकित्सकों के स्थान पर 63 चिकित्सकों को संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग द्वारा एलोपैथिक महिला एवं पुरुष चिकित्साधिकारियों के चयन हेतु विज्ञप्ति भी जारी की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ एवं गौरीकुण्ड में सीवर लाईन की योजना

22–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या पर्यटन विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, श्री केदारनाथ एवं गौरीकुण्ड में स्वच्छता बनाये रखने के लिए सीवर लाईन बिछाने की कोई योजना है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

श्री केदारनाथ के मुख्य पड़ाव स्थल गौरीकुण्ड में सीवर लाईन बिछाने के लिए रु0 262.00 लाख का प्रस्ताव/आगणन प्राप्त हुआ है, जिसका वित्तीय एवं तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है। इसके उपरान्त योजना के लिए बजट प्राविधान किया जा सकता है। श्री केदारनाथ में सीवर लाईन बिछाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में द्यारा पर्यटक स्थल रोप–वे तथा स्कीइंग के लिए प्रस्तावित परियोजना एवं यमुनोत्री धाम के विकास की योजना

23–श्री विजय पाल सिंह सजवाण–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में द्यारा पर्यटक स्थल रोप–वे तथा स्कीइंग के लिए प्रस्तावित है ? यदि हाँ, तो इस परियोजना को कब तक स्वीकृत किया जायेगा ?

क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि पंचकोशी यात्रा, जोशीयाड़ा के घाटों का विकास तथा यमुनोत्री धाम को वैष्णो देवी धाम की तर्ज पर विकसित करने की प्रस्तावित कार्य योजना पर कार्यवाही की जा रही है ? यदि हाँ, तो इसे कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हाँ। द्यारा बुग्याल को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्की–रिजार्ट के रूप में विकसित किये जाने हेतु मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। मास्टर प्लान के बन जाने के उपरान्त उसके अनुरूप द्यारा को विकसित किये जाने का प्रस्ताव है।

उत्तरांचल में स्थित चारधाम, जिनमें श्री यमुनोत्री एवं गंगोत्री भी सम्मिलित हैं, के विकास हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही हैं, जिससे इसे एक चारधाम परिपथ के रूप में विकसित किया जा सके। इन धामों से जुड़े यात्रा स्थलों/पर्यटक स्थलों का विकास इस कार्य योजना/मास्टर प्लान के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित हैं इन कार्यों के लिए अभी प्राथमिक कार्यवाही की जा रही हैं। अतः इनकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। श्री यमुनोत्री धाम को वैष्णो देवी धाम के अनुरूप विकसित किये जाने हेतु कार्य योजना अभी तैयार नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का प्रस्ताव

24–श्री नारायण राम आर्य–

क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ऊखीमठ के भवन निर्माण का प्रस्ताव

25—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या श्रम मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ऊखीमठ के भवन निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक वह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जायेगा ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हेतु भूमि के चयन की कार्यवाही के बाद भवन निर्माण पर विचार किया जायेगा।

जनपद उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में

26—श्री विजय पाल सिंह सजवाण—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद उत्तरकाशी के जिला अस्पताल उत्तरकाशी में फिजिशियन, सर्जन, एनेस्थिटिक, इ0एन0टी0 सर्जन, महिला डाक्टर तथा रेडियोलोजिस्ट का पद खाली है ?

यदि हाँ, तो इन पदों को कब तक भरा जायेगा ?

श्री तिलक राज बेहड़—

जी हाँ, जिला चिकित्सालय, उत्तरकाशी में सर्जन, एनेस्थिटिक, इ0एन0टी0 सर्जन, महिला डाक्टर तथा रेडियोलोजिस्ट का पद रिक्त है। जिला चिकित्सालय में फिजिशियन के पद पर कार्यरत फिजिशियन को राजभवन, देहरादून में अस्थाई रूप से सम्बद्ध किया गया है। लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल से चयनोपरान्त उक्त चिकित्सालय में यथासम्भव रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

उत्तरांचल परिवहन निगम द्वारा विभिन्न मार्गों पर बसों का चलाया जाना

27—श्रीमती आशा नौटियाल—

क्या परिवहन मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में परिवहन निगम द्वारा किन–किन मार्गों पर बसें चलाये जाने का प्राविधान किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट—

उत्तरांचल राज्य में अभी तक परिवहन निगम का गठन न होने के कारण, अभी तक उ0 प्र0 रा0 सड़क परिवहन निगम द्वारा ही पूर्व की भांति उत्तरांचल में बसों का संचालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में कृषि विज्ञान केन्द्र/बीज उत्पादन केन्द्र खोले जाने के सम्बन्ध में

28–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या कृषि मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गडोरा जनपद चमोली में कृषि विज्ञान केन्द्र/बीज उत्पादन केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं ?

यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा ?

श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र/बीज उत्पादन केन्द्र की स्थापना हेतु निर्धारित मानकों के अनुरूप गडोरा, जनपद चमोली में भूमि, सड़क पानी आदि की उपलब्धता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, चमोली से सूचना माँगी गयी है, जो अभी प्रतीक्षित है।

संयुक्त यात्रा बस अड्डा ऋषिकेश में सवारी बसों की अव्यवस्था

29–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त यात्रा बस अड्डा ऋषिकेश में सवारी बसें अव्यवस्थित रूप से लगा दी जाती है ?

क्या सरकार उक्त अव्यवस्था को दूर करने हेतु आवश्यक कदम उठाएगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

संयुक्त यात्रा बस अड्डा ऋषिकेश से टी0जी0एम0ओ0यू0, जी0एम0ओ0यू0 तथा सीमान्त प्रदेश आदि यूनियन की बसों का संचालन होता है। बसों की बुकिंग के लिए कार्यालय बनाया गया है। बुकिंग कार्यालय पर एक समय में एक स्थान को जाने वाली एक ही बस लगायी जाती है परन्तु कभी–कभी यात्रियों की संख्या में आकस्मिक वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप कभी–कभी भिन्न–भिन्न गन्तव्य स्थानों पर जाने वाली बसें एकत्रित हो जाती हैं। वाहनों को व्यवस्थित रूप से पार्किंग करने, क्रम से खड़ी करने के लिए समय–समय पर निर्देश दिये जाते रहे हैं। यातायात व्यवस्था की देख–रेख शान्ति व्यवस्था तथा सुरक्षा व्यवस्था हेतु बस अड्डे पर अस्थाई पुलिस चौकी भी स्थापित की गयी है। ताकि बस अड्डे पर वाहने व्यवस्थित रूप से खड़ी की जा सके।

प्रश्न ही नहीं उठता।

केदारनाथ धाम से श्री बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की एकल यात्रा व्यवस्था

30–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केदारनाथ धाम से श्री बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से कुण्ड, जनपद रुद्रप्रयाग से श्री बद्रीनाथ धाम जाने की एकल यात्रा व्यवस्था की गई हैं ?

यदि हाँ, तो कब से ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

केदारनाथ धाम से बद्रीनाथ धाम जाने वाले यात्रियों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से कुण्ड, जनपद रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ धाम जाने की एकल व्यवस्था नहीं की गई। यह मार्ग अपेक्षाकृत संकरा एवं घुमावदार है जिस पर अभी यात्रियों के लिए खाने पीने, ठहरने एवं अन्य जन–सुविधाएँ उपलब्ध न होने के कारण इस मार्ग पर नियमित रूप से यात्रा काल में तीर्थ यात्रियों को परिवहन व्यवस्था अनुमन्य नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्र के परम्परागत पकवानों को प्रचार–प्रसार हेतु समस्त कैन्टीनों/राज्य अतिथि गृहों में उचित स्थान देने के सम्बन्ध में

31–श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार पर्वतीय क्षेत्र के परम्परागत पकवानों के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

क्या शासन द्वारा संचालित समस्त कैन्टीनों/राज्य अतिथि गृहों आदि में उत्तरांचल के प्रमुख व्यंजनों को सरकार द्वारा उचित स्थान दिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हाँ। पर्यटन विभाग द्वारा पर्वतीय क्षेत्र के विभिन्न पकवानों/व्यजनों के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु एक पुस्तिका तैयार की गई है जो पर्यटकों एवं अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में फूड फैस्टीवल्स आयोजित कर व प्रदेश के बाहर आयोजित फूड फैस्टीवल्स में इन पकवानों का प्रदर्शन भी किया गया है।

कैन्टीनों एवं राज्य अतिथि गृहों में पर्यटकों/अतिथियों की माँग के अनुरूप ही व्यंजन/भोजन उपलब्ध कराना यथेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इनकी प्रकृति व्यवसायिक है। उत्तरांचल के व्यंजनों की मांग के अनुरूप इन्हें उपलब्ध कराये जाने में कोई कठिनाई नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में राजकीय एलोपैथिक अस्पतालों की संख्या तथा डाक्टरों के रिक्त पदों की भर्ती सम्बन्धी

32–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में कितने राजकीय एलोपैथिक अस्पताल हैं ?

इन अस्पतालों में डाक्टरों के पदों को कब तक भर दिया जायेगा।

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जनपद रुद्रप्रयाग में कुल 25 एलोपैथिक चिकित्सालय हैं, जिसमें 23 पुरुष एलोपैथिक चिकित्सालय तथा 02 महिला चिकित्सालय हैं।

लोक सेवा आयोग के माध्यम से चिकित्सकों के चयन हेतु अधियाचन भेजा जा चुका है तथा लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सकों के चयन हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी है। चयनोपरान्त यथासम्भव जनपद रुद्रप्रयाग के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की तैनाती कर दी जाएगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में राजकीय आयुर्वेदिक अस्पतालों में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में

33–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में कितने राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल हैं ?

इन अस्पतालों में डाक्टर के रिक्त पदों को कब तक भर लिया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जनपद रुद्रप्रयाग में 25 राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल हैं।

जनपद रुद्रप्रयाग में इन राजकीय आयुर्वेदिक अस्पतालों में डाक्टर के स्वीकृत रिक्त पदों को शीघ्र ही भर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में राजकीय आयुर्वेदिक एवं राजकीय एलोपैथिक अस्पतालों के भवन निर्माण के सम्बन्ध में

34–श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग में कितने राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल एवं राजकीय एलोपैथिक अस्पतालों को भवन निर्माण हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गयी है ?

यदि हाँ, तो भूमि उपलब्ध होने पर भी भवन निर्माण न होने के क्या कारण हैं ?

श्री तिलक राज बेहड़–

जनपद रुद्रप्रयाग में क्षेत्रीय जनता द्वारा 06 राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध करायी गयी हैं। जबकि राजकीय एलोपैथिक अस्पतालों के भवन निर्माण हेतु क्षेत्रीय जनता द्वारा कोई भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

संसाधनों की कमी के कारण।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का सहायक सेवा योजन अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में

35–श्री प्रकाश पंत–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों का सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर प्रोन्नति की मांग है ?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों से लिपिक वर्ग से सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर प्रोन्नति के सम्बन्ध में विभाग को मांग प्राप्त हुई है।

इस सम्बन्ध में निदेशालय स्तर पर सहायक सेवायोजन अधिकारी सेवा–नियमावली तैयार की जा रही है। सेवा नियमावली तैयार होने तथा शासन से स्वीकृत होने के उपरान्त ही पदोन्नति पर विचार किया जाना सम्भव हो पायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्यटन विकास को बढ़ावा दिये जाने हेतु काक भुशंडी ट्रैक मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं मार्ग में आधारभूत सुविधाओं का विकास

36–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पर्यटन विकास को बढ़ावा दिये जाने हेतु काक भुशंडी ट्रैक मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं मार्ग में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 23.88 लाख रु0 का प्रस्ताव पर्यटन निदेशालय को प्रस्तुत है ?

यदि हाँ, तो उक्त प्रस्ताव कब तक स्वीकृत हो जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हाँ।

इस ट्रैक मार्ग के निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्ताव रु0 23.88 लाख के विरुद्ध परीक्षणोपरान्त इस कार्य हेतु रु0 16.19 लाख की लागत अनुमोदित की गई एवं इसके अनुरूप इस कार्य के लिए रु0 16.19 लाख स्वीकृति शासन द्वारा जारी की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के अन्तर्गत औली में स्थित श्री हनुमान मन्दिर परिसर का सौन्दर्यीकरण

37–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल राज्य के सीमान्त जनपद चमोली के अन्तर्गत औली में स्थित श्री हनुमान मन्दिर परिसर के सौन्दर्यीकरण हेतु 27.93 लाख रु0 का आंकलन/प्रस्ताव तथा तपोवन/जोशीमठ में स्व0 गौरादेवी स्मृति मंदिर के निर्माण हेतु 70.03 लाख रु0 का प्रस्ताव/आंकलन पर्यटन निदेशालय के पास लम्बित है?

क्या सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हाँ।

उक्त दोनों प्रस्तावों के परीक्षणोपरान्त इनकी स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2002–03 में किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ की तहसील गंगोलीहाट के मुख्यालय में श्रीमहाकाली मन्दिर तथा चामुण्डा मन्दिर के समीप शराब की दुकान को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में

38–श्री प्रकाश पन्त–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिथौरागढ़ की तहसील गंगोलीहाट के मुख्यालय में श्री महाकाली मन्दिर तथा चामुण्डा मन्दिर के समीप ही शराब की दुकान भी स्थित है ?

यदि हाँ, तो क्या क्षेत्रीय जनता शराब की दुकानें धार्मिक स्थल से अन्यत्र स्थानान्तरित करने की मांग करती आ रही हैं ?

यदि हाँ, तो सरकार कब तक इन शराब की दुकानों को धार्मिक स्थल से अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी नहीं, शराब की दुकान श्री महाकाली मन्दिर से लगभग 01 कि0मी0 तथा

चामुण्डा मन्दिर से 02 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है।

जी नहीं, वर्तमान समय में इस प्रकार की कोई माँग नहीं है। वर्तमान स्थान पर शराब की दुकान विगत कई वर्षों से चल रही हैं। अतः अन्यत्र स्थानान्तरित करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

पिथौरागढ़ में बहुउद्देशीय पार्क (अप्पू घर) के निर्माण की योजना

39—श्री प्रकाश पन्त—

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में लम्बे समय से बहुउद्देशीय पार्क (अप्पू घर) का निर्माण प्रस्तावित है ? क्या सरकार द्वारा पार्क के लिए भूमि उपलब्ध करा दी गई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में उक्त पार्क का निर्माण करायेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत—

वर्ष 1995—1996 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन की पर्यटन ग्रिड योजना के अन्तर्गत पिथौरागढ़ में अप्पू घर निर्माण की योजना उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत की गई थी, जिस पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। पर्यटन ग्रिड योजना वर्तमान में प्रदेश की नीति में सम्मिलित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण पैराग्लाइडिंग को बढ़ावा देने की योजना

40—प्रकाश पन्त—

क्या पर्यटन मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ में रिवर राफ्टिंग, पर्वतारोहण, पैराग्लाइडिंग की अपार सम्भावनायें हैं ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त खेलों को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य योजना बना रही हैं ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री तेजपाल सिंह रावत–

जी हाँ।

जनपद पिथौरागढ़ में साहसिक पर्यटन से सम्बन्धित इन खेलों के विकास की सम्भावनाओं को देखते हुये पर्यटन विभाग की ओर से गत वर्षों मे रिवर राफ्टिंग के प्रशिक्षण शिवरों/सर्वेक्षण अभियानों को आयोजित किया गया है। इसके अतिरिक्त पर्वतारोहण के क्षेत्र में पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 1987 से नियमित रूप से पर्वतारोहण अभियान, ग्लेशियर अभियान, नये मार्गों की खोज एवं एडवेन्चर फाउन्डेशन कोर्स संचालित किया जा रहे हैं। पर्यटन विभाग द्वारा पैराग्लाइडिंग एवं पैरासेलिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जनपद पिथौरागढ़ में समय–समय पर आयोजित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत राज संशोधन अधिनियम की प्रतिलिपियाँ मा0 सदस्यों को उपलब्ध न कराये जाने पर आपत्ति

*श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, यह इससे सम्बन्धित नहीं है। मान्यवर, आज जो पंचायत राज संशोधन अधिनियम सदन में लाया जा रहा है इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन चाह रहा हूँ कि इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया यह है। उत्तर प्रदेश की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 162 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ : नियम – 161 के अन्तर्गत विधेयक के पटल पर रखे जाने तथा उसकी प्रतिलिपियाँ सदस्यों को वितरित किये जाने के उपरान्त किसी सरकारी विधेयक की दशा में कोई मंत्री या किसी अन्य दशा में कोई सदस्य इस प्रस्ताव की सूचना दे सकेंगे कि विधेयक विचारार्थ लिया जाये।

मान्यवर, नियम 163 में लिखा है कि जब तक कि अध्यक्ष अन्यथा निदेश न दें, नियम 162 में उल्लिखित प्रस्ताव सूचना प्राप्त होने के दिनांक से दो दिन के उपरान्त किसी दिन कार्य–सूची में सम्मिलित एवं सदन में प्रस्तुत किया जा सकेगा।

इसलिए मान्यवर, जब विचार करने का प्रस्ताव आयेगा तो वह 163 के अन्तर्गत ही आयेगा और मान्यवर, इसी के साथ–साथ उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेशों के अनुसार नियम 51 में उल्लेख है कि नियमावली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के नियम 139 के अन्तर्गत विधेयक के किसी खण्ड या अनुसूची में किसी संशोधन की सूचना उस दिन से 36 घंटे पूर्व आ जानी चाहिए जिस दिन विधेयक पर विचार किया जाना हो तथापि सदस्यों की सुविधा की दृष्टि से ऐसे समस्त संशोधन जो किसी दिन अपराह्न 5 बजे तक प्राप्त होंगे, विधान सभा की आगामी दिन की कार्य सूची में छपवा दिये जायेंगे, परन्तु जो संशोधन 36 घंटे के नियम को भंग करके दिये जायेंगे, उनका कार्य सूची में छप जाना इस बात का द्योतक न होगा कि संशोधन नियमित मान लिये गये है और उनको प्रस्तुत करने की अनिवार्य अनुज्ञा मिल गई है। आपत्ति करने पर अथवा अध्यक्ष की राय पर कि संशोधन प्रस्तुत करने योग्य नहीं हैं, ऐसे संशोधन अस्वीकृत किये जा सकेंगे। तो मान्यवर, यह स्पष्ट है कि जो विधेयक या संशोधन सरकार लाना चाहती है, तो उसमें 36 घंटे का समय सदस्यों को अध्ययन करने के लिए मिलना चाहिए और आज ही इसे सूची में लाया गया है, इसे पुरःस्थापित करना है, पारित करना है।

मान्यवर, यह पारित करना नियमों के विरुद्ध है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस पर आवश्यक निर्देश जारी करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी बातों को सुना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नियमों को शिथिल करते हुए पीठ को अधिकार है कि वह किसी विधेयक को नियमों में निर्धारित अवधि से कम समय में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकते है। भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा। यह परम्परा नहीं बननी चाहिए।

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह परम्परा नहीं बननी चाहिए। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, पंचायतों से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसकी गम्भीरता को समझ रहा हूँ भविष्य में यह परम्परा नहीं बनेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण किया।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

अब मैं नियम 301 ले रहा हूँ। आज नियम 301 के अन्तर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्रीमती आशा नौटियाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री प्रकाश पंत, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री हरबंस कपूर तथा श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की कुल दस सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। परम्परानुसार मैं इन सभी 10 सूचनाओं को स्वीकार कर रहा हूँ।

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा पाठ्यक्रम वैधता प्रमाण–पत्र हासिल न कर पाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रीतम सिंह पंवार–

[मान्यवर, 8 दिसम्बर, 2000 को अमर उजाला समाचार–पत्र में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार द्वारा एक वर्षीय बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी०पी०एड०) केवल छात्रों के लिए प्रवेश हेतु एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ। 03 जनवरी, 2001 से विधिवत छात्रों द्वारा 43395.00 पूर्ण शुल्क जमा करने के बाद कक्षायें प्रारम्भ हुई। जून, 2001 में वार्षिक प्रयोगात्मक परीक्षायें भी सम्पन्न कर ली गई। उसके बाद 28 जून, 2001 को एन०सी०टी०ई० (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्) का पाठ्यक्रम अवैधता का विज्ञापन प्रकाशित हुआ। इसके बाद विश्वविद्यालय ने यू०जी०सी० का मान्यता–पत्र लिया। अगस्त, 2001 में उत्तरांचल सरकार द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया। विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम वैधता प्रमाण–पत्र हासिल न कर पाने से प्रशिक्षु नौजवानों का भविष्य अन्धकारमय हो गया है। साथ ही भारी भरकम शुल्क व समय की बरबादी के पश्चात् भी वैधता प्रमाण–पत्र न मिलने से प्रशिक्षु नौजवानों में असन्तोष एवं आक्रोश व्याप्त है ये प्रशिक्षु नौजवान अपने भविष्य के प्रति चिन्तामय एवं उद्वेलित हैं।

अतः मैं इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार से कार्यवाही किये जाने की माँग करता हूँ।]

जनपद हरिद्वार के गूजर समुदाय के लोगों को आरक्षण देने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"

[मान्यवर, पूर्व में शासनादेश के तहत उ०प्र० के कुछ जनपदों में गूजर जाति को विमुक्त जाति का दर्जा प्राप्त था। जनपद हरिद्वार में गूजर विमुक्त जाति दर्ज थी, एवं छात्र–छात्राओं को वजीफा, छात्रवृति आदि निर्गत की जाती थी।

परन्तु उत्तरांचल गठन के पश्चात् गूजर छात्र–छात्राओं की छात्रवृति को रोक दिया गया है। मान्यवर, यह जनहित के विरुद्ध है। गूजर समुदाय क्योंकि पिछड़ा हुआ निर्धन वर्ग है।, अतः आरक्षण बहाल होना अनिवार्य है। अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अशासकीय विद्यालयों में अध्यापकों के पदों को सृजित करने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान उत्तरांचल राज्य के अशासकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ।

इन विद्यालयों को पूर्व में वित्त सहित मान्यता मिली थी लेकिन इन विद्यालयों में पद सृजित नहीं किये गये, जबकि राजकीय विद्यालयों का उच्चीकरण होते ही पद सृजन की प्रक्रिया हो जाती है।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के इन आठ अर्धशासकीय विद्यालयों में पद सृजन न होने के कारण शिक्षा प्रभावित हो गयी है। यहाँ के विद्यार्थी अन्यत्र विद्यालयों में जाने को मजबूर हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके बच्चों ने पढ़ाई बन्द कर दी है। विद्यालय मान्यता प्राप्त है लेकिन शिक्षा देने में अक्षम हैं। इससे जनता आक्रोशित है और आन्दोलित होने की आशंका है।

अस्तु, आपसे अनुरोध है कि इस लोक महत्व के विषय पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए माँग करती हूँ कि उक्त विद्यालयों में अध्यापकों के पदों को सृजित करने हेतु सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें।]

रुद्रप्रयाग में बस पार्किंग की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।

श्रीमती आशा नौटियाल–

[मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय होने के साथ–साथ मुख्य यात्रा मार्ग भी है। क्षेत्रीय जनता तथा पर्यटकों द्वारा काफी लम्बे अरसे से यह माँग की जाती रही है कि यहाँ पर बस पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा 80 लाख रुपये पार्किंग हेतु स्वीकृत हुए थे परन्तु उसमें से उक्त कार्य हेतु केवल 10 लाख रुपये ही अवमुक्त किये गये थे। जिससे कि निर्माण कार्य अपूर्ण है। जनता लगातार बस पार्किंग व्यवस्था को अविलम्ब पूर्ण कराये जाने की माँग करती आ रही है। जनहित में तत्काल शेष रुपया भी निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त किया जाय।

अतः इस ओर मैं मा० अध्यक्ष जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही की माँग करती हूँ।]

बद्रीकेदार मन्दिर समिति का गठन कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट–

[मान्यवर, बद्रीकेदार मन्दिर समिति का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात् समिति की व्यवस्था प्रशासक को सौंपे जाने के परिणाम स्वरूप समिति की आन्तरिक एवं वाह्य व्यवस्था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।
नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के संचालन में अत्यधिक कठिनाईयाँ आ रही है, जिससे यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, समिति के अन्तर्गत बद्रीनाथ एवं केदारनाथ के साथ–साथ अनेकों प्रसिद्ध मन्दिरों का संचालन भी करता है। ऐसे में शासकीय व्यवस्था इसे संचालित करने में असमर्थ है।

अतः महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से तत्काल मन्दिर समिति जिसमें स्थानीय लोगों की प्राथमिकता हो, गठन की माँग करता हूँ।]

उत्तरांचल के माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को तीन वर्षों से मानदेय भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में

नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश पंत–

[मान्यवर, उत्तरांचल के माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में रोजगार–परक व्यवसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेडों के पूर्ण निष्ठा व लगन से अध्यापन कार्य कर रहे व्यवसायिक शिक्षक आयु की अधिकता के कारण अन्यत्र आजीविका के योग्य नहीं रह गये हैं। परन्तु व्यवसायिक शिक्षकों की विनियमितीकरण की माँग पर कोई कार्यवाही नहीं हो पायी है और न ही उनके द्वारा मानदेय प्रतिमाह पाँच हजार रुपये करने की माँग पर कोई गौर किया गया। लम्बे समय से अपने कार्य पर नियमित जा रहे इन शिक्षकों को विगत दो तीन वर्षों से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

उत्तरांचल में लोक निर्माण विभाग द्वारा कृषकों को भूमि कटान, दबान के मुआवजे का शीघ्र भुगतान कराने के सम्बन्ध में

नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

[मान्यवर, लोक निर्माण विभाग सड़कों पुलों का निर्माण करवाता है। सड़क–पुल निर्माण में कृषकों की कृषि भूमि अधिग्रहण की जाती है। नियमानुसार लोक निर्माण विभाग को कृषकों की भूमि का कटान, दबान का मुआवजा देना पड़ता है। सड़कों पुलों का निर्माण हो जाता है। किन्तु वर्षों से कृषकों को लोक निर्माण विभाग से भूमि कटान, दबान का मुआवजा नहीं दिया गया है। मात्र आश्वासन पर ही जनता सड़कों को अपनी नाप भूमि में सड़क कटवाती है। वर्षों बीत गये कृषकों को मुआवजा भुगतान नहीं हुआ है। लो0नि0वि0 के अधिकारी टालते रहे हैं। अधिकारियों का स्थानान्तरण हो जाता है। नया अधिकारी अपनी अनभिज्ञता प्रकट करता है। मामला लम्बे समय के लिए टल जाता है। बेचारा कृषक अपनी बात किससे कहे ?

मैं माननीय सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सम्पूर्ण उत्तरांचल में लोक निर्माण विभाग द्वारा कृषकों को जो भूमि कटान, दबान का मुआवजा दिया जाना है उसका शीघ्र भुगतान उन्हें करवाए।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

काष्ठ एवं लौह कला उत्पादक लि0 नथुवावाला रायपुर, देहरादून द्वारा फैलाये जा रहे ध्वनि एवं प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में

नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

[मान्यवर, काष्ठ एवं लौह कला उत्पादन लि0 नथुवावाला रायपुर, देहरादून द्वारा फैलाये जा रहे ध्वनि एवं प्रदूषण से उस क्षेत्र में रह रहे निवासी अत्यन्त दुःखी एवं आक्रोशित हैं। क्षेत्र की जनता ने लम्बे समय से उक्त प्रदूषण युक्त फैक्ट्री को तुरन्त बन्द किये जाने की माँग की है। फैक्ट्री सभी नियमों को ताक में रखकर धड़ल्ले से चल रही है। राज्य में प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने भी फैक्ट्री को नियम विरुद्ध और प्रदूषण फैलाने वाली मान कर बन्द करने की अनुशंसा की है लेकिन कोई कारगार कार्यवाही नहीं हुई है।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए सरकार से प्रभावी कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

नगर निगम देहरादून द्वारा जन्म प्रमाण–पत्र जारी करने में विलम्ब के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरबंस कपूर–

[मान्यवर, निगम देहरादून द्वारा जन्म प्रमाण–पत्र जारी करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जा रहा है, जिस कारण आम जनता को काफी असुविधाएं सहनी पड़ रही है।

मान्यवर, आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना है कि राज्य नगर विकास अभिकरण द्वारा सूडा–डूडा के माध्यम से बालिका समृद्धि योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 15 अगस्त, 1997 के पश्चात् जन्मी बालिका की माता को पाँच सौ रुपये मूल्य के बचत–पत्र एवं बालिका बीमा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, इसके अतिरिक्त अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाण–पत्र की आवश्यकता पड़ती है।

महोदय, नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही के कारण जन्म प्रमाण–पत्र उपलब्ध होने में हो रही अनावश्यक विलम्ब से जहाँ एक ओर सरकारी योजना का समुचित लाभ बालिकाओं को नहीं मिल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर आम जनता को इसके लिए काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

महोदय, अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर, समस्या के समुचित समाधान की माँग करता हूँ।]

उत्तरांचल के वरिष्ठ सहायक वन संरक्षकों की उप निदेशक पदों पर तैनाती देने एवं उ0प्र0 के विकल्पधारियों को कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

[मान्यवर, मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि प्रान्त प्रान्तीय वन सेवा के उप निदेशक (डी0एफ0ओ0) उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल में तैनात हैं, जब कि उत्तरांचल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विकल्प के वरिष्ठ सहायक वन संरक्षकों को उप निदेशक के रिक्त पदों पर तैनात किया जा सकता है, विगत वर्ष में भी ऐसा किया गया है, यहाँ तक कि ''मेहरा कमेटी'' की संस्तुति दिनांक 28-04-2001 के विपरीत अनेक उत्तर प्रदेश विकल्पधारी सहायक वन संरक्षण एवं उप निदेशक का विकल्प परिवर्तन किया गया है, जो नियमों के विपरीत है।

फलस्वरूप उत्तरांचल के वरिष्ठ सहायक वन संरक्षकों को रिक्त उप निदेशकों के पद पर समायोजित करने के कारण भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यानाकर्षित करते हुए पूर्व की भाँति वरिष्ठ सहायक वन संरक्षकों की उप निदेशक पदों पर तैनाती दी जाय तथा उत्तर प्रदेश के विकल्पधारियों को तत्काल कार्यमुक्त किया जाय।]

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 में पहली सूचना माननीय सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी जी की सूचना कल दिनांक 13 जून, 2002 के उपवेशन की कार्यवाही के सम्बन्ध में है चूँकि यह पीठ के निर्णय के सम्बन्ध में है। अतः मैं इसको उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ परन्तु मैं इसे नियम 56 में, मैं इसे सुन लूँगा। दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट की है जो 3 जून, 2002 को माननीय सदस्य श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत द्वाराहाट में श्री पंकज वर्मा की हत्या के सम्बन्ध में दी है। मैं इसे नियम 56 की सूचनाओं में ले लूँगा।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री [डा0 (श्रीमती) इन्दिरा हृदयेश]–

मान्यवर, मेरे पास सूचना उपलब्ध है मैं इसे सदन को बता देती हूँ।

द्वाराहाट में श्री पंकज वर्मा की हत्या के सम्बन्ध में

*श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आप जरा सा मुझे सुन लें। श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत सूचना के माध्यम से तथ्य माँगे गये थे। द्वाराहाट में किसी पंकज वर्मा का मर्डर कर दिया गया था और उस पर नियम 56 के अन्तर्गत आपने सुनने का अवसर दिया था। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर देने में घटनाओं की तारीख में काफी अन्तर हो गया था। 26 तारीख की घटना को 24 तारीख बता दिया गया। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मैं इसके बारे में कल सदन में बता दूँगी और आपकी तरह से भी निर्देश आ गये थे तो इसे अपने आप माननीय मंत्री जी को दूसरे दिन बता देना चाहिए था। मान्यवर, अधिकारी से गलती हो सकती है, मिसप्रिन्टिंग हो सकती है। मैं किसी अधिकारी को दण्ड देने के लिए आपसे नहीं कह रहा हूँ। गलती तो होती ही है परन्तु आपकी पीठ से जो निर्देश दिये जाते है उससे कोई टस से मस नहीं हो सकता। आपने कहा उठ तो उठ और बैठ तो बैठ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज तक यह स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं आया है। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि किसी को अकारण पनिश किया जाये। मान्यवर, मेरा इतना कहना है कि अगर आपके संज्ञान में होता है तो दूसरे दिन आ जाता। मान्यवर, पीठ के जो निर्देश होते हैं वह पूरे होने चाहिए। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि एक हत्या हो गई है तो सरकार को कुछ न कुछ मुआवजा देना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि पीठ के निर्देश सरकार को हो जाये कि उनको कुछ न कुछ मुआवजा दें।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, यह पहली घटना नहीं उस क्षेत्र में आये दिन गैंगवार होती रहती है। मान्यवर, मेरी पहली माँग थी कि दंगा अपराधियों को दण्डित करना और दूसरी मेरी माँग थी कि कम से कम 2 लाख रुपयों का मुआवजा दिया जाये और तीसरी मेरी माँग थी कि द्वाराहाट में जो थाना है वह नहीं खुला है। मान्यवर, अगर इन तीनों कार्य के लिए अध्यक्ष जी निर्देश देंगे तो मुझे विश्वास है कि जो स्थिति है वह भविष्य में नहीं होगी।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस घटना के सम्बन्ध में सदन में आया था और शासन के द्वारा उत्तर दिया गया था। मान्यवर, इसकी तिथि में त्रुटि है मैंने सदन को बताया था। जब यह सदन में आया नहीं था तब से मेरे द्वारा इसकी जानकारी मंगा ली गई और इस पर जो कार्यवाही करनी थी वह भी की गई। मान्यवर, दिनांक 26–03–2002 को अल्मोड़ा जनपद की तहसील रानीखेत के द्वाराहाट कस्बे में श्री पंकज वर्मा नामक व्यक्ति की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सायं 7:30 बजे हत्या कर दी गई थी। घटना के तुरन्त बाद ही राजस्व पुलिस क्षेत्र में धारा 302 ता0 हि0 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कर अनुसंधान का कार्य राजस्व पुलिस द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया था किन्तु क्षेत्रीय जनता द्वारा इस अपराध की विवेचना नागरिक पुलिस से करवाये जाने की माँग को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 15–04–2002 को इस अपराध के विवेचना का कार्य नागरिक पुलिस को हस्तांतरित कर दिया गया।

मान्यवर, वर्तमान में इस केस की विवेचना नागरिक पुलिस (थानाध्यक्ष रानीखेत) द्वारा की जा रही है। दिनांक 04–06–2002 को दी गयी सूचना त्रुटिवश पुलिस उपाधीक्षक श्री आर0पी0 वर्मा जनपद अल्मोड़ा से स्पष्टीकरण माँगा गया और उनका स्पष्टीकरण प्राप्त हो चुका है वह कम्युनिकेशन की त्रुटि से हुआ, इस सम्बन्ध में बहुत सी राय मुझे प्राप्त हुई हैं, उनका स्थानान्तरण मुझे उचित नहीं लगा। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि घर से उठाकर ले गये, वह गम्भीर प्रकरण है। मैंने इस सम्बन्ध में पहले ही निर्देशित कर दिया था और पुनः आज मैंने इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। अभी तक गृह विभाग द्वारा उन नामों को स्पष्ट इंगित नहीं किया जा सका है, जो इसमें शामिल हैं। मृतक के परिवार को इस सम्बन्ध में सहयोग दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार–विमर्श कर आपकी इच्छानुसार मुआवजा दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं, श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी की सूचना पर श्री अजय भट्ट की सूचना को अस्वीकार करता हूँ।

विधान सभा उपवेशन के दिनों में सभी मा0 सदस्यों के वाहन प्रवेश गेट के बाहर रोकने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत तथा 17 अन्य मा0 सदस्यों द्वारा दिनांक 20 मार्च, 2002 को प्रक्रिया नियमावली के नियम 64 के अन्तर्गत विशेषाधिकार हनन की सूचना दी गयी थी। प्राप्त सूचनानुसार माननीय सदस्यगण का कथन है कि विधान सभा के प्रथम सत्र के दौरान दिनांक 18 मार्च, 2002 से विधान सभा उपवेशन के दिन से सभी माननीय सदस्यों के वाहन विधान सभा भवन के प्रवेश गेट के बाहर रोक दिये गये और गेट पर अत्यधिक भीड़ होने के कारण माननीय सदस्यगण सदन में समय पर नहीं पहुँच पाये, जबकि शासन के सचिव, अपने–अपने वाहनों में बैठकर विधान भवन में प्रवेश करते रहे। माननीय सदस्य उनके सामने ही अपने वाहनों से उतर कर विधान भवन तक पैदल आते रहे। माननीय सदस्यगण का कथन है कि इससे सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का अपमान होने के साथ उन्हें समय पर सदन में उपस्थित होने में विलम्ब के कारण विशेषाधिकार का हनन हुआ है। माननीय सदस्यगण से प्राप्त विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना के विषय में परीक्षण करने के उपरान्त पाया गया कि विधान सभा के प्रथम सत्र की तैयारियों के पूर्व दलीय नेताओं की बैठक दिनांक 13 मार्च, 2002 को की गयी थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि विधान सभा परिसर के अन्दर पर्याप्त स्थान न होने के कारण माननीय सदस्यों के वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था विधान सभा भवन के परिसर के बाहर की जाय। माननीय सदस्यों को जो असुविधा हुई वह मेरे संज्ञान में दिनांक 18 मार्च, 2002 को ही आ गयी थी तथा मेरे द्वारा उसी दिन आदेश दिये गये थे कि माननीय सदस्यगण के वाहनों को विधान सभा के प्रवेश द्वार पर ही न रोका जाये और उनको वाहनों सहित विधान सभा परिसर में प्रवेश करने दिया जाय। इन आदेशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया गया जिसके कारण प्रथम सत्र के अनुवर्ती उपवेशनों में माननीय सदस्यों को इस सम्बन्ध में कोई असुविधा नहीं हुई। प्रश्नगत सूचना के सम्बन्ध में अनुभव किया गया है कि विधान सभा भवन परिसर में पार्किंग स्थल पर स्थान की कमी को देखते हुए माननीय सदस्यों की सुरक्षा तथा सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए दलीय नेताओं की बैठक में निर्णय लिया गया था, जिसके अनुपालन में सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गयी व्यवस्था में माननीय सदस्यों को असुविधा हुई। जैसा कि अवगत कराया गया है कि माननीय सदस्यों के वाहनों को विधान सभा परिसर में प्रवेश की व्यवस्था उसी दिन अर्थात् शिकायत प्राप्ति की तिथि को ही कर दी गयी थी। दलीय नेताओं की बैठक में लिये गये निर्णय की पृष्ठभूमि तथा माननीय सदस्यों की सुरक्षा व सुविधा के प्रकाश में यह पाया गया है कि माननीय सदस्यगण द्वारा दी गयी प्रश्नगत विशेषाधिकार हनन की सूचना ग्राह्य नहीं है तथा उपरोक्त व्यवस्था से माननीय सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन नहीं हुआ है। अतः मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूँ।

कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 14 जून, 2002 की बैठक में दिनांक 14 जून, 2002 के उपवेशनों का कार्यक्रम नियमों को शिथिल करते हुए निम्नलिखित मदों को भी जोड़े जाने की सिफारिश की है :–

14 जून, 2002

शुक्रवार

(1) उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन।

(2) उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण।

(3) देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 का पुरःस्थापन।

(4) देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार एवं पारण।

(5) उत्तरांचल राज्य के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 से सम्बन्धित संकल्प को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित संकल्प का प्रस्तुतीकरण :–

"जबकि उत्तरांचल विधान सभा यह विचार करती है कि उत्तरांचल राज्य के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 से सम्बन्धित अथवा उसके सहायक प्रासंगिक सभी मामलों के लिए एक कानून होना वांछनीय है;

और जबकि, ऐसे कानून की विषयवस्तु मुख्यतः भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्टि 15 में बताये गए विषय से सम्बद्ध है;

और जबकि संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथाप्रदत्त को छोड़कर उपरोक्त सूची II में प्रविष्टि 15 में बताये गये विषय से सम्बन्धित राज्यों के लिए ऐसे कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है;

और जबकि, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 से सम्बन्धित संघ और राज्य दोनों सरकारों की ओर से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् लागू है;

और जबकि, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 को उत्तरांचल राज्य में लागू किया जाना वांछनीय महसूस किया जा रहा है;

अतएव, अब "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह उत्तरांचल विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 से संबन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों को उत्तरांचल राज्य के लिए अंगीकार कर लिया जाए।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गई, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 56 में कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जिनमें श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्री प्रकाश पंत, श्री मदन कौशिक, श्री काशी सिंह ऐरी व श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी और पाँचवीं सूचना श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की है। इन्हें मैं ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, विद्युत विभाग के प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार अप्रेन्टिस अपनी नियुक्ति/समायोजन की माँग को लेकर कई वर्षों से संघर्षरत हैं। विभाग द्वारा 10 मार्च, 2002 को सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका इनके द्वारा पुरजोर विरोध किये जाने पर उक्त परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। पूर्व में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विभिन्न शासनादेशों व माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रशिक्षण प्राप्त अप्रेन्टिस उपलब्ध होने की दशा में सीधी भर्ती न की जाये। यदि सम्बन्धित अप्रेन्टिस का पद रिक्त न हो तो उसे किसी भी पद पर रख लिया जाये। जिससे अप्रेन्टिस बेरोजगार न रहें एवं मानव संसाधनों का दुरुपयोग होने से बचा जा सके। शासनादेशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि इनकी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करते हुए वरिष्ठता को ध्यान में रखकर सूची बनाई जाये।

विभाग में बड़ी संख्या में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं और प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार अप्रेन्टिस विधान सभा भवन के बाहर अपनी न्यायोचित माँग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर हैं।

अतः मैं इस अति लोक महत्व के प्रश्न का कार्यस्थगन की माँग करता हूँ और सदन में इस विषय पर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

*राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

मान्यवर, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन में तकनीशियन ग्रेड–2 के 120 पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 10–3–02 को परीक्षा निर्धारित थी, जो स्थगित हुई। पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षुओं के द्वारा कई वर्षों से माँग की जाती रही है कि विद्युत परिषद्/पावर कारपोरेशन में उन्हें सीधी नियुक्ति दी जाए। उनकी ओर से उत्तराखण्ड बेरोजगार विद्युत अप्रेन्टिस कल्याण एसोसिएशन, उत्तरांचल विद्युत कर्मचारी संघ आदि संघों द्वारा भी संस्तुति की गई है। प्रशिक्षुओं को सेवायोजित करने के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर कई आदेश पारित हुए हैं जिन सभी का विस्तृत परीक्षण करने के उपरान्त ही शासन स्तर से कार्यवाही की जायेगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों पर विधिक परीक्षण पूर्व में भी हुआ है और पुनः किया जा रहा है। शीघ्र ही इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? मान्यवर, कोई समय सीमा निर्धारित की जाए।

श्री किशोर उपाध्याय–

मान्यवर, प्रशिक्षुओं को सेवायोजित करने के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर कई आदेश हुए हैं। इन सभी का विस्तृत परीक्षण करने के उपरान्त ही शासन स्तर से कार्यवाही की जायेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सभी निर्णयों पर विधिक परीक्षण करवाया जा रहा है विधिक परीक्षण उपरान्त ही इस पर कार्यवाही की जा सकती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री प्रीतम सिंह पंवार जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को मैं अग्राह्य करता हूँ।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी राज्यों के खाद्यान्न थोक व फुटकर विक्रेताओं के लिए किसी अनुज्ञा–पत्र और लाइसेंस की बाध्यता समाप्त करते हुए यह व्यवस्था कर दी थी कि कोई भी व्यापारी स्वतंत्र रूप से किसी भी मात्रा में गेहूँ, धान, चावल, मोटा अनाज, चीनी, खाद्य तेल का क्रय भण्डार, विक्रय कर सकता है। परन्तु उत्तरांचल के अन्दर आज तक उक्त आदेश अभी तक प्रभावी नहीं हो पाए हैं। जिस कारण व्यापारियों में तथा क्षेत्र की जनता में आक्रोष व्याप्त है। मान्यवर, मैं इस आदेश की प्रति आप कहेंगे तो पटल पर भिजवा दूँगा। इस सम्बन्ध में दो आदेश राज्य सरकार की तरफ से भी निर्गत किये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गये एक 18 मार्च, 2002 को तथा दूसरा 27 मार्च, 2002 को, कि इनका पालन किया जाए। आज उत्तरांचल के जितने भी खाद्य व्यापारी हैं वे अनिश्चय की स्थिति में हैं। भारत सरकार ने आदेश दिए हैं, राज्य सरकार ने भी निर्देश दिए, लेकिन आज तक इस सम्बन्ध में कोई कारगर, कदम नहीं उठाए गये। चारों तरफ खाद्यान्न का संकट बना हुआ है। लाइसेंस फीस मुक्त की जानी चाहिए। जैसी इच्छा इस राजपत्र में दी गई है।

मान्यवर, उसी के आधार पर प्रदेश सरकार ने आदेश निकाला था, उसका पालन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए इस लोक महत्व के प्रश्न पर सम्पूर्ण सदन की कार्यवाही को रोककर मैं चर्चा कराने की माँग करता हूँ। यह स्पष्ट होना चाहिए कि सरकार क्या चाहती है।

*राजस्व मंत्री (डॉ0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रकाश पंत जी ने पूरे प्रदेश की जनता और व्यापारी भाईयों की चिन्ता व्यक्त की है और इस सम्बन्ध में नियम 56 के अन्तर्गत आपके माध्यम से सदन के सामने जो बिन्दु उन्होंने उठाए हैं, उसमें कहा कि 18 मार्च को एक शासनादेश निर्गत किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे कहना है विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचालन निर्बंधन) हटाने सम्बन्धी भारत सरकार के असाधारण गजट सं0 भाग–11 खण्ड 3 उप खण्ड (1) दिनांक 15 फरवरी, 2002 एवं असाधारण गजट संख्या भाग–11 खण्ड 3 उप खण्ड (1) दिनांक 12 फरवरी, 2002 के अनुसार सभी राज्यों के खाद्यान्न थोक व फुटकर विक्रेताओं के लिए किसी अनुज्ञा–पत्र या अनुज्ञाप्ति की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है जिसके प्रवृत्त होने से किसी भी व्यापारी द्वारा किसी भी मात्रा में गेहूँ, धान, चावल, मोटा अनाज, चीनी, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल का क्रय भण्डार, विक्रय, वितरण एवं संचालन पर पाबन्दी हटा दी गयी है। भारत सरकार के उक्त गजट नोटिफिकेशन के सम्बन्ध में उत्तरांचल शासन के आदेश संख्या 382/अ0स0खा0/खाद्य/नियंत्रण/2002, दिनांक 18 मार्च, 2002 द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के आदेश आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा समस्त जिलाधिकारियों,सम्भागीय खाद्य नियंत्रक एवं जिला पूर्ति अधिकारियों को दे दिये गये हैं तथा मार्च, 2002 से राज्य में भारत सरकार के उक्त गजट नोटिफिकेशन पूरे राज्य में प्रभावी है तथा किसी भी प्रकार का प्रवर्तन कार्य नहीं किया जा रहा है।

मान्यवर, राज्य सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि उक्त आदेश के विरुद्ध व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, चूँकि, माननीय पंत जी ने जो नियम 56 में लिखा है, उसमें उन्होंने प्रदेश सरकार के आदेश के उल्लंघन की बात नहीं कही है किन्तु अपने सम्बोधन में उन्होंने इसका उल्लेख किया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार के द्वारा जो गजट नोटिफिकेशन किया गया था, उसका पालन प्रदेश सरकार ने किया और आदेश जारी कर दिए गये। मुझे 13 जनपदों में से 10 जनपद में जाने का अवसर मिला और मैंने हर जिले में बैठक ली है, मुझे किसी भी जनपद में व्यापारियों के शोषण की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। प्रदेश के व्यापार संघ के पदाधिकारी मुझे मिले थे, मैंने उनसे कहा है कि किसी भी तरह की शिकायत मिले तो, दूरभाष से मुझे अवगत करा सकते हैं, जिलाधिकारी को अवगत करा सकते हैं, जिला पूर्ति अधिकारी को अवगत करा सकते हैं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हमारे सचिव को अवगत करा सकते हैं और पिछले 2 माह से बहुत से उद्योग व्यापार मण्डल के प्रतिनिधि मुझे मिले थे, पूरे प्रदेश के किसी भी व्यापारी भाई की कोई शिकायत नहीं आयी और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि शिकायतें मिल रही हैं और आक्रोश बढ़ रहा है। मान्यवर, हमारे पंत जी को तो हर चीज में आक्रोश दिखाई पड़ता है, शान्ति कहीं नहीं दिखाई दे रही है इसलिए मैं आपके माध्यम से श्री पंत जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपने आक्रोश को ठण्डा करें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, सत्ता के बल में यह अशान्त करना चाहते हैं।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि श्री पंत जी अपने आक्रोश को शान्त करें और जो ज्वलन्त समस्याएं प्रदेश की हों उन्हीं को लें, बे–फिजूल की बातें न कहें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, खाद्यान्न की समस्या बे–फिजूल की नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसे इतने हल्के से न लिया जाए, यह गम्भीर विषय है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी के सचिव के माध्यम से 18 मार्च के शासनादेश के अनुपालन न हो पाने के कारण 27 मई को फिर जारी किया जिसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ।

आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र या अनुज्ञप्ति के प्रतिबन्ध से मुक्त किये जाने विषयक भारत सरकार के राजपत्र संख्या 87 दिनांक 15 फरवरी, 2002 की प्रतिलिपि इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि इस सम्बन्ध में अधीनस्थ कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश अपने स्तर से निर्गत करते हुए अनुपालन कार्यवाही सुनिश्चित करवायें।

मान्यवर, इस पर कोई कार्यवाही न होने के कारण आज मुझे पुनः इसे सदन के सामने रखना पड़ रहा है। माननीय मंत्री जी तो ऐसे हो गये जैसे सावन में अन्धे को हमेशा हरा ही दिखाई देता है।

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य, मैंने अभी उल्लेख किया कि माननीय पंत जी ने कहा कि रावत जी को कम सुनाई देता है इसलिए वे ऊँची आवाज में बोलते हैं। किन्तु मान्यवर, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य को कम सुनाई देता है और मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूँगा कि प्रकाश पंत जी के कानों की निःशुल्क जाँच करवाई जाए और मैं समझता हूँ कि पूरा सदन इससे सहमत होगा। मैं माननीय सदस्य के 27 मई के किए गये शासनादेश के उल्लेख के बारे में कहना चाहता हूँ कि मैंने अभी अवगत कराया कि 18 मार्च को पत्र जारी हुआ। जब व्यापारिक मण्डल का प्रतिनिधि मुझसे मिला और मैंने इसकी जानकारी दी तो उन्होंने कहा कि उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरा पत्र जारी कर दें।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, क्यों कर दें ?

डॉ0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, इससे प्रदेश सरकार की मंशा जाहिर होती है, हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, हमारी ईमानदारी में, प्रदेश सरकार की ईमानदारी में किसी भी प्रकार की खोट नहीं है।

मान्यवर, इसलिए मैंने आपके माध्यम से अवगत कराया कि किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली है। मैंने अखबारों के माध्यम से व्यापारी भाईयों को भी अवगत कराया है।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हरिद्वार में ऋषिकुल विद्यापीठ नाम की एक संस्था है। इस संस्था की स्थापना पं0 मदन मोहन मालवीय जी ने की थी और माननीय अध्यक्ष जी, 1986 में उस संस्था में जो कमेटी कार्य कर रही थी, उस कमेटी ने 150–160 दुकानें कुछ लोगों को किराये पर दी। उनसे 150–250 रुपया किराया निश्चित किया गया। इसके बाद 15 मई, 1977 में वहाँ अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड बनता है, उसमें करीब 88 दुकानों को तोड़ा गया, लेकिन नगर विकास मंत्री जी का एक आदेश जारी हुआ कि इनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी। इसके बाद वहाँ के जिलाधिकारी और कमिश्नर आदेश जारी करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। इनमें से बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जिनके बच्चों का एडमिशन स्कूल में इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। किसी दुकानदार की लड़की की शादी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, उनकी आजीविका का साधन छीन लिया गया है, आदेशों का आज तक पालन नहीं हुआ है। मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है। आपसे अनुरोध है कि इस पर चर्चा कराई जाये।

*वन एवं पर्यावरण मंत्री (नव प्रभात)–

माननीय सदस्य की सूचना में यह बात सही है कि पिछले कुम्भ के समय इस संस्था की भूमि पर दुकान लगाने के लिए संस्था ने परमीशन दे दी थी, लेकिन ये दुकानें अस्थाई थीं, इनका पक्का निर्माण नहीं था और उनसे जमीन का किराया संस्था लेती थी।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अस्थाई दुकानें होने के कारण इनका किसी भी प्रकार का स्वामित्व वहाँ पर प्राप्त नही था। कुम्भ के समय दुकानें हटा दी गई और वहाँ पर बस स्टैण्ड की व्यवस्था कर दी गई। ये दुकानें वहाँ पर दोबारा लगाई जा सकती थीं और माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि तत्कालीन नगर विकास मंत्री ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए निर्देश दिये थे। ये निर्देश मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। यदि आपके पास इसकी प्रतिलिपि हो तो मुझे उपलब्ध करा दें। मैं इस पर आवश्यक कार्यवाही करूँगा। इस संस्था से सम्बन्धित एक विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है और वह संस्था के आपसी पदाधिकारियों के विषय में है। इसलिए स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय से कोई निर्णय नहीं आ जाता है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, जो विवाद है वहाँ कमेटी और सरकार के बीच है। यह तो दुकानों का अलग है। मान्यवर, वहाँ वास्तव में 88 परिवार की आजीविका का संकट है। स्थिति जर्जर है और बहुत बड़ी व गम्भीर स्थिति है। इसलिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। तीन साल से वह आदेश कहाँ चले गये।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं सहमत हूँ और वहाँ आदेश तीन साल से कहाँ अटक गए। माननीय सदस्य नगर विकास मंत्री जी के उस आदेश की जानकारी करा देंगे, तो मैं इसे अवश्य देखूँगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से कार्य स्थगन की सूचना के माध्यम से यह प्रकरण सदन के समक्ष रख रहा हूँ। हमारे प्रदेश का एक बड़े विश्वविद्यालय से सम्बन्धित यह मामला है, मैं इसकी पृष्ठभूमि को लेकर बाद में असली बिन्दु पर आना चाहूँगा। पृष्ठभूमि में यह कहना चाहता हूँ कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय में जो अनियमितताएं हो रही हैं खास तौर से वित्तीय अनियमितताएं और साथ नियुक्तियों में अनियमितताएं की जा रही हैं। यह बहुत गम्भीर अनियमितताएं हैं। मेरी निश्चित जानकारी है कि इन तमाम शिकायतों को लेकर कम से कम 20–25 माननीय सदस्यों के द्वारा जिनमें कुछ मंत्रीगण भी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस सम्बन्ध में शिकायत की है। वर्तमान कुलपति जिनका दूसरा कार्यकाल है ऐसा लगता है कि कुलपति अपने को इस विश्वविद्यालय का तानाशाह समझ रहे हैं। विश्वविद्यालय के नियम कानून, विश्वविद्यालय का एक्ट एण्ड

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्टेट्यूट से उनका कोई लेना देना नही है। भारत के संविधान मे आरक्षण की जो अव्यवस्था है उसे वह मानने के लिए तैयार नहीं है। (लाइट चले जाने कारण)...... मान्यवर, दस नियुक्तियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल अनियमित हुई है जिसमें विश्वविद्यालय के नियम, कानून, विश्वविद्यालय के एक्ट का खुल्लम–खुल्ला उल्लंघन किया गया है। जिसको उन्होंने चाहा, अपनी मर्जी से नियुक्ति कर दी। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू बजट का है। बजट कैसे खर्च किया जाए उसकी एक निश्चित प्रक्रिया है। विश्वविद्यालय के एक्ट एण्ड स्टेट्यूट में यह लिखा हुआ है परन्तु उसका भी वो अनुपालन नहीं कर रहे हैं। वह इसका अनुपालन करने की भी आवश्यकता नहीं समझते हैं मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं।

मान्यवर, एक डा0 जीत राय जी हैं उन्होंने कम से कम डेढ़ दो साल पहले से आरक्षण के मुद्दे पर विश्वविद्यालय का ध्यान आकर्षित किया कि आप आरक्षण की व्यवस्था को यहाँ सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं, मान्यवर, यह गम्भीर आरोप था यह संविधान के उल्लंघन का आरोप था। मान्यवर, कुलपति जी ने इस पर भी गौर करना उचित नहीं समझा। नौबत यह आ गई कि डा0 जीत राय जी ने 17 जून से आमरण अनशन पर बैठने की नोटिस दी है। इससे विश्वविद्यालय के लोगों में असंतोष का वातावरण पैदा हो गया। मान्यवर, वहाँ एक वर्ग विशेष में यह संदेश गया कि सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मान्यवर, इसमें मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की जाये।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज शिक्षा संस्थाओं में गढ़वाल विश्वविद्यालय सबसे उच्च शैक्षिक संस्थान है, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कुमाऊँ विश्वविद्यालय जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है उससे पूरे प्रदेश में आक्रोश है। मान्यवर, आज तक आरोपियों की कोई जांच नहीं हुई। मान्यवर, 5 साल से अखबारों में कुलपति की अनियमितताओं, भ्रष्टाचार के आंकड़े छप रहे हैं लेकिन कहीं से कोई जांच नहीं हुई। मान्यवर, जब गढ़वाल विश्वविद्यालय में 1995 में कुलपति थे तो वहाँ के शिक्षकों और कर्मचारियों ने उन पर गम्भीर आरोप लगाये थे और इनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार ने जांच गठित की थी और उस जाँच का क्या हुआ अभी तक पता नहीं। इसके बाद इनको कुमाऊँ विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया और वहाँ की हालत खराब है। मान्यवर, 106 लोग संविदा पर नियुक्त हैं। मान्यवर, विश्वविद्यालय में अपने खास व्यक्ति के लिए नियमों को ताक पर रखकर उनको 4–4 वेतन वृद्धि दी गई। मान्यवर, कुलपति के निजी रिश्तेदार को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी पर नियुक्त किया। जबकि हमारे यहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी का नियम है कि प्रदेश के लोगों को ही नियुक्त किया जायेगा। मान्यवर, 1995–96 को व्यय 6 लाख था।

मान्यवर, जिस समाज को हम न्याय देने की बात करते हैं, तो कुलपति उन्हें निकालने की धमकी देते हैं इससे एक बड़ा संकट इस विश्वविद्यालय में व्याप्त हो गया है। अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराने की माँग करता हूँ।

*राज्य मंत्री (श्री साधूराम)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की चिन्ता के प्रति मेरी यह टिप्पणी है कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है, जिसका संचालन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 तथा इसके अन्तर्गत तैयार की गई परिनियमावली की व्यवस्थाओं के अधीन किया जाता है। माननीय सदस्यगणों द्वारा नियम 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना में किसी विशिष्ट शिकायत तथा अनियमितता का उल्लेख नहीं किया गया है। विश्वविद्यालय अधिनियम में शिकायतों अनियमितताओं की सुनावाई एवं निवारण के लिए नियमानुसार प्राविधान किया गये हैं। नियम 56 में दी गई सूचना सामान्य एवं विस्तीर्ण प्रकृति की है, जिसमें किसी विशिष्ट शिकायत विशेष आदि का उल्लेख नहीं हैं। यदि किसी विशिष्ट बिन्दु पर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो पूरे बिन्दु पर नियमानुसार जाँच निर्धारित प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आज माननीय मंत्री जी ने पहली बार इस सदन में कोई बात पढ़ी, यह अच्छी बात है। लेकिन इतने गम्भीर विषय में माननीय अधिकारी ने जो उत्तर बनाकर दिया है उसका परीक्षण कर रहे हैं। विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है, हमें भी पता है, लेकिन विश्वविद्यालय के लिए जो नियम बनते हैं वे सरकार बनाती है। सरकार के निर्देशानुसार वह विश्वविद्यालय बनता है उसको यदि एक अरब रुपया देना है तो उसका निर्धारण भी सरकार करती है। अगर वहाँ अनियमित नियुक्तियाँ की जा रही हैं तो क्या सरकार कुछ नहीं करेगी। मान्यवर, आरक्षण की सुविधा संवैधानिक है, और जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर होता है। मैं अनुरोध करता हूँ कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यहाँ बैठी हैं, वे इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब देंगी तो अच्छा होगा। क्योंकि एक्ट में स्पष्ट लिखा है ऐसे मामलों की राज्य सरकार जाँच कर सकती है। आज मेरे पास एक्ट की कापी नहीं है, यदि सरकार चाहती है, तो मैं इसे उपलब्ध करवा दूँगा। आज पंजाब में क्या–क्या हो रहा है। यदि आपकी सरकार ऐसे मामलों को गम्भीरता से नहीं लेगी तो जनता के सामने आपकी छवि धूमिल होगी।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैंने श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी तथा काशी सिंह ऐरी जी की नोटिस पढ़ ली है। जहाँ एक ओर विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है, वहीं दूसरी ओर हमारे यहाँ अभी तक उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम लागू है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम बना है और उत्तरांचल का अभी नहीं बन पाया, उ0प्र0 के ही अधिनियम हमारे यहाँ लागू हैं। उ0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम हम लोगों के सम्मुख उत्तर प्रदेश विधान सभा विधान परिषद् में आया, उसका भी हम संज्ञान लें तो भी नियमानुसार, निर्धारित प्राविधानों के अनुसार जो नियमावली है, जाँच करायी जा सकती है। जो प्रकरण श्री ऐरी जी और श्री त्रिपाठी जी ने बताये, बिना वजह प्रश्न उठते भी नहीं हैं। नियुक्तियों के सम्बन्ध में, आर्थिक अनियमितता के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट प्राप्त होगी उनमें नियमों और प्राविधान के अनुसार जाँच करायी जा सकती है। यह नियंत्रण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार का है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत कुलपति हटाने की प्रक्रिया लम्बी है, यह जाँच के पश्चात् होती है। विश्वविद्यालय की जो गरिमा है, कुलपति की सर्वोच्च गरिमा को बनाये रखने के लिए सदन में प्रश्न आते रहे हैं, अभी तक उत्तर प्रदेश में 4 संशोधन हुए हैं। माननीय श्री काशी सिंह ऐरी जी और श्री त्रिपाठी जी द्वारा जो भाव व्यक्त किये, यह सरकार पूरी ईमानदारी से जिसका पालन करने के लिए शासन कानून से ऊपर, संविधान के तहत कानून के ऊपर कोई नहीं, कितनी भी उच्च संस्था जिनके पदों की गरिमा को आजादी के बाद से सम्मान किया, अगर वह गरिमा को नहीं रख पायेंगे तो सरकार के पास अधिकार है। इस सम्बन्ध में माननीय ऐरी जी और माननीय त्रिपाठी जी की जो सूचनायें होंगी वे देंगे और यहाँ सदन में घोषणा करते हुए आश्वासन देती हूँ कि आपकी सूचनाएं चाहे आर्थिक अनियमितताओं, नियुक्ति के सम्बन्ध में या आरक्षण के सम्बन्ध में जो भी होगी उनकी विधिवत् जाँच करायी जायेगी, जाँच पूरी हो जाने पर उसकी रिपोर्ट सदन में उपलब्ध करायी जायेगी। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

श्री काशी सिंह ऐरी और श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी की सूचना पर माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, 13 जून प्रातः लगभग 4 बजे देहरादून में श्री एस0के0 उनियाल स्ट्रीट नं0 6 शास्त्रीनगर के आवास पर सशस्त्र बदमाशों द्वारा डकैती डाली गई। दिनांक 12–6–02 की अतिप्रातः लगभग 3 बजे जनरल महादेव सिंह रोड इंजीनियर्स इन्क्लेव में निवास कर रहे पूर्व ले0 जनरल श्री जे0सी0 पंत के आवास पर भी डकैती की घटना हुई जिसमें डकैत ढाई घण्टे लूटपाट करते रहे और गृहस्वामी को कमरे में बन्द कर दिया। घटना की सूचना देने पर पुलिस घटना स्थल पर नहीं पहुँची, जिसके कारण डकैत गिरफ्तार नहीं किये जा सके और न ही इनका कोई सुराग लग पाया है। इस कारण जनता में अत्यन्त भय व्याप्त हैं। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर नियमों का निलम्बन कर चर्चा की माँग करता हूँ। मान्यवर, जब मैं सुबह घूमकर लौट रहा था तो मुझे इस घटना की सूचना मिली, सूचना मिलने पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर जनता में आक्रोश था तथा महिलाओं में भय का वातावरण व्याप्त था। मान्यवर, यह पहली घटना नहीं है, पिछले दो महीनों के अन्दर इस तरह की सात घटनाएं हो चुकी है किन्तु एक भी डकैत या लुटेरे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कल शाम को जब मैं और कपूर

साहब उस परिवार से मिलने के लिए गये और मैं वहाँ थोड़ी देर रुका तो उस घर की महिला ने अपने जो आभूषण थे उसको लॉकर में बन्द कर दिये यह मेरे सामने की बात है। और कहा कि अब तो यह लगता है कि गले में कोई आभूषण नहीं डालूँगी। मान्यवर, देहरादून में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं जहाँ प्रदेश के मुखिया और प्रदेश के पुलिस के मुखिया रहते हैं। अगर हम इस प्रकार की घटनाओं पर यहाँ पर अंकुश नहीं लगा पाए, किसी भी अपराधी को पकड़ नहीं पाएं तो मैं समझता हूँ कि जनता में उसका प्रसस्फुटन होगा। जनता सड़कों पर उतर आयेगी। कल की घटना के विरोध में लोग सड़क पर उतर आए और उन्होंने नेशनल व हाइवे बन्द करना शुरू कर दिया, मैंने उनसे कहा कि यह नेशनल हाइवे है इसको बन्द मत करो। चक्का जाम होने से मैंने उन्हें रुकवाया, उन लोगों ने 24 घण्टे का अल्टीमेटम दिया है। मान्यवर, कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था में त्रुटि है। इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यस्थगन की माँग करता हूँ।

श्री हरबंस कपूर--

मान्यवर, निश्चित रूप से जिन दो घटनाओं का विशेष रूप से यहाँ पर उल्लेख किया गया, वह अत्यंत गम्भीर हैं और मात्र दो घटनाएं ही नहीं हैं, इनके साथ-साथ जैसा अभी माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी ने बताया, 7 अन्य घटनाएं इस सदन की 300 गज की परिधि में हुई हैं और कोई भी अपराधी इसमें पकड़ा नहीं गया। मान्यवर, कल सुबह शास्त्री नगर की स्ट्रीट संख्या 6 में जो घटना घटित हुई, इसमें संदेह की बात नहीं है, इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूँ कि 5 मिनट में पुलिस घटना स्थल पहुँच गयी। लेकिन गम्भीर बात यह है कि 5 मिनट में पुलिस पहुँचने के पश्चात् भी अपराधी बच कर निकल गये। जबकि जोगीवाला में, बाईपास में और रिस्पना पुल में नाकेबन्दी की व्यवस्था है। मान्यवर, अपराधियों का इस प्रकार से बच कर निकल जाना अपने आप में चिन्ता की बात है।

मान्यवर, जहाँ तक दूसरी घटना की बात है, वह इससे भी ज्यादा गम्भीर प्रश्न है। आज जनता में यह संदेश जा रहा है कि जब एक रिटायर्ड लेफ्टीनेंट जनरल सुरक्षित नहीं है तो आम जनता को सुरक्षा कहाँ से मिलेगी। ले०ज० पंत जी जिनके घर में डकैती पड़ी ढाई घण्टे तक डकैत वहाँ पर रहे और पूरे घर की तलाशी ली और उनके घर के आभूषण और कैश लेकर चले गए। मान्यवर, उनके घर के आगे एक निगरानी चौकी है, जहाँ पर सुरक्षा गार्ड हर समय मौजूद रहता है। ऐसी स्थिति में डकैती पड़ना बड़ी गम्भीर स्थिति है। इसके बाद जब ले०ज० पंत जी और उनके साथी पुलिस चौकी में गए और वहाँ पर अपनी बात कहनी चाही तो वहाँ पर जो कर्मी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास टेलीफोन नहीं है, हमारा टेलीफोन कटा है, हम आपकी सूचना का संज्ञान नहीं ले सकते हैं, आप कोतवाली में सूचना दर्ज कराएं। इस पर जब उन्होंने कहा कि आपके पास वायरलैस है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और बाहर जाने के रास्तों पर नाकेबन्दी करा सकते हैं, जिससे डकैत पकड़े जा सकें। परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया और पंत जी को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना पड़ा, अपने मित्रों का सहारा लेना पड़ा, तब वह डी०जी०पी० से सम्पर्क कर पाए। मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है कि

ऐसे उच्च पद से सेवानिवृत्त व्यक्ति को अपनी बात कहने और उसे मनवाने में इतना समय लग गया और उसे किसी और का सहारा लेना पड़ता है, यह बड़ी चिन्ता की बात है। इससे आम जनता के मन में भय का वातावरण व्याप्त है। मायन्वर, सबसे गम्भीर बात तो यह है कि यह राजधानी की घटना है, यहाँ पर पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी मौजूद है, शासन का सबसे बड़ा अधिकारी मौजूद है और प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी मौजूद है।

मान्यवर, उसके रहते हुए आज जो घटनाएं घट रही हैं, मैं पूर्व में भी उल्लेख कर चूका हूँ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूँ कि चाहे वे भूमि पर कब्जे की बातें हों, चाहे इन डकैतियों की बातें हों, चाहे इन चोरियों की बातें हों, मैं कहना चाहता हूँ कि ये गम्भीर मामले हैं और ये व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

*राज्य मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

मान्यवर, दिनांक 11/12–06–2002 की रात्रि में थाना कोतवाली क्षेत्र ले0 जनरल श्री जगदीश चन्द्र पन्त (रिटायर्ड) पुत्र श्री बी0बी0 पंत निवास 8 इंजीनियरिंग इन्क्लेव, जी0एम0एस0 रोड, कांवली, देहरादून ने समय 6.10 प्रातः पर थाना कोतवाली देहरादून पर लिखित सूचना दी कि रात्रि में करीब 2.00 बजे पाँच बदमाश नाम पता अज्ञात जो अपने हाथों में चाकू लिये थे, घर के पीछे की खिड़की से चिटकनी तोड़कर घुस आये और उन्होंने उनकी पुत्री श्रीमती यामनी कौशल, पत्नी ले0 कर्नल संजय कौशल के कमरे से जेवर व नकद 1,500 रुपया तथा उसके बाद वादी के कक्ष से 11,500 रुपया तथा जेवर ले लिये। उनके लड़के की बहू श्रीमती अंजली पंत के भी पहने हुए जेवर व 500 रुपया नकद ले लिए तथा पूरे परिवार को वादी के शयन कक्ष में बन्द करके बदमाश मकान के पीछे के दरवाजे से चले गये।

वादी की उक्त सूचना पर थाना कोतवाली पर मुकदमा अपराध सं0 384/2002 के अन्तर्गत धारा 395 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत होकर विवेचना वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना कोतवाली के सुपुर्द हुई। इस घटना के अनावरण हेतु विभिन्न स्थानों पर स्थानीय पुलिस द्वारा दबिशे दी जा रही हैं तथा ठोस प्रयास किये जा रहे हैं।

दूसरी घटना के अन्तर्गत दिनांक 12/13–06–2002 की रात्रि थाना डालनवाला निवासी सुधीर कुमार उनियाल, पुत्र श्री ब्रह्मदत्त उनियाल, निवासी मकान नं0 1 ए, लेन नं0 6, शास्त्रीनगर ने समय 5:30 प्रातः पर थाना डालनवाला पहुँच कर लिखित सूचना दी कि 5–6 बदमाश जो अपने हाथों में चाकू, सरिया व डन्डे लिये करीब 4.00 बजे सुबह खिड़की की जाली व ग्रिल तोड़कर घुस आये और वादी व वादी की पत्नी को भी भयभीत करके व टेलीफोन के तार तोड़कर घर से नगद रु0 4,000 व ज्वेलरी आदि लूट कर ले गये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इन बदमाशों में से किसी एक के द्वारा वादी की कार को भी ले जाने की कोशिश की, लेकिन कार में रिमोट कन्ट्रोल सायरन बजने के कारण सभी बदमाश मौके से भाग गये। सभी बदमाश लगभग 25 से 30 वर्ष की उम्र के बताये गये हैं। इस सूचना पर डालनवाला पर मुकदमा अपराध संख्या 190/2002 अन्तर्गत धारा 395 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात 5-6 बदमाश सूरत शिनाख्त पंजीकृत होकर विवेचना थाना डालनवाला के प्रभारी निरीक्षण द्वारा की जा रही हैं।

उपरोक्त दोनों घटनाओं में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून एवं पुलिस अधीक्षक, नगर द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा दोनों घटनाओं के अनावरण के लिए तीन टीमें गठित कर हर सम्भव प्रयास किये जा रहे है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं 3:00 बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपरान्ह 3:00 बजे पुनः प्रारम्भ हुई)

कुमाऊँ विश्वविद्यालय शिक्षाणोत्तर कर्मचारी संघ, नैनीताल के फैक्स पत्र के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री काशी सिंह ऐरी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी हमने आपके समक्ष कार्य स्थगन के प्रस्ताव के माध्यम से एक मामला विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सदन में उठाया। इस पर माननीय शिक्षा मंत्री और माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपना वक्तव्य दिया। मान्यवर, हम जनता की पीड़ा के सवाल, जो किसी भी माध्यम से प्राप्त होते हैं। चाहे जनता के माध्यम से प्राप्त करते या जन प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त करते हैं उन्हें यहाँ सदन में उठाकर हम उनका समाधान चाहते हैं। इसके अलावा और कोई उद्देश्य होता नहीं है। सदन में मामला उठाने के बाद इतनी गति से तुरन्त इसकी प्रतिक्रिया हुई है कि एक भर्त्सना पत्र फैक्स द्वारा मुझे कुमाऊँ विश्वविद्यालय शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ, नैनीताल का प्राप्त हुआ है। जो मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित है। (शेम-शेम-शेम की आवाज) जो विषय मैंने उठाया था वह विश्वविद्यालय में अनियमितताओं के सम्बन्ध में था। अब उस व्यक्ति का कितना व्यापक तंत्र है। हम अभी जब भोजन कर रहे थे और सदन से उठकर आए तो यह फैक्स प्राप्त हुआ है जिसमें लिखा है "महोदय, विधान सभा सत्र के दौरान उत्तराखण्ड क्रांति दल के विधायक श्री काशी सिंह ऐरी द्वारा कुमाऊँ विश्वविद्यालय में कथित प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा शैक्षणिक अनियमितताओं के सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता, वन विज्ञान, डी0 एस0 बी0 के कथनानुसार उठाया गया। प्रश्न व्यक्तिगत लाभ एवं द्वेष भावना से विश्वविद्यालय की छवि को गिराने के लिए भ्रमित करने का एक षडयंत्र है।"

कुमाऊँ विश्वविद्यालय में प्रशासनिक/शैक्षणिक एवं वित्तीय मामलों में किसी भी प्रकार की कोई अनियमितताएं नहीं हैं। वर्तमान में यह बहुमुखी प्रगति के कीर्तिमान स्थापित किए हैं तथा विश्वविद्यालय का सत्र पूर्णतः नियमित होने आदि के फलस्वरूप ही यहाँ की जनता खुश है एवं जनता में विश्वविद्यालय के प्रति सम्मान का भाव है जहाँ तक उल्लिखित पत्र के द्वारा विश्वविद्यालय में कानून व्यवस्था एवं सामान्य कामकाज का बुरी तरह प्रभावित होना बताया गया है। यह भ्रामक, मिथ्या, स्वार्थपूर्ण एवं सत्य के परे है। विधायक को विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में पूर्णरूप से जानकारी नहीं है। इस सम्बन्ध में कर्मचारी संघ विधायक द्वारा नियम 58 के अन्तर्गत सदन की समस्त कार्यवाही स्थगित कर चर्चा की माँग करने सम्बन्धी सूचना की घोर निन्दा करता है तथा भविष्य में भी विश्वविद्यालय के प्रति अनर्गल भ्रामक प्रचार के माध्यम से विश्वविद्यालय की छवि धूमिल करने के किसी भी कुत्सित प्रयास के विरुद्ध पूरे क्षेत्र में आन्दोलन करने की चेतावनी देता है।

मान्यवर, जहाँ तक इसमें वन विज्ञान के वरिष्ठ प्रवक्ता के बारे में कहा गया है तो मान्यवर मैंने तो इसका जिक्र भी नहीं किया है यहाँ पर न ही हम इनको जानते हैं। मैंने तो केवल जनता की पीड़ा को उठाया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ, हमारे सम्मान की रक्षा हो। हम जनता के जितने मामलों को उठाते हैं उन पर पूरा परीक्षण हो। मान्यवर, अभी माननीया संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है, मुझे सारे बिन्दु लिखकर दे दें मैं उस पर कार्यवाही करूँगी। मान्यवर, मैंने उसके वक्तव्य को स्वीकार कर लिया। मान्यवर, मैं संसदीय परम्परा को जानता हूँ, मैं जनप्रतिनिधि हूँ और वह होने के नाते मुझे जनता ने जो बताया उन बिन्दुओं को मैंने इस सम्मानित सदन में सरकार के समक्ष रखा। सरकार ने भी वक्तव्य दे दिया कि जाँच होनी चाहिए और जाँच के खिलाफ जो दोषी पाया जायेगा वह दण्डित होगा। पर इस तरह के धमकी के पत्र आयेंगे तो कल को तो हमारी बोलती बन्द हो जायेगी। तब हम जनता की बात कैसे कह पायेंगे। मान्यवर, यह भी हो सकता है कि वह लोग हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन जायें। मान्यवर, इस तरह से माननीय सदस्यों की सुरक्षा की क्या गारन्टी है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ और आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

*श्री नारायण पाल–

माननीय अध्यक्ष जी यह सदन की अवमानना है और जैसा कि श्री ऐरी साहब ने इस मामले को उठाया, त्रिपाठी जी ने उठाया, इससे यह प्रतीत होता है कि इसमें अनियमितताएं हैं अगर इस तरीके से लोगों का व्यवहार होगा, इस तरीके से धमकी मिलेगी, इस सदन में हम अपनी बात रखते हैं इसका कोई औचित्य नहीं होगा। मैं महसूस करता हूँ इस प्रकरण को लेकर आप आदेश दें।

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, इस पत्र से हमारे लिए धमकी मिली है, खास तौर से एक घंटा भी नहीं हुआ है, नैनीताल से सूचना का जाना, धमकी भरा पत्र आना, इस सदन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की अवमानना है। मैं अपने को श्री कोश्यारी जी की बातों से सम्बद्ध करता हूँ। भविष्य में इस तरह की घटना घटित न हो इसके लिए आप से न्याय की माँग करता हूँ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, ये जो पत्र आया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित बताया गया है। मैं मानती हूँ यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। सदन में संसदीय परम्पराओं से अनभिज्ञ व्यक्ति ही ऐसा कार्य कर सकता है। मैं इस पत्र को सीधे–सीधे सदन की अवमानना मानती हूँ। भविष्य में कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति ऐसा न करें, मैं इसे इस सदन की अवमानना के रूप में स्वीकार कर इस सदन में उन्हें पेश करने की हिदायत देती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काशी सिंह ऐरी और माननीय विपिन चन्द्र त्रिपाठी ने नियम 56 के अन्तर्गत कुलपति जी के विषय में उनके आचरण, कार्यकलाप, उनके व्यवहार के संदर्भ में जो आज प्रश्न उठाया था और माननीया संसदीय कार्यमंत्री जी ने सदन को विश्वास दिलाया था कि वह जो शिकायतें हैं, जो तथ्य हैं, जैसे विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी ने कहा उसको हम ध्यान में रखेंगे, हम उसका परीक्षण करा लेंगे। अगर कोई ऐसी बात होगी, उसकी जाँच करेंगे। लेकिन बड़े दुःख की बात है सदन में कोई बात उठती है और गम्भीर विषय को कोई व्यक्ति चाहे कहीं भी बैठा क्यों न हो जैसा कि आदरणीय काशी सिंह ऐरी जी ने कहा उन्होंने तो देखा नहीं है, वह बात जो आपने सदन में कही हैं। मैं बात की गम्भीरता को समझ रहा हूँ जैसा कि आदरणीय श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश जी ने कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अदालत और इस सदन में उनको उपस्थित करने की जो उन्होंने बात कही हैं सदन पूरी तरह से सहमत है आप लोगों को भावनाओं के अनुरूप उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और यहीं पर व्यवस्था देंगे।

वर्ष 2002–2003 के लिए सदन की समितियों के गठन के सम्बन्ध में प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ "यह सदन प्रस्ताव करता है कि माननीय अध्यक्ष, उत्तरांचल विधान सभा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 जो यथावत् उत्तरांचल राज्य में भी लागू है, के प्राविधानों के अधीन वर्ष 2002–2003 के लिए सदन की जिन–जिन समितियों का गठन करना चाहें तथा ऐसे समितियां जिनमें निर्वाचन कराये जाने का प्रावधान है, सदन ऐसी समितियों में नाम निर्देशन का अधिकार माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को देता है और इस प्रकार नाम निर्देशित सदस्य विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे। यह सदन यह भी प्रस्ताव करता है कि माननीय अध्यक्ष ऐसा करना आवश्यक समझें तो समितियों के निर्धारित सदस्यों की संख्या में कमी कर सकते हैं।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002

*पंचायतीराज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री प्रकाश पंत—

मान्यवर, यह उत्तरांचल की जनता के हित में जुड़ा हुआ है और पीठ से इसमें व्यवस्था आ गई है, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। इसमें हम संशोधन लगाते और सारे सदस्यों के विचार आते। आप इसको पुरःस्थापित करने जा रहे हैं। इसलिए हम इस विधेयक का विरोध करते हैं और सदन का त्याग करते हैं।

(भाजपा और बसपा के सभी माननीय सदस्य सदन त्याग कर बाहर चले गये)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड 2 से खण्ड 6 तक, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001 के उत्तरांचल राज्य की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में संशोधन करने हेतु विधेयक

(विधेयक सं0 , वर्ष 2002)

(भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में अधिनियमित)

अध्याय–1

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :–

(1) यह अधिनियम उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन अधिनियम, 2002 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(3) यह तत्काल लागू होगा।

2. उत्तर प्रदेश के स्थान पर उत्तरांचल का पढ़ा जाना :–

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 (अधिनियम सं0 26 वर्ष 1947) में भी जहाँ–जहाँ शब्द "उत्तर प्रदेश" आया है वह "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा।

अध्याय–2

3. उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 11 (च) निम्नवत् संशोधन कर दी जायेगी :–

धारा 11 (च) 'पंचायत क्षेत्र' की घोषणा :

(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा किसी ग्राम या ग्रामों के समूह जिनकी जनसंख्या राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में यथासाध्य 300 तथा मैदानी क्षेत्रों के यथासाध्य 1000 हो, में समाविष्ट किसी क्षेत्र को ऐसे नाम से जैसा विनिर्दिष्ट किया जाये, 'पंचायत क्षेत्र' घोषित कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में अधिकतम जनसंख्या यथासाध्य 1000 तथा मैदानी क्षेत्रों में यथासाध्य 5000 से अधिक नहीं होगी।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी राजस्व ग्राम या उसके किसी मजरे को 'पंचायत क्षेत्र' की घोषणा के प्रयोजनों के लिए विभाजित नहीं किया जायेगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि व्यवहारिक दृष्टि से उक्त प्रतिबन्धों का पालन किया जाना सम्भव न हो, तो अपरिहार्य एवं विशिष्ट परिस्थितियों में, राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रतिबन्ध शिथिल कर सकती है।

(2) राज्य सरकार, सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अनुरोध पर या अन्यथा और प्रस्ताव के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय :–

(क) किसी पंचायत क्षेत्र में किसी ग्राम या ग्रामों के समूह को सम्मिलित करके या उससे निकालकर, परिष्कार कर सकती है;

(ख) पंचायत क्षेत्र के नाम से परिवर्तन कर सकती है; या

(ग) यह घोषणा कर सकती है कि कोई क्षेत्र पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया है।

4. मूल अधिनियम की धारा 12 (1) (ग) निम्नवत् संशोधित कर दी जायेगी :–

धारा 12 (1) (ग) : किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में, जिसकी जनसंख्या :–

(1) 500 तक, 5 सदस्य होंगे।

(2) 501 से 1000 तक, 7 सदस्य होंगे।

(3) 1001 से 2000 तक, 9 सदस्य होंगे।

(4) 2001 से 3000 तक, 11 सदस्य होंगे।

(5) 3001 से 5000 तक, 13 सदस्य होंगे।

(6) 5001 से अधिक 15 सदस्य होंगे।

अध्याय–3

5. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001 की धारा 6 (1) (ख) निम्नवत् संशोधित कर दी जायेगी :–

धारा 6 (1) (ख) : निर्वाचन सदस्य जो पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए, पंचायत क्षेत्र निम्नलिखित रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा :

(1) पर्वतीय क्षेत्र में 25,000 तक ग्रामीण जनसंख्या वाले विकास खण्ड में 20 निर्वाचन

क्षेत्र तथा 25,000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्ड में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे;

(2) मैदानी क्षेत्रों में 50,000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्ड में 20 निर्वाचन क्षेत्र तथा 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्ड में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे;

प्रतिबन्ध यह है कि उक्तानुसार निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य सम्बन्धित विकास खण्ड में समान होगा।

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि किसी क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक ग्राम पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

6. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश), 2001 की धारा 18 (1) (ख) निम्नवत् संशोधित कर दी जायेगी :–

धारा 18 (1) (ख): निर्वाचित सदस्य जो जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जायेंगे और इस प्रयोजन के लिए पंचायत क्षेत्र निम्नलिखित रीति से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जायेगा :

(1) पर्वतीय क्षेत्र के 24,000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में न्यूनतम 2 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे तथा 24,000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये जायेंगे।

(2) मैदानी क्षेत्र के 50,000 तक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में न्यूनतम 2 प्रादेशिक क्षेत्र होंगे तथा 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोत्तर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किये जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि उक्तानुसार निर्धारित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात यथासाध्य सम्बन्धित विकास खण्ड में समान होगा।

अग्रेत्तर प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में किसी संघटक क्षेत्र पंचायत का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र भागतः सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–6 तक खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002

राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी आज्ञा से देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी मैं प्रस्ताव करता हूँ कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2, खण्ड 1 प्रस्तावना एवं शीर्षक

देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002

(विधेयक सं0 , वर्ष 2002)

राज्य में वेदमाता गायत्री ट्रस्ट, हरिद्वार, उत्तरांचल द्वारा प्रायोजित एक स्थापित विश्वविद्यालय से सम्बन्धित आनुषांगिक विषयों में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये;

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय–1

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

(1) यह अधिनियम देव संस्कृत विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 2002 कहा जायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अध्याय–2

मूल अधिनियम की धारा–19 में संशोधन

(1) देव संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 19 की उपधारा (२) में " कुलाधिपति द्वारा नामित दो शिक्षा विद्" के स्थान पर "कुलाधिपति द्वारा नामित तीन शिक्षाविद्" रख दिया जायेगा।

ी अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग ाने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

ी किशोर उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि देव संस्कृति ाश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 पारित किया जाए।

ी अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2002 ारित किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

पशुपालन मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प

पशुपालन मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि " जबकि, त्तरांचल विधान सभा यह विचार करती है कि उत्तरांचल राज्य के लिए भारतीय पशु चेकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 से सम्बन्धित अथवा उसके सहायक प्रासंगिक सभी ामलों के लिए एक कानून होना वांछनीय है,

और जबकि, ऐसे कानून की विषयवस्तु मुख्यतः भारत के संविधान की सातवीं नुसूची की सूची II में प्रविष्टि 15 में बताये गये विषय से सम्बद्ध है,

और जबकि, संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथाप्रदत्त ो छोड़कर उपरोक्त सूची II में प्रविष्टि 15 में बताये गये विषय से सम्बन्धित राज्यों के लिए से कानून बनाने की कोई शक्ति नही है,

और जबकि, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 से सम्बन्धित संघ ौर राज्य दोनों सरकारों की ओर से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् लागू है,

वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और जबकि, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 को उत्तरांचल राज्य में लागू किया जाना वांछनीय महसूस किया जा रहा है,

अतएव, अब "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह उत्तरांचल विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 में सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों को उत्तरांचल राज्य के लिए अंगीकार कर लिया जाय।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "जब कि उत्तरांचल विधान सभा यह विचार करती है कि उत्तरांचल राज्य के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 से सम्बन्धित अथवा उसके सहायक प्रासंगिक सभी मामलों के लिए कानून होना वांछनीय है,

और जबकि, ऐसे कानून की विषयवस्तु मुख्यतः भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II में प्रविष्टि 15 में बताये गये विषय के सम्बद्ध हैं,

और जबकि, संसद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में यथाप्रदत्त को छोड़कर उपरोक्त सूची II में प्रविष्टि 15 में बताये गये विषय से सम्बन्धित राज्यों के लिए ऐसे कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है,

और जबकि, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 से सम्बन्धित संघ और राज्य दोनों सरकारों की ओर से भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् लागू है,

और जबकि, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 को उत्तरांचल राज्य में लागू किया जाना वांछनीय महसूस किया जा रहा है,

अतएव, अब "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह उत्तरांचल विधान सभा एतद्द्वारा यह संकल्प करती है कि भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 से सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों को उत्तरांचल राज्य के लिए अंगीकार कर लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

विधायकों को विधायक निधि के रूप में मिलने वाली विवेकाधीन विकास निधि को 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने के सम्बन्ध में (संयुक्त संकल्प)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायकों को विधायक निधि के रूप में मिलने वाली विवेकाधीन विकास निधि को 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया जाय।"

मान्यवर, उत्तरांचल राज्य बनने के बाद जब छोटी–छोटी विधान सभाओं का गठन हुआ तो क्षेत्र की जनता को लगा कि अब निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा। लेकिन उत्तरांचल की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आज भी एक विधान सभा क्षेत्र में लगभग 200 ग्राम सभाएं सम्मिलित हैं। जब हम गाँवों में भ्रमण पर निकलते हैं तो देखते हैं कि तोक हैं, उनका विकास नहीं हो पाया है। वहाँ पर सड़कें नहीं हैं, नदियों के पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत के लिए माननीय विधायकों की संस्तुति पर विधायक निधि से जिलाधिकारी को पैसा दिया जाता है और उनको ठीक कराया जाता है। मान्यवर, सम्पूर्ण ग्रामीण योजना में जो पैसा आता है, उसका 20 प्रतिशत जिला पंचायत और 30 प्रतिशत पैसा विकास खण्ड को दिया जाता है। इस प्रकार विकास खण्ड के पास हर साल करीब एक करोड़ रुपया आ जाता है, एक विधान सभा में 3–4 विकास खण्ड होते हैं। विकास खण्डों को अन्य मदों से भी पैसा मिलता है। परन्तु विकास खण्ड में आज से 15 साल पहले जो योजनाएं शुरू हुई थी, वह भी पूरी नहीं हुई हैं। मान्यवर, कई क्षेत्रों में झूला पुल नहीं हैं। नए झूला पुल बनाने में करीब डेढ़ करोड़ रुपया लगता है, जबकि उनकी जगह पर विधायक निधि से 3–4 लाख रुपये में ट्राली का निर्माण कराया जा सकता है। मैं इस संकल्प के माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि विधायक निधि के रूप में जो 75 लाख रुपया मिलता है उसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया कर दिया जाए।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय बिशन सिंह चुफाल जी द्वारा रखे गये संकल्प के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, उत्तरांचल राज्य का प्रमुख अन्तर्विरोध

विकास भी रहा है। विकास में यह राज्य निरन्तर पिछड़ता ही चला गया। सुदूरवर्ती ग्रामीण अंचलों तक विकास की धारा सही मायने में नहीं पहुँच पायी। अब जब इस राज्य में जन आकांक्षाओं के अनुरूप 70 विधान सभाएँ बनीं। हमारे माननीय सदस्य दूरस्थ विधान सभा क्षेत्रों से चुन कर आये हैं।

मान्यवर, विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से संचालित की जाने वाली विकास योजनाएं सही मायने में नहीं पहुँच पायी हैं। जब माननीय विधायक अपने क्षेत्र में भ्रमण पर जाते हैं तो ग्रामीण अंचल की जनता अपनी विभिन्न समस्याओं से रू-ब-रू कराती है। ऐसे समय में माननीय विधायक के पास एक मात्र उपाय रहता है और जितनी योजनाएं शासन, प्रशासन, केन्द्र से संचालित हो रही हैं उनकी नियमावली होती है, लेकिन यह विवेकाधीन होने के कारण विधायक अपनी संस्तुति कर सकते हैं और समस्याओं का निराकरण तत्काल हो सकता है।

(व्यवधान)

मान्यवर, लगभग हमारे इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों ने एक अनुरोध पत्र मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है। क्योंकि ये सभी जानते हैं और चाहते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास हो, उत्तरांचल का विकास हो, इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा, सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी इस विधायक धनराशि को 75 लाख से बढ़ा कर 1 करोड़ किया जाए।

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है और आपसे मेरा अनुरोध है कि विधायक निधि से, जो काम किसी भी अधिकारी के द्वारा नहीं किये जाते हैं, उन कार्यों को विधायक निधि से कर दिया जाता है जैसे खड़न्जा, सम्पर्क मार्ग, पुलिया आदि। जनता भी, जो कार्य विभागों से नहीं हो पाता है, उसे विधायक निधि से ही कराती है। दूसरा, यह कि सांसदों को 2 करोड़ रुपया मिलता है और विधायकों को 75 लाख तो मेरा निवेदन यह है कि इसे 1 करोड़ कर दिया जाय। मान्यवर, जहाँ तक यह सवाल है कि विधान सभाएं छोटी-छोटी हो गयी हैं, तो क्या विधायक भी छोटा हो गया, इसलिए मेरा अनुरोध है कि विधायक निधि को 1 करोड़ कर दिया जाना चाहिए।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो 75 लाख की विधायक निधि थी, अब सुनने में आ रहा है कि 50 लाख करने की तैयारी है। मान्यवर, महँगाई के इस दौर में और जब एक–एक किलोमीटर की सड़क 12 लाख रुपया की बनती है तो उससे लगता है कि यह 50 लाख की धनराशि बहुत ही कम है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूँ कि इसे एक करोड़ कर दिया जाए।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, आपने कृपा करके जो माननीय सदस्यों ने संकल्प रखा है उस पर बोलने की अनुमति दी, मैं आपका आभारी हूँ। मैंने बजट भाषण के दौरान कहा था कि या तो इसे बढ़ाकर एक करोड़ कर दे या समाप्त कर दिया जाय। मान्यवर, एक करोड होता क्या है। मान्यवर, विभागों में कार्यों को कराने के लिए स्टीमेट बनाये जाते हैं। इस वर्ष जिस कार्य के लिए 10 लाख का स्टीमेट बनता है अगले वर्ष उसी कार्य का स्टीमेट 15 लाख का बनता है। अनुदान राशि साल दर साल बढ़ती जाती है। यह पहली बार हुआ है कि विधायक निधि 75 से 50 लाख की हो गई। दूसरा मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप समझते होंगे कि विधायक को 1 करोड़ रुपया देने के लिए पैसा कहाँ से आयेगा। अगर हमने कोई सड़क विधायक निधि से बना दी तो उस सड़क के निर्माण में आपका पैसा तो लगेगा नहीं। इससे सरकार को फायदा होगा, बहुत ही व्यवहारिक बात यह है कि विधायक निधि में पैसा कम होगा तो हमें बहुत दुख होगा कि कहाँ दें, कहाँ न दें। मान्यवर, कम पैसा में कोई काम दिखाई भी नहीं देता है। इसलिए मान्यवर, आवश्यकता यह है कि विधायक निधि को कम से कम 1 करोड़ कर दिया जाये। संसदीय कार्यमंत्री जी सहमत हैं, नेता सदन ने भी सहमति दे दी है। इसे आप सर्वसम्मति से पारित कर दें।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

*श्री तसलीम अहमद–

मान्यवर, अभी बात आई कि उत्तरांचल में विधान सभा क्षेत्र छोटे–छोटे हैं। इससे मैं सहमत हूँ कि पूरे उत्तरांचल का इससे विकास होगा। आज विधायकों पर अपने सर्किल की जनता की माँग और दबाव रहता है और मान्यवर, छोटे–छोटे कार्य विधायक निधि से किये जाते हैं। मान्यवर, हरिद्वार छोटा क्षेत्र बताया गया है, लेकिन हरिद्वार में मेरे विधान सभा क्षेत्र में, एक क्षेत्र बिजनौर से लालढांग में आया है तो मैं समझता हूँ कि यदि पूरी निधि इस क्षेत्र में लगा दी जाये तो लोग महसूस करेंगे कि सन् 1974 से अब काम शुरू हुआ है। लक्सर क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है। मान्यवर, यदि इस विधायक निधि को 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड कर दिया जाये तो यह पूरे ही उत्तरांचल के लिए बड़ा अच्छा कदम होगा।

श्री गणेश प्रसाद गोदियाल–

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। यह सर्वविदित है कि उत्तरांचल में संसाधनों की कमी से चलते यह जो बजट पास हुआ है उसमें 1200 करोड़ रुपयों से ऊपर का घाटा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिखाया गया हैं। निश्चित तौर पर विधायकों की अपनी माँग है कि विधायक निधि एक करोड़ रुपये होनी चाहिए अगर सरकार कर सकती है, तो स्वागत योग्य कदम है। अगर सरकार को लगता है कि यह खर्च गैर आवश्यक कार्यों मे हो रहा है तो पाँच लाख रु0 से आप या तो सड़क बना लीजिए या फिर पानी की योजना बना लीजिए। इस प्रकार के सरकार का निर्देश हो जाए।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, एक सुझाव दे रहा हूँ। एक करोड़ की जो यह माँग की जा रही है यह किसी विधायक की जेब में नहीं जाती। आज जैसे पेयजल की समस्या जगह–जगह उठ रही है। बाहर हाहाकार हो रहा है। यदि विधायक के पास-पैसा होगा तो जहाँ उसे लगता है कि यहाँ नल की समस्या है तो लगा देगा। डी0एम0 के चक्कर तो नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे आपकी पेयजल की समस्या आधी हो जायेगी। चादर लगा करके यदि उधर के बैठे लोगों से भी आप राय ले लेंगे तो आपको पता चल जायेगा।

*चौधरी यशवीर सिंह–

मान्यवर, विधायक निधि का पैसा विधायक के पास नहीं रहता बल्कि डी0एम0 के पास रहता है। विधायक तो सिर्फ लिखता है। मेरे पास एक पत्र है जिसमें 56 विधायकों के साईन है। मैं इसे आपके पास भेज रहा हूँ। (माननीय सदस्य द्वारा पत्र माननीय अध्यक्ष जी के पटल पर भेजा गया) मैं समझता हूँ कि सदन सर्वोच्च है और जनभावनाओं का आदर होना चाहिए। मंत्रियों के पास तो वैसे ही काफी पैसा रहता है। दूसरी एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो हम लोगों को ढाई लाख रुपया दिया जाता है उसे पाँच लाख रुपया कर दिया जाए और उसे हमारे वेतन से काट लिया जाए।

*श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, विधायक निधि निश्चित रूप से विकास का माध्यम है लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुदा यह देखने में आया है कि बहुत सारे दलों के विधायक, विधायक निधि और सांसद निधि का उपयोग अपने राजनैतिक हितों के लिए करते हैं, यह नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से यह गलत होता है, यही धारणा पहले बनी रही। पिछले दिनों सदन में यह बात आयी कि विधायक निधि रोक दी गयी। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि पिछली बार बहुत सारे विधायक, विधायक निधि का पैसा खर्च नहीं कर पाए।

मान्यवर, हमारे साथी लोगों की भावना है और निश्चित रूप से सरकार की मंशा है कि विधायक निधि मिले और विधायक निधि आगे बढ़े इसमें हमारी भी मंशा है। अतः विधायक निधि बढ़नी चाहिए, लेकिन उसके दुरुपयोग पर अंकुश लगाना चाहिए।

*रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर–

माननीय अध्यक्ष जी, जब हमने 30 तारीख को शपथ ली तो एक पत्रकार ने पूछा कि आपका क्षेत्र कौन सा है, तो मैंने कहा कि पूरा उत्तरांचल हमारा क्षेत्र है। मान्यवर, अगर उसको देखें तो मेरी 2 करोड़ की विधायक निधि होनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, सदन की मंशा का पूरा आभास आपको हो गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि विधायक निधि एक करोड़ होनी चाहिए, यह मैं समझता हूँ कि अन्तर्मन से आप भी स्वीकार कर रहे होंगे। मान्यवर, विधायकों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। मान्यवर, विधायकों की तनख्वाह दो–ढाई हजार होती है जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तनख्वाह 4–5 हजार होती है। मान्यवर, विधायकों की विधायक निधि बढ़ाई जानी चाहिए और गाड़ी के लिए ऋण 5 लाख मिलता है तो उसमें 10 हजार अनिवार्यतः काट लेंगे तो 1 लाख 20 हजार साल में हो जाता है। मान्यवर, इसमें भी करना चाहिए।

मान्यवर, एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि सांसद निधि में गाइड लाइन में रिपेयरिंग मद है, लेकिन विधायक निधि में नहीं है। मान्यवर, स्कूल की छत बनवानी है, वहाँ पर चटाई आदि की व्यवस्था करनी है। तो मान्यवर, गाइड लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, सांसद गाइड लाइन तो केन्द्र से बनता है, पर हम अपनी गाइड लाइन प्रदेश स्तर से बना सकते हैं।

मान्यवर, गाड़ी रिपेयरिंग के लिए स्वीकृति मिलनी चाहिए, इस प्रकरण को गम्भीरता से लेना चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, सारा सदन विधायक निधि रु0 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ के पक्ष में है। मान्यवर, विधायक निधि से जो भी कार्य होते हैं, वे बहुत ही सस्ते और मजबूत होते हैं। यहीं से कुछ दूरी पर 5 लाख रु0 का काम विधायक निधि से दो लाख 97 हजार रु0 में हुआ है। 7 लाख रु0 का पुल ढाई लाख रु0 में बना है। मान्यवर, ऐसे कई उदाहरण हैं। विधायक निधि का सदुपयोग होता है, उसे गाँव–गाँव, गली–गली में जाना पड़ता है। विधायक का सीधा सम्बन्ध जनता से होता है और उसके कार्यों पर जनता की नजर रहती है। विधायक समाज में जो भी काम करता है वह अपना समझ कर करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि विधायक निधि रु0 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी जाय।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, विधायक निधि को बढ़ाने के पक्ष में सभी सदस्य हैं, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, हो सकता है, सत्ता पक्ष वाले कहें कि बजट में इसके लिए व्यवस्था नहीं है, इसके लिए आगे अनुपूरक बजट में व्यवस्था हो सकती है, इस मामले में सब एकमत हैं, इसलिए मान्यवर, इसे स्वीकार किया जाय।

*पेयजल मंत्री (सुरेन्द्र सिंह नेगी)–

मान्यवर, यह बात सही है कि विधायक निधि का दुरुपयोग नहीं होता है, क्योंकि विधायक उस क्षेत्र का जनप्रतिनिधित्व करता है, वह उस काम को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बेहतर ढंग से करने का प्रयास करता है। यह भी देखा गया जितने कार्य विधायक निधि से हुए हैं, वे बेहतर ढंग से हुए हैं।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों ने एक बात कही कि इसमें कई संशोधन होने चाहिए। हमारी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए जो आवश्यक होगा वह दिया जायेगा जैसा मरम्मत कार्यों के लिए कहा, यह बेहतर सुझाव था, चटाई, फर्नीचर भी उपलब्ध कर दिया जायेगा। जिस सीमा तक दिये जा सकते हैं, वह देंगे। आपने जिक्र किया सांसद को दो करोड़ मिलते हैं। जिस स्तर पर जो शंका जो आशंका हमारे नेता सदन ने कुछ दिन पूर्व व्यक्त की थी अभी तो हमें वह चीज मिल नहीं पायी, इन परिस्थितियों में जब हमको निर्णय लेना पड़ा, मन को कुछ–कुछ रोकना पड़ा। हमने इसका सर्वेक्षण कराया पूरे भारत वर्ष में, आपको मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में यह राशि 10 लाख है, झारखण्ड में है ही नहीं, पंजाब, हरियाणा में भी यह व्यवस्था नहीं है। मैं हिसाब लगा रहा था कि जनपद पौडी को तत्कालीन सरकार द्वारा जब प्रदेश का अभिभाजन नहीं किया था उस समय का आंकलन करें, तो पौड़ी को साढ़े तीन करोड़ रुपये मिलते थे। मुझे यह कहते हुए फर्क है और अपने नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने उसको साढ़े आठ करोड़ कर दिया। आप तो माँग कर रहे हैं सिर्फ 25 प्रतिशत बढ़ाने की। हरिद्वार में यही विधायक निधि जो है 3 करोड़ 75 लाख रुपये की दी जाती थी आज की तारीख में साढ़े 4 करोड़ से अधिक है इस स्थिति में कहीं बेइंसाफी करने का काम नहीं किया। हमारे नेता सदन ने कहा कि हमारा दिल उदार है और हम उत्तरांचल के विकास के लिए संकल्पित हैं यह तभी हो सकता है जब हमारे पास पर्याप्त संसाधन हों और हमारे पास धन होगा। अगर आवश्यकता पड़ती है तो अनुपूरक बजट पेश कर लिया जायेगा। आपकी भावनाओं का निश्चित आदर किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधायकों को विधायक निधि के रूप में मिलने वाली विवेकाधीन विकास निधि को 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

विभागों से सूचनाओं के उत्तर न आने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*काजी निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है मैं कोशिश तो बहुत दिनों से कर रहा था लेकिन मैंने सोचा कि जब माननीय नेता सदन होंगे तो इस प्रश्न को उठाऊँगा लेकिन आज अन्तिम दिन है सदन का। इसलिए मैं आज इस प्रश्न को उठा रहा हूँ मान्यवर, जब हम कोई पत्र किसी विभाग के पास किसी काम को करने के लिए या कोई और समस्या के लिए अथवा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए जवाब माँगते हैं तो सम्बन्धित अधिकारी की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता। मेरे पास शिक्षा विभाग को लिखे एक पत्र की रिसीव कापी है उसका जवाब नहीं आया। यह सदन का अपमान है। मैं कहता हूँ कम से कम वह पत्र को इन्टरटेन तो करें निगेटिव या पॉजिटिव किसी भी तरह का जवाब तो आए या अगर कोई गोपनीयता है तो उस बारे में बतायें कि गोपनीयता के कारण जवाब नहीं दिया जा सकता। मैं इस सम्बन्ध में जानकारी चाहता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, सूचना के अधिकार को सारे विश्व ने स्वीकारा है। जब अभी हाल ही में एक गोष्ठी हुई थी, तो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित थे, उन्होंने सब लोगों के समक्ष, जो वहाँ पर उपस्थित थे, इस बात को स्वीकार किया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि सूचना के अधिकार को उत्तरांचल में भी लागू करेंगे। मान्यवर, जैसा कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री और इस सरकार के अन्य मंत्री भी इस बात को बार–बार कहते हैं कि यह पारदर्शी सरकार है तो निश्चित रूप से पारदर्शिता को सिद्ध करें। कम से कम ऐसी व्यवस्था तो अवश्य करें कि विधायकों के माध्यम से जो चिट्ठी जाती है, उसका जवाब अवश्य मिले यह हमारा अधिकार भी है। अगर विधायक की चिट्ठी का जवाब नहीं जाता तो साधारण नागरिक की चिट्ठी का क्या जवाब मिलेगा। यह सूचना के अधिकार को किस प्रकार से लागू करेंगे यह बहुत बड़ी चुनौती है आज जो भ्रष्टाचार की बात आती है उसका मुख्य कारण यही है कि जब किसी अधिकारी के सामने कोई प्रश्न रखा जाता है तो वह जनता तक उसका उत्तर नहीं पहुँचाता है अपने तक सीमित रखता है। मान्यवर, मेरा यह अनुरोध है कि सरकार इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, यह एक मान्य परम्परा है आज से ही नहीं बहुत पहले से है। मुझे याद है सन् 1974 में जब हेमवती नन्दन बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस सम्बन्ध में आदेश किये थे। उसके बाद भी जो मुख्यमंत्री आए उन्होंने सदैव इस तरह के निर्देश दिये।

मान्यवर, यह माननीय विधायकों का अधिकार है कि जब वह किसी को पत्र दें या किसी सचिव को पत्र दें, जिस भी स्तर पर वह पत्र भेजें, तो सम्बन्धित विभाग के अधिकारी और सम्बन्धित सचिव, उस माननीय विधायक के पत्र से एक्नॉलेज हों और कृत कार्यवाही से उनको अवगत कराएं। जब कोई विधायकगण किसी भी कार्यालय में प्रवेश करते हैं, तो सम्बन्धित अधिकारी खड़ा होकर उनका सम्मान करेगा और जब वह वापस जाएंगे, तब भी वह खड़ा होकर उनको सम्मान देगा, यह प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल का निर्वहन होना ही चाहिए। काजी निजामुद्दीन जी अभी एक नए सदस्य हैं, उन्होंने अपनी पीड़ा एक पत्र के माध्यम से प्रकट की लेकिन माननीय कपूर जी तो काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, आपकी जानकारी में तो यह होगा ही। जब हमारे संज्ञान में यह आया कि पत्रों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक पत्र मुख्य सचिव को भेजा है। इस समय तो सदन का अवसर है और एक–एक सचिव के पास कई–कई विभाग हैं, उनके सबोर्डीनेट भी अभी नहीं है। इसलिए थोड़ी दिक्कत अवश्य है। इस बात को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी भी भली भाँति समझते होंगे कि एक स्थापित सरकार और उसके प्रशासन में जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह अभी नहीं है। लेकिन सारी व्यस्तताओं के बाद भी माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देने का दायित्व हर स्तर पर हैं, अगर वह नहीं दिये जाते हैं, तो इसका गम्भीरता से संज्ञान लिया जाएगा। आज मुझे यह जानकारी मिली है, अभी तक तो सत्र की वजह से मैं थोड़ा व्यस्त हूँ लेकिन सदन के बाद मैं पुनः इसके बारे में निर्देशित करूँगी और यह जानकारी प्राप्त करूँगी कि जिले के जिलाधिकारी को इस सम्बन्ध में सूचित किया गया या नहीं और जिलाधिकारी इसकी मॉनीटरिंग भी कर ले कि हर स्तर पर माननीय विधायकों को जवाब प्राप्त हो रहे हैं या नहीं।

श्री प्रकाश पंत--

मान्यवर, यह थोड़ी व्यवहारिक दिक्कत है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चूँकि उत्तरांचल राज्य में सामान्य शिष्टाचार के पालनीय नियम है या नहीं और जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि नहीं बने हैं। पिछली विधान सभा में पीठ से निदेश हुआ था कि जो उत्तर प्रदेश के शिष्टाचार के नियम है वह पालनीय रहेंगे, किन्तु वर्तमान में सम्भवतः किसी कार्यालय में नहीं होगी। मान्यवर, या तो शिष्टाचार के पालनीय नियम बना लिए जायें या उत्तर प्रदेश के ही मान लिए जायें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश--

मान्यवर, आपने सदन को निर्देशित किया जो चेयर के द्वारा निर्देशित हुआ, ब्यूरोक्रेसी तो वही है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। सामान्य शिष्टाचार के अलावा और जो संसदीय मर्यादाओं की रक्षा और निर्वाचित विधायकों के शिष्टाचार के बारे में जो शासनादेश जारी किया जाएगा वह माननीय विधायकों को भी सर्कुलेट हो जायेगा।

श्री नारायण पाल--

मान्यवर, यह व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आज दिन में 12:00 बजे इसी परिसर में एक आगजनी की घटना घटी।

श्री अध्यक्ष--

इसी परिसर के अन्दर ?

श्री नारायण पाल--

मान्यवर, दर्शक दीर्घा के पीछे। और जिसे बुझा दिया गया और उसकी नई वायरिंग हुई है। यह जो अनियमितताएं हैं, उनकी जाँच होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

यह घोषणा भी मैंने की है और 2 माह का समय भी दिया है और कल 12 बजे एक बैठक भी सुनिश्चित की है और घोषणा पर अमल होगा।

*श्री नारायण सिंह जंतवाल--

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने अभी अवगत कराया कि प्रोटोकॉल के सम्बन्ध में और विधायकों द्वारा लिखित पत्रों के साथ प्रशासन को क्या रवैया अपनाना चाहिए, इस सम्बन्ध में चर्चा की, लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि "कोर्ट ऑफ कन्डक्ट" की या तो उन्हें जानकारी नहीं है, या तो पालन नहीं हो रहा है। मैं राजनीतिक जीवन में रहा हूँ, छात्र जीवन में रहा हूँ। हमने बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं भी उत्तरदायी ब्यूरोक्रेसी नहीं चल रही है। मैंने नैनीताल के जिलाधिकारी से मुलाकात की और इस सम्बन्ध में उनसे कहा कि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी में जिसका क्या स्थान है यह बताना पड़ेगा तो यह प्रश्न था, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार कार्यवाही करेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

मैं पीठ से यह निर्देश देता हूँ कि सरकार इसे गम्भीरता से ले।

हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ, 2004 में अस्थायी निर्माण के स्थान पर स्थायी निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में (संकल्प)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ, 2004 में अस्थायी निर्माण के स्थान पर स्थायी निर्माण कार्य कराये जायें।

मान्यवर, भारतीय संस्कृति में कुम्भ का विशेष महत्व है। भारत वर्ष का नहीं वरन् विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगता है। करोड़ों–करोड़ लोग मन में अपार श्रद्धा का भाव लेकर कुम्भ स्नान हेतु हरिद्वार आते हैं हरिद्वार में गंगा तट पर, इलाहाबाद में गंगा–यमुना–सरस्वती के संगम पर तथा नासिक में गोदावरी तट पर व उज्जैन में क्षिप्रा के किनारे पर करोड़ों लोग स्नान कर पुण्य कमाते हैं। कुम्भ पूर्व का मुख्य आधार देवासुर संग्राम के पश्चात् समुद्र मंथन गरुण जी द्वारा जो अमृत कलश ले जाया गया उसके छलकने से चार सरिताओं में अमृत की वर्षा हुई। यह पौराणिक मान्यता है। उस कथा की गहराई में मैं जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि अध्यक्ष जी ने समय–सीमा निर्धारित की है। लेकिन आस्था के इस पर्व में गंगा की गाथा का जुड़ना भी कुछ कम प्रेरक नहीं है। माँ गंगा मद्ययोगिनी है। वह विष्णु के कमल, ब्रह्मा के कमण्डल और शिव के शीश के बीच एक सेतु का कार्य भी करती है देवात्मा हिमालय की गोद से वह स्वर्ग की पवित्रता को लेकर उतरती है। ऋषियों, मुनियों, महात्माओं के तप को सार्थक करती हुई धरा के पाप को पीकर उसे पवित्र करने का संकल्प लेकर हरिद्वार (हरि के द्वार) पर दस्तक देती है। धरती से स्वर्ग को और मानवीय पौरुष को स्वर्गीय पावनता से जोड़ने का लोकोत्तर कार्य करती है और गंगा द्वार तक आते–आते भागीरथी, अलकनन्दा, मन्दाकिनी की धारा एक हो जाती है और नारद पुराण में गंगा को तीर्थत्व हरिद्वार में ही प्राप्त होता है।

माननीय अध्यक्ष जी समय के साथ–साथ सब कुछ बदल गया है, लेकिन हरिद्वार आज भी जिस पवित्रता का प्रतिनिधित्व करता है वह विश्व में अन्य नगरों के बस की बात नहीं हैं सप्त सरोवर आज भी कृतयुग को कलियुग से जोड़ता है। आज हजारों महात्मा, साधु सन्त अलख जगाकर शिक्षा के आश्रमों में जाते हैं तो वह सन्तनगरी की शोभा बढ़ाते हैं। संस्कृत, संस्कृति और साधना का यह तीर्थ विश्व को आज भी शान्ति, सद्भावना, समरसता और समन्वय का संदेश दे रहा है। माया देवी का मन्दिर हरिद्वार के मध्य शहर को आशीर्वाद दे रहा है, पतितपावनी गंगा के एक ओर शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर पर माँ मन्शा देवी का मन्दिर है तो दूसरी ओर नील धारा के पार, नील पर्वत पर माँ चण्डी देवी का मन्दिर है। शिवालिक पर्वत की तलहटी में शिव की सिंह पीठ बिल्केश्वर महादेव है, उपनगर कनखल में शिव की ससुराल दक्ष प्रजापति का मन्दिर है। पौराणिक महत्व के साथ–साथ आज हजारों मन्दिर इस शहर की धार्मिकता में और भी वृद्धि कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हजारों धर्मशालाएं, आश्रम धार्मिक आयोजन हेतु आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा का व्रत लेकर सेवा कार्य कर रहे हैं।

मान्यवर, आज हरिद्वार की समस्या क्या है मैं बहुत पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ। 100 वर्षों के इतिहास को देख लेता हूँ। जब 7–8 हजार की जनसंख्या होती थी और कुम्भ लगता था तो वह सारा क्षेत्र खाली होता था। आज हरिद्वार की आबादी दो लाख के करीब हो गयी है परन्तु हरिद्वार का जो क्षेत्र है उसका अधिक फैलाव नहीं हो सकता। एक ओर गंगा है तो दूसरी ओर रेलवे लाईन है तो एक ओर मेल है। करोड़ों लोग वहाँ आते हैं इसलिए ऐसी स्थिति आ रही है कि इसके बारे में हमें गम्भीरता से सोचना होगा। आज तक चाहे जितने कुम्भ हुए हो या अर्द्ध कुम्भ हुए हो करोड़ों रुपये का बजट आया और अस्थायी काम हुए परन्तु स्थायी काम की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। माननीय नेता सदन उत्तर प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे 1976 व 1988 में तो उस समय भी कुम्भ का आयोजन हुआ था तब से लेकर आज तक जिस स्थायी निर्माण की आवश्यकता थी उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया। मान्यवर, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक बल्ली जिसकी कीमत 25 रु0 है। 120 दिन के लिए उसका किराया 160–170 रु0 होता है इसी प्रकार ट्यूबवेल बनता है लगभग 35–40 लाख रुपये में और जब कुम्भ समाप्त हो जाता है तो ट्यूबवेल को बन्द कर दिया जाता है और उसका सारा सामान निकाल दिया जाता है फिर जब 6 साल बाद फिर कुम्भ आता है तो फिर उस ट्यूबवेल को पुनः चालू करने के लिए 15 से 20 लाख रुपये का इस्टीमेट बनता है। इसी प्रकार अस्थायी बिजलीघरों के निर्माण का कार्य होता है और उस पर करोड़ों रुपया लगता है और जब मेला समाप्त होता है तो फिर इसे भी बन्द कर दिया जाता है। पता नहीं उसका सामान कहाँ चला जाता है। 70 प्रतिशत अस्थायी निर्माण पर खर्च होता है जबकि स्थायी निर्माणों की आवश्यकता आज है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, पूरा सार आ गया है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूँ कि भीड़ को डिसेण्ट्राइज करना होगा और जो घाट बने हुए है वह 4–5 लाख लोगों के झेलने लायक है यदि सप्तऋषि से कुजद्वार जो 7 कि0मी0 का क्षेत्र है इसके बीच के घाट को पक्का करा दिया जाए तो 15–20 लाख तक लोग स्नान कर सकते हैं। जिससे भीड़ भी कम होगी। इसी प्रकार हमारे जो पौराणिक महत्व के स्थान है उनका सौन्दर्यीकरण किया जाए और उनके महत्व को समझाया जाए। इसके लिए आप अधिक से अधिक बजट रखें तभी यहाँ पर 20 से 25 लाख यात्री आ सकते हैं। माया देवी, मंशा देवी और चण्डी देवी तक जो 4 कि0मी0 का रास्ता है उसके लिए वैष्णव देवी की तर्ज पर निर्माण कार्य कराया जाए तो 10 लाख यात्री इन मन्दिरों में आ सकते हैं। मान्यवर, हरिद्वार में एक ही बाईपास मार्ग है जिसके कारण एक–एक दो घण्टे का जाम लगा रहता है। यह एक गम्भीर प्रश्न है। एक न एक दिन आपको इसे देखना होगा और इसका निदान खोजना होगा इसकी लेंथ को बढ़ाना होगा। इसी प्रकार हील बाईपास मार्ग धँसने के कारण बेकार पड़ा है इसको ठीक कराया जाए ताकि एक मार्ग आने के लिए दूसरा जाने के लिए हो।

माननीय अध्यक्ष जी, मेले में करोड़ों लोग आते हैं और आश्रम में ठहरते हैं। मान्यवर, उनके ठहरने के लिए विचार करने की आवश्यकता है और जो सीवरेज सिस्टम है वह भी ठीक होना बड़ा आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष जी, पिछला जो कुम्भ का मेला हुआ था उस पर 102 करोड़ रुपये का बजट राज्य सरकार ने दिया था और इसके लिए कम से कम सवा दो सौ करोड़ की व्यवस्था होती है तो निश्चित रूप से कुछ काम हो सकेगा।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, लक्ष्मण झूला और स्वर्गाश्रम कुम्भ क्षेत्र से मिला स्थान है और वहाँ पर 2 पुल हैं राम झूला और लक्ष्मण झूला, इनमें जब भीड़ बढ़ जाती है तो आशंका रहती है कि कहीं कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाय, इसलिए स्थाई पुल बनाया जाय। मान्यवर, लक्ष्मण झूला में पेयजल लाइन बिछाई जाती है और इतना अधिक खर्च करने के बाद फिर उसे उखाड़ दिया जाता है, उसी तरह से अस्थाई पुल बनाये जाते हैं फिर उखाड़ दिये जाते हैं उसी तरह से स्ट्रीट लाइट में होता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कुम्भ में जो भी होता है वह स्थाई हो, जिससे जनता को लाभ हो।

*श्री सुबोध उनियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मदन कौशिक जी की चिन्ता सही है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहूँगा कि कुम्भ मेला निःसंदेह हरिद्वार का मुख्य मेला है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, पिछले कुम्भ मेले में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा में था और मेरी नगर विकास मंत्री और लोक निर्माण मंत्री से बात हुई कि इस पर व्यवस्था करनी चाहिए। मान्यवर, सरकार टिहरी और पौड़ी को नकारने का काम न करे इस पर भी ध्यान दें। मान्यवर, गंगा नदी पर स्थाई पुल की आवश्यकता है जिससे कि जनता को आने जाने में दिक्कत न हो।

मान्यवर, हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ, गंगा मेला, कावड़िया मेले के समय बहुत भीड़ होती है, जिससे दुर्घटनाएं होने की आशंका रहती है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से गंगा नदी पर पुल बनाने की माँग करता हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं, आपका ध्यान थोड़ा सा हरिद्वार से नीचे की ओर ले जाना चाहता हूँ। मान्यवर, जब कुम्भ, अर्द्ध कुम्भ, गंगा मेला, काँवड़िया मेला आदि होते हैं तो सबसे ज्यादा भीड़ हरिद्वार की सड़कों पर दिखाई देती है इससे एक्सीडेन्ट होने की आशंका रहती है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि हरिद्वार से जुड़ी लिंक सड़कों का जीर्णोद्धार हो, जिससे ट्रैफिक इन सड़कों की ओर डिवाइड हो जाय, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हरिद्वार से लक्सर वाली रोड को ठीक किया जाय। दूसरा सुझाव मात्र इतना ही है कि रुड़की को जिला बनाया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काजी निजामुद्दीन–

मान्यवर, कुम्भ, अर्द्ध कुम्भ के अलावा अन्य मेलों के नाम पर एक भी पैसा नहीं दिया जाता है। सड़कों के लिए अभी 20 करोड़ रु0 आया था, अधिकारी लोग वहाँ गये, क्षेत्र को देखा, परन्तु उन्होंने किसी भी जनप्रतिनिधि को साथ नहीं लिया। मान्यवर, अबकी बार 1987 वाली घटना की पुनरावृत्ति न हो क्योंकि उस समय के हादसे में बहुत लोगों की मौत हुई थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की वे काफी हद तक हमारी जो योजनाएं बनी हैं उनसे मेल खाती हैं। इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, मैं इस दिशा में उन स्थलों का जिक्र करता हूँ–वैष्णो देवी मन्दिर और श्री तिरुपतिबाला जी का मन्दिर ये दोनों स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, जहाँ तीर्थयात्रियों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं विकसित हुई, इसी कारण किसी समय विशेष में ही नहीं, बल्कि पूरे साल वहाँ लोगों का आवागमन है। जो कुम्भ हरिद्वार में होने जा रहा है, यह उत्तरांचल की प्रथम निर्वाचित सरकार के लिए अवसर है। हम इस बार एक ऐसा ढांचा तैयार करेंगे जो मात्र कुम्भ की दृष्टि से ही न हो, बल्कि उन आगे की घटनाओं से हो, जो हमेशा होती रहती हैं। जैसे काँवड़िया मेला, गंगा मेला आदि में कोई गड़बड़ी न हो।

मान्यवर, इन कार्यक्रमों के लिए एक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, यह हमारी सरकार की नीति है। हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। हमारी मंशा यह है कि जो भी कुम्भ यात्रा पर आये वह वहीं न रह कर पूरे उत्तरांचल के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वह उनको जाकर देखें। माँ गंगा की पवित्रता गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक वह पूरा स्थल ही एक आकर्षण का केन्द्र रहे, लोग उसकी पवित्रता को पूरी तरह महसूस कर सकें। इसलिए यह सैद्धान्तिक रूप से कह सकते हैं कि हमारी सरकार की नीति स्थायी निर्माण की है। कुम्भ में टिन और बल्ली की जो व्यवस्था है उसको करेंगे, पार्क की व्यवस्था करेंगे, पेयजल की उचित व्यवस्था करायेंगे, विद्युत व्यवस्था आप देखेंगे कि हर–की–पैड़ी पर तो व्यवस्था ठीक है मगर जो इन यात्रियों के ठहरने के स्थान हैं वहाँ अन्धकार है, वह भय को जन्म देता है शौचालय उपलब्ध रहे। जितनी बड़ी भीड़ का अनुमान है, अगर हम सीधे–सीधे कह दें कि अस्थायी निर्माण बिल्कुल नहीं होगा, वह भी उचित नहीं है। जिस तरह की परम्पराएं हैं, कुछ–कुछ अस्थायी व्यवस्था उस क्षेत्र में रखनी पड़ेगी। हमारा लक्ष्य है इस धन का सदुपयोग हो। पूरे क्षेत्र में ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। इस तरह की व्यवस्था करना हमारा प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बैठक में जो निर्देश दिये हैं कि यह पूरे साल भर चलने वाला घटनाक्रम बने, ऊपर के धाम बन्द हो जाते हैं इन्हें पर्यटन की दृष्टि से साल भर खोलने का प्रयास करेंगे, यह एक सुनियोजित प्रयास होगा। जब तक यह हमारे कार्य क्षेत्र में रहेगा मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो योजनायें बनायी जायेंगी इन सूचनाओं को शामिल करके हम अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ायेंगे। जिससे पूरी तरह पर्यटन हमारा आधार बन सके।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, हमारा लन्ढौरा, रुड़की, लक्सर मार्ग, पुरकाजी, लक्सर हरिद्वार मार्ग एवं इकबालपुर टिक्कोला मार्ग द्वारा इन लिंक रोड से निकला है। इस अचानक बढ़े ट्रैफिक से उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो कुम्भ बजट से उपरोक्त मार्गों का सुदृढ़ीकरण कराया जाना सुनिश्चित है, कृपया स्पष्ट कर, बता दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हम अभी से सड़कों को चिन्हित करें, वह भी उचित नहीं, धन की उपलब्धता की सूचना आपके पास उपलब्ध है कि कितना बजट में प्राविधान किया गया है। अभी योजना आयोग के समक्ष भी प्रस्तुत की गई हैं। हमें यह अंदाज नहीं है कि वह कितना धन देंगे जितनी धनराशि उपलब्ध होगी उतनी धनराशि के आधार पर काम किया जायेगा। सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार से भी पत्राचार चल रहा है। फिर भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम केवल हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ है उसके आधार पर वहाँ पर काम नहीं करा रहे हैं हम तो सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ, 2004 अस्थाई निर्माण के स्थान पर स्थायी निर्माण कार्य कराये जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल राज्य के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए उद्योगों का जाल बिछाने के सम्बन्ध में (संकल्प)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "इस सदन का सुविचारित मत है कि उत्तरांचल राज्य के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए उद्योग का जाल बिछाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाएं।"

मान्यवर, उत्तरांचल में बेरोजगारी है रोजगार के कोई साधन नहीं है। उत्तरांचल में जो हमारे नवयुवक बेरोजगार हैं वे रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में भटक रहे हैं। यदि इन्हीं बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के लिए भारी उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग लगाये जाएं अर्थात उद्योगों का जाल बिछाया जाय तो एक तो पलायन रुकेगा दूसरा हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार मिलेगा। मैं इस सदन के माध्यम से यह अनुरोध करूँगा कि गरीबी जो हमारे लिए अभिशाप है उसे हम रोजगार दे कर दूर कर सकते हैं तभी हमारे प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि उत्तरांचल का किसान घाटे में काम करता है, यह उसकी मजबूरी है उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। यहाँ पर कृषि आधारित उद्योग लगाये जाएं। मान्यवर, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यह चाहता हूँ कि इस पर चर्चा कराई जाए उत्तरांचल में उद्योगों का जाल बिछाया जाए।

*श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, उत्तरांचल में उद्योग का जाल बिछाया जाए। कांग्रेस ने उद्योगों का जाल अपने कार्यकाल में काफी बिछाया लेकिन उसके बाद जब से कांग्रेस सत्ता में नहीं रही, उद्योगों की बहुत दुर्दशा हुई है। एच0एम0टी0 फैक्ट्री बन्द होने के कगार पर है मान्यवर, हमारी सरकार की मंशा राज्य में उद्योगों के माध्यम से लोगों को रोजगार देने की है इसके लिए माननीय नेता सदन श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने 2–3 दिन पहले यहाँ पर घोषणा की थी कि पूरे राज्य में उद्योगों का जाल बिछाया जायेगा इसके लिए उद्योग नीति बनाई जाएगी।

मान्यवर, माननीय नेता सदन ने अभी 2–3 दिन पहले यहाँ पर घोषणा की है कि उद्योग नीति तैयार हो रही है और इस पर्वतीय अंचल में उद्योग लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के टैक्सों में छूट देने पर भी विचार किया जा रहा है और निश्चित रूप से कई उद्योगपति यहाँ पर आने के लिए आतुर हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय तिवारी जी, जिनकी भावना ही समग्र विकास की है, उनके नेतृत्व में औद्योगिक इकाइयां यहाँ पर लगेंगी। मान्यवर, हमारा प्रदेश भौगोलिक रूप से अलग–अलग भागों में बँटा हुआ है। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों और छोटे–छोटे लघु उद्योगों की बहुत अधिक आवश्यकता है और उसके लिए सत्ता पक्ष प्रयत्नशील है। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि हमारी मंशा हमेशा से औद्योगिक इकाइयों का गठन करके क्षेत्र के नवयुवकों को रोजगार देने की रही है। इसके लिए जो रणनीति तैयार हो रही है, उसका परिणाम चन्द महीनों में हम सब के सामने होगा। माननीय चीमा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको तो पता ही होगा कि माननीय तिवारी जी की मंशा हमेशा उद्योगों को बढ़ावा देने की है। आप खुद भी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। माननीय तिवारी जी की मंशा को पूर्ण करने के लिए तथा इस प्रदेश का समग्र विकास करने के लिए आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे बुलाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

श्री अरविन्द पाण्डे–

मान्यवर, अभी कुछ सम्मानित सदस्यों ने कहा कि कांग्रेस उद्योगों के प्रति हमेशा जागरूक रही है। मैं इसी सम्बन्ध में आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि बाजपुर क्षेत्र के पिपलिया ग्राम में 30 उद्योगों को स्थापित करने के लिए 1990 से पहले लाइसेंस दिये गये थे और 15–20 दिन चलने के बाद ये फैक्ट्रियाँ बन्द हो गयी और सब्सिडी का लाभ लेकर भाग गई। मेरा सुझाव यह है कि उद्योग नीति ऐसी बनायी जाए कि उद्योगपति सब्सिडी का लाभ उठा कर भाग न पाएं। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब बाहर से उद्योगपति आते हैं, तो वह सरकार का सहयोग चाहते हैं और सरकार उद्योगों को स्थापित करने में उनका सहयोग करती है लेकिन माफिया लोग उस उद्योगपति से टैक्स वसूलने लगते हैं। अब एक उद्योगपति माफियाओं को टैक्स ही देता रहा तो उद्योग कहाँ से लगाएगा। मेरा सुझाव है कि उद्योग नीति में इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि उद्योगपतियों को इस प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह एक ऐसा विषय है , जिसके ऊपर हमारे पूरे प्रदेश की नजर लगी हुई है। विकास की बात कहना तो आसान है लेकिन विकास करना जरा मुश्किल काम है।

मान्यवर, औद्योगिक विकास जिसको हम अपने प्रदेश की रीढ की हड्डी कह सकते हैं। अगर यहाँ का उद्योग पनपेगा, यहाँ औद्योगिक विकास होगा तभी प्रदेश का विकास होगा। मान्यवर, औद्योगिक विकास की बात हम कहते हैं कि जाल बिछाया जाए, जाल बिछाने की बात तो कम करते हैं, लेकिन जाल बिछेगा कैसे, इसके लिए परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, औद्योगिक वातावरण कैसे बनें, इन सभी विषयों पर हमें सोचना होगा और हमें सारी चीजों को सरकार के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए। यह हम सबका कर्तव्य है कि इस प्रदेश को हम उद्योग के माध्यम से विकास की ओर ले जायें। मान्यवर, मैं इसका एक प्रमाण देना चाहता हूँ। पंजाब में जब बेअंत सिंह जी की सरकार थी तो उन्होंने ऐसी नीति, उद्योग नीति बनायी कि ऐसे पूरे–पूरे एरिया, जो अन–डेवलप्ड थे, जिनमें कुछ खेती नहीं की जा सकती थी, ऐसे क्षेत्र मार्क करके उद्योगों के लिए रिजर्व कर दिए गए। इससे उद्योग भाग–भाग कर पंजाब चले गये जहाँ पंजाब सिर्फ एक खेती प्रदेश के रूप में जाना जाता था, आज औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी अग्रणी है। देखना यह है कि यहाँ कच्चा माल क्या है, यह मुश्किल होगी कि हम कच्चा माल बाहर से लायें और फिर उससे मैटेरियल तैयार करके फिर उसे बाहर ले जायें। जो उद्योग यहाँ कामयाब हों, तो हम यहीं पर कच्चे माल पर आधारित उद्योग लगाएं तो उचित होगा। मान्यवर, आज का जितना भी उद्योग लगा हुआ है, वह बीमार पड़ा है। अगर उसकी नब्ज को सरकार नहीं देखेगी, अगर उसके स्वास्थ्य को नहीं देखेगी, उसके चेहरे पर हँसी नहीं लायेगी तो उद्योग का विकास होना सम्भव नहीं है। कुटीर उद्योग जो घर–घर में लग सकता है और देखना सिर्फ यह होगा कि आज हमें वह उत्पाद बनाना है जिसकी विदेशी माल से तुलना करें, जो एक्सपोर्ट कर सकें। आज नैनीताल में जो लकड़ी के बने हुए खिलौने होते हैं उन्हें हम देखकर नजरन्दाज कर देते हैं, किन्तु अंग्रेज जो बाहर से आते हैं, उसी लकड़ी के बने हुए खिलौने को देखकर उसे 10 डॉलर तक में ले लेते हैं। तो हमें देखना यह होगा कि रॉ–मैटीरियल कैसा लिया जाए। मान्यवर, उद्योगों को बन्द करने की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। हम लोगों ने खुद नीले–पीले झण्डे उनके दरवाजों पर लगाए हैं, लेकिन उसे बन्द करने के बाद आज वही लोग रो रहे हैं, कई वर्षों से हड़तालों पर बैठे हैं, भूखे मर रहे हैं, लेकिन जब हड़ताल शुरू की थी तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि क्या होगा। विकास की जो हमारी रूह है जिसमें यह सदन बोल रहा है, वह हमारे मजदूर की सोच तक जाए कि इस उद्योग को हमने लगाकर, निर्यात करके अपने देश का विकास करना है।

मान्यवर, तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री गणेश प्रसाद गोदियाल–

मान्यवर, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश का औद्योगिक विकास होगा। जैसा कि पूर्व में तराई क्षेत्र के उद्योगों का विकास माननीय तिवारी जी के शासन काल में हुआ था, उसी तरह से पूरे उत्तरांचल का औद्योगिक

विकास होगा। यह सच है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र उद्योगों के मामले में बहुत पीछे हैं। मैं जान रहा हूँ कि उद्योग नीति बन रही है। मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए अलग से नीति बनाई जाये, तहसील स्तर पर ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाये और इसमें ऐसे उद्योगों को चिन्हित करके जो वहाँ पर सरवाईवल हों जिसमें हमारा रॉ–मैटीरियल लग सकें, उनका विकास किया जाये। हमारे क्षेत्र में चीड़ की पत्तियां बड़े पैमाने पर होती है जिसे पिरूल कहते हैं। मैंने इस पत्तियों का परीक्षण भी करवाया है। पेपर उद्योग में इस पत्ती का प्रयोग किया जाता है। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तरांचल का पहाड़ी क्षेत्र आज भी सन् 47 की स्थिति में है। देश की आजादी के बाद सरकारों ने बड़े–बड़े उपक्रम लगाये, इसका उद्देश्य देश को औद्योगिक रूप से आगे ले जाना था। आज बड़े–बड़े उद्योग बन्द किये जा रहे हैं, लेकिन सरकार का जो मकसद था वो पूरा हो गया है। मकसद था पूरे देश में औद्योगीकरण बहुत तेजी से हो। मेरा अनुरोध है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से नीति बनाकर इन्फ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए। जब हम उद्योगों के लिए भूमि, पानी, बिजली आदि देंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ उद्यमी आएंगे। लेकिन मान्यवर, कुछ समस्याएं भी हैं। अभी मैं श्रीनगर में बिजली की समस्या के बारे में गया और मैंने कहा कि हमारे क्षेत्र में बिजली क्यों नहीं आ रही है तो उन्होंने कहा कि जिला योजना में स्वीकृति हो चुकी है, लेकिन हमारे पास पोल नहीं है, ट्रान्सफार्मर रिपेयरिंग के लिए रुड़की गया है। मान्यवर, होना यह चाहिए कि जो पोल बनकर रुड़की से आते हैं यदि उनकी शीट यहाँ मंगा ली जाये और फिर यहाँ उसके पोल बना दिये जायें तो इससे समय की बचत भी होगी और ट्रान्सपोर्ट पर भी खर्च कम आयेगा। सप्लाई वाले सामान वहीं बनाये जाएं जहाँ उनका कन्जमशन हो। धन्यवाद।

राज्य मंत्री (श्री किशोर उपाध्याय)–

मान्यवर, यह जो असरकारी संकल्प हमारे सम्मानित सदस्य श्री कण्डारी जी, श्री हरीश दुर्गापाल जी, श्री हरभजन सिंह चीमा जी, श्री गणेश गोदियाल जी, श्री पाण्डेय जी ने रखा। मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि यह जो नया राज्य बना है नवसृजित बना है और जो हम सब लोगों को यहाँ पर सम्मानित सदन में बैठने का मौका मिला है उसके पीछे जो पीड़ा थी, उस आन्दोलन का जो दर्द था उस आन्दोलन के पीछे जो संघर्ष था उसकी एक मात्र मंशा यह थी, इस उत्तरांचल का सर्वांगीण विकास हो। चाहे वह औद्योगिक क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो।

जो औद्योगिक नीति पिछली सरकार ने घोषित की थी और हमारे माननीय नेता सदन जिनको पूरे देश में बल्कि पूरे विश्व में विकास पुरुष के रूप में ही नहीं अपितु समग्र विकास पुरुष के रूप में जाना जाता है। उन्होंने बजट से पहले उद्यमियों से उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में बैठक की। इसके अलावा आज इकोनॉमी के क्षेत्र में मैं केवल प्रदेश और देश की बात नहीं कर रहा हूँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह का आज एक पीरियड है जिसे संक्रमण काल कहा जाता है जैसे आपके बगल में आई0डी0पी0एल0 लगा हुआ है और तराई में कताई मिलें हैं जितनी फैक्ट्रियाँ लगी थी आज हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि इस उद्योग का डिसइनवशमेण्ट हो गया है मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ।

आज एक नया वातावरण बन रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर हमें एक सामंजस्य स्थापित करना होगा। सरकार की भी यही मंशा है। विशेषकर उत्तराखण्ड के सम्बन्ध में कि हमें इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्ट को डिफाइन करना पड़ेगा ताकि बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार का एक नया वातावरण मिल सके।

बहुत से कदम सरकार ने उठाए हैं उसका आकलन भी आपको मिल गया होगा। जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना, ग्रामोद्योग इकाइयों को बैंक वित्त ब्याज उत्पादन योजना, उन बैंक की स्थापना योजना, औद्योगिक मेले, प्रदर्शनी, सेमिनार, प्रचार प्रसार कार्यक्रम जैसे बहुत से कार्यक्रम हैं इसके अलावा मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि हीरा तराशी, जैम व कृत्रिम ज्वैलरी उद्योग, गारमेण्ट उद्योग आदि क्षेत्रों में बहुत सारी सम्भावनाएं हैं इसी प्रकार हमारे पास अनेकानेक योजनाएं हैं जिन्हें हमने आपके सामने रखा है इन पर हम पुरजोर तरीके से काम करने जा रहे हैं हम जब बचपन में पढ़ते थे उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगा।

मान्यवर, मैं माननीय मातबर सिंह कण्डारी जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो कार्यक्रम हमने दिये हैं, जो काम किये हैं उसे देखते हुए अपने संकल्प को वापस लेने का कष्ट करें।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, यह बहुत बड़ा संवेदनशील मामला है। माननीय मंत्री जी ने एक विद्यालय के अध्यापक की तरह भाषण दिये हैं। मान्यवर, मेरा प्रश्न यह नहीं है कि सरकार किसकी है प्रश्न यह है कि उत्तरांचल की जनता को हम बेरोजगारी से कैसे मुक्त कर सकते हैं और प्रश्न यह है कि उत्तरांचल के बेरोजगारों को रोजगार कैसे दें। मान्यवर, अगर आप भी ऐसा करेंगे जैसा पूर्ववर्ती सरकारों ने किया तो अन्तर क्या रह जायेगा। मान्यवर, कम से कम इस उत्तरांचल का भला कर दीजिए। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। मान्यवर, यह पीड़ा हमारी नहीं है यह पीड़ा आप तमाम लोगों की है और इसमें हमें चिन्ता करनी चाहिए। मान्यवर, उत्तरांचल क्षेत्र में हमको भारी उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग लगाने चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके। तो क्या आप इस प्रकार के रोजगार लगायेंगे जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिल सकें।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, भारी उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग सभी लगायेंगे, पर आपके सहयोग की आवश्यकता है। मान्यवर, आपको विश्वास में लेकर रोजगार की समस्या को दूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुविचारित मत है कि उत्तरांचल राज्य के बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने के लिए उद्योगों का जाल बिछाये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

उत्तरांचल में पंचायतों, नगरपालिकाओं तथा महानगर क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 40 तथा संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अनुरूप अनुच्छेद 243 (क) से 243 (य) (च) के प्राविधानों के अनुसार इसी सत्र में विधि बनाने के सम्बन्ध में (संकल्प)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में पंचायतों, नगरपालिकाओं तथा महानगर क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 40 तथा संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अनुरूप अनुच्छेद 243 (क) से 243 (य) (च) के प्राविधानों के अनुसार इसी सत्र में विधि बना ली जाये।"

मान्यवर, इस सत्र में विशेष तौर पर मैं उल्लेख करूँगा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार ने विधि न लेकर इस राज्य पंचायत नियमावली में एक नहीं दो लेकर, एक तो सारे नियमों को ताक पर रखकर आपका निर्णय आया। मान्यवर, मैं पंचायतों के इतिहास में जाना चाहता हूँ। भारत का इतिहास कोई 100, 200, 300 साल पुराना नहीं है। यह एक पौराणिक इतिहास है। सबसे पहले पांच हजार वर्ष पूर्व जो उस समय राजनीति के प्रेणता रहे हैं। भीष्म पितामह उनका ग्रन्थ है "शांतिपर्व" में भी पंचायतों का उल्लेख है। 321 ई0पू0 में चाणक्य के प्रसिद्ध ग्रन्थ "कौटिल्य का अर्थशास्त्र" में भी इसका उल्लेख है। थोड़ा सा आगे बढ़े 1016 विक्रमी संवत सोमदेव सूरी ने भी अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "नीतिवाक्यामृत" में भी इसका उल्लेख किया है, इसके बाद का खण्ड इतिहास देखें तो 1830 ई0 में सर चार्ल्स मेटकाफ, जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी के मुखिया थे, कहते हैं "लिटिल इण्डिया रिपब्लिक हैविंग निअरली एब्रीथिंग दे वांट विद इन देमसल्फ एण्ड ऑलमोस्ट इण्डिपेंडेन्ट ऑफ फॉरेन रिलेसंस दे सीम टु लास्ट वेयर नथिंग एल्स लास्ट . . . दिस यूनियन ऑफ द विलेज कम्युनिटीज ईच वन फोर्मिंग सेप्रेट लिटिल इन इटसेल्फ हेज शाई कानशीव कांट्रीब्यूटेड मोर देन सेनी ओर कोज द प्रिजरवेशन ऑफ द पीपुल ऑफ इण्डिया थ्रू आल द रिवोल्यूशंस एण्ड चेंजेज विच दे हैव साफर्ड एण्ड इज इन हाई डिग्री कांड्यूसिव टु देयर हैपीनेस एण्ड टु द इंज्वायमेंट ऑफ ग्रेट पोर्शन ऑफ फ्रीडम एण्ड इंडिपेंडेंस" (कोटेड इन एलीफेंटॉस हिस्ट्री ऑफ इण्डिया लंदन, 1905)।

मान्यवर, सर चार्ल्स मेटकाफ ने लिखा है कि समाज के अन्दर की छोटी–छोटी इकाइयाँ स्वायत्तशासी हैं। वे अपनी समस्याओं का निराकरण स्वयं किया करते हैं। वस्तु विनिमय से लेकर अपने समाज की समस्त समस्याओं का समाधान किया जाता था। इसके बाद और नजदीक आयें तो 1947 का कालखण्ड है जो आजादी का समय चल रहा था उस समय पूज्य गांधी जी जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता रहे, जिन्होंने आजादी में गांधीवादी समाजवादी का नारा देकर स्वराज के माध्यम से इस देश में एक स्वराज की कल्पना की थी। 1948 में केन्द्रीय योजना में जनपद योजना का प्रावधान पहला आदेश पंचायती राज्य की शुरूआत राज्य की जनपद गणराज्य में परिवर्तित करने की अवधारणा (बेरर लोकर गर्वमेन्ट एक्ट, 1948) उसके बाद 1950 संविधान में अनुच्छेद 40 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 40 या गांधी जी की परिकल्पना को उद्धृत करने के लिए लागू था।

मान्यवर, अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों। मान्यवर, 1950 में जो उसके पीछे मूल भाव था वह संविधान में अनुच्छेद 40 जोड़ा जाना था जिसकी अवधारणा के पीछे गाँधी जी का ग्राम स्वराज तथा स्टेड टीम फार कम्यूनिटी डेवलपमेंट ने बलवन्त राय मेहता की रिपोर्ट में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है। इस प्रकार पूरी तरह भारत वर्ष में पंचायत राज व्यवस्था कायम हुई। जनवरी, 1959 में समिति की रिपोर्ट नेशनल डेवलपमेन्ट काउन्सिल ने स्वीकृत की। जिसके आधार पर 5 प्रावधान किये गये थे। इसके अनुसार पंचायतों का गठन होना था वह अनुच्छेद 243 के इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर हुआ। पहला बिन्दु था प्रत्येक राज्य में ग्राम से लेकर जिले तक त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी जो आपस में लिंक होगी। दूसरा प्रत्येक पंचायत को वित्तीय तथा अधिकार सम्पन्न बनाना, तीसरा वित्तीय तथा प्रशासनिक अधिकार देने के साथ संसाधन पंचायतों के विवेकाधीन किया जाना, चौथा प्रत्येक विकास कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करना पाँचवा ऐसी विधि बनाना कि पंचायतों को और अधिक अधिकार सम्पन्न किया जा सके।

दो अक्टूबर, 1956 को जिस दिन पूरे भारत वर्ष में पंचायत राज व्यवस्था लागू हुई, राजस्थान में जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधान मंत्री जी ने किया उसका अनुकरण आन्ध्र प्रदेश ने किया। कुछ वर्ष पूर्व ऐतिहासिक तथ्य है और 1972–73 और 74 में यह संशोधन लागू हुआ। मान्यवर, यह हमारी पंचायत व्यवस्था की ऐतिहासिक यात्रा है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से हमारे देश और प्रदेश का भला हो सकता है। यह मैं किसी राजनीतिक भावना से नहीं कह रहा हूँ। गाँधी जी के सपनों को नष्ट कर रहे हैं, इसमें सारी राजनीतिक विद्वेष भावनाओं को छोड़ते हुए पंचायत व्यवस्था लागू होनी चाहिए, उसकी विधियाँ लागू होनी चाहिए, यह सदन से मैं आग्रह करना चाहूँगा। चूँकि इस राज्य को 9 नवम्बर, 2002 को दो साल होंगे, इसलिए अभी पंचायत राज अधिनियम यहाँ लागू नहीं हो सकता है। उत्तरांचल राज्य जब बना तो धारा 87 कहता है कि नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि के उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू होने को सुदृढ़ बनाने के प्रयोजनार्थ समुचित सरकार उस दिन से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व आदेश द्वारा विधि के ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर चाहे वे निरसन के रूप में हों या संशोधन के रूप में हों, जैसा आवश्यक या समीचीन हो, कर सकेगी और अब ऐसी प्रत्येक विधि जब तक सक्षम विधान मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित निरसित या संशोधित न कर दी जाए तब तक इस प्रकार किये गए अनुकूलनों या उपान्तरों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी। यह धारा 87 कहता है।

मान्यवर, हम कब तक उत्तरांचल नियमावली का संशोधन करके रास्ता निकालते रहेंगे। जैसा जिसने पढ़ा दिया वैसा हम कब तक करते रहेंगे। लेकिन इस सदन ने संख्या बल के आधार पर यह बिल पास करा लिया। लेकिन यदि आपने अपनी अंतरआत्मा की आवाज को सुना होता और उत्तरांचल के आन्दोलनकारियों के सपनों के बारे में सोचा होता, जिस राज्य को बनने के लिए उन्होंने संघर्ष किया था तो आज उत्तरांचल के अन्दर पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए थी। मेरे इस संकल्प पर खुले मन से विचार करें और इस संकल्प को ध्वनिमत से पारित करें।

पंचायतीराज एवं खेल मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, अभी हमारे सम्मानित सदस्य श्री प्रकाश पंत जी ने पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विस्तार से अपनी बात कही। मैं समझता था और हमारे विपक्ष के साथी जो प्रतिपक्ष में बैठे है चर्चा करेंगे। जो पीड़ा प्रदर्शित की उसमें हिस्सा लेकर के निश्चित रूप से जो विधेयक इस सदन में ला रहे हैं उसमें हिस्सेदार बनेंगे लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों ने सदन का बहिर्गमन किया और पंचायतों के प्रति अपना दृष्टिकोण इस सदन में रखा। मैं पंत जी की पीड़ा को समझता हूँ। आप पर जो जिम्मेदारी आपके दल ने सौंपी है निश्चित रूप से आपने जो बातें कही उसमें आपकी पीड़ा झलकती है। मान्यवर, हमारी सरकार को बने हुए चार महीने होने जा रहे हैं, माननीय पंत जी ने धारा 243 की जो बात कही। उसके तहत पंचायतों का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता, पाँच वर्ष के बाद जिस समय पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाया गया उस समय आपकी ही सरकार थी। संविधान की धारा 243 (ग) में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष लागू होने के बाद उसका कार्यकाल बढ़ाया जाए उसके बावजूद भी पंचायतों के चुनाव नहीं करवाये गये और कहा कि विधान सभा के चुनावों के कारण इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। पिछली सरकार को पंचायत चुनावों में जाने का साहस नहीं था इसलिए पंचायतों के चुनाव आगे बढ़ा दिये।

मान्यवर, हमारी सरकार की मंशा शुरू से ही यह रही है कि पंचायतों के चुनाव होने चाहिए। लेकिन जो परिस्थितियाँ पिछली सरकार ने हमारे सामने खड़ी कर दी, उन विकट परिस्थितियों में चुनाव में जाना हमें उचित प्रतीत नहीं हुआ। आपने संविधान के अनुच्छेद 40 और 243 के बारे में कहा, हम भी चाहते हैं कि संविधान की इन धाराओं का अनुपालन हो और पंचायतों को और अधिक सुदृढ़ किया जाए। मान्यवर, जो 74वां संशोधन हुआ है, उसका श्रेय हम स्व० राजीव गांधी जी को देना चाहते हैं, उन्होंने पंचायतों को एक नई दिशा दी और उस नई दिशा के तहत दलितों, पीड़ितों और महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने की बात कही गयी। मान्यवर, हम तो चुनाव में जाना चाहते हैं, लेकिन परिसीमन की जो व्यवस्था पिछली सरकार में की गयी, क्या उस व्यवस्था के अनुरूप हम चुनाव में जा सकते हैं ? आपने जो परिसीमन इस उत्तरांचल राज्य में पंचायतों का किया, चाहे क्षेत्र पंचायतें हों, या जिला पंचायतें, वह सही नहीं है। मैं तो यह समझता था कि केवल माननीय कण्डारी जी ही पंचायतों से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि माननीय प्रकाश पंत जी भी पंचायतों से जुड़े हैं। लेकिन क्या आपने परिसीमन को देखा, जिला पंचायत के क्षेत्र का जो परिसीमन आपकी सरकार ने किया, वह विधान सभा क्षेत्र के बराबर है। अलग राज्य बनाने का उद्देश्य यह था कि छोटी इकाइयाँ होनी चाहिए, छोटी जिला पंचायतें होनी चाहिए। 21 विधायकों को 70 विधायकों में परिणत कर दिया लेकिन पंचायतों के सम्बन्ध में 1996 में जो व्यवस्था थी, उसको लागू न करके, इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में न रखते हुए जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का जो परिसीमन किया, निश्चित रूप से यही वह कारण है, जिसकी वजह से हम चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। पंचायत चुनावों के प्रति हम बहुत गम्भीर हैं और त्रिस्तरीय पंचायतीराज संशोधन विधेयक, 2002 लाकर हमने अपनी मंशा साफ कर दी है। यह कदम है, उस क्षेत्र में जिससे हम शीघ्र चुनाव करा सकते हैं।

मैं समझता था कि इसमें आप हमारा सहयोग करेंगे। क्योंकि जब मैं सदन में आया तो मैंने देखा कि आपने कभी प्रश्नों के माध्यम से तो कभी नियम 56 के माध्यम से पंचायतों का विषय इस सदन में उठाया।

मान्यवर, मैं समझता था कि जब विधेयक रखा था, आप इस पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से कोई न कोई परिणाम आएगा, परन्तु आपने सदन का बहिर्गमन कर दिया। और अब संकल्प के माध्यम से सदन में चाहते हैं कि आपकी बात को स्वीकार कर लिया जाए। श्रीमन् मैं तो पंत जी से फिर कहना चाहता हूँ कि जो संकल्प आपने यहाँ पर रखा है, आप सच्चे मन से पंचायतों के प्रति निष्ठा रखते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकार की नियत पर शक मत करिए। इतने कम समय में सरकार पंचायतों के लिए कार्य कर रही है। हम निश्चित रूप से जो अगला पंचायत चुनाव कराने जा रहे हैं। पंचायतीराज अधिनियम उत्तरांचल की भावनाओं के अनुरूप ही बनाया जाएगा, इस ओर भी कार्य चल रहा है। ताकि हम उत्तरांचल की जन भावनाओं के अनुरूप परिसीमन कर, चुनाव करा सकें।

आपने गाँधी जी के ग्राम स्वराज की बात दोहराई मुझे बहुत खुशी हुई कि आप बार–बार गाँधी जी की बात करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज बड़ी खुशी है कि उस तरफ बैठे हुए लोग भी गाँधी जी के सपने की बात करते हैं। मैं तो पंत जी से निवेदन करना चाहता चाहता हूँ कि आपने जो संकल्प रखा है उसे वापस लेकर सरकार के कार्य में सहयोग दें।

शहरी विकास मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में नगर निकाय का भी जिक्र किया है। मान्यवर, मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् में सौभाग्य मिला है पंचायतों के और नगर पंचायतों के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के इतिहास में तीसरे नं0 के एक किसी विधेयक पर जितने संशोधन पेश हुए हों उसमें अगर आप संशोधनों की गिनती करें तो तीसरा नं0 था हमारा, जब हमने उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज एक्ट का और उत्तर प्रदेश नगरपालिका के जो संशोधन उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किये थे उसमें जब मैंने संशोधन पेश किया, यह सौभाग्य भी मुझे प्राप्त है कि हमने इस लड़ाई को उस दम तक लड़ा जहाँ तक पार्लियामेन्ट्री शक्ति हमें परमिशन देती थी। यह हमारे नेता राजीव गाँधी जी का सपना था जिसे हम कांस्टीट्यूशन के अन्दर देख रहे हैं, यह हमारे राष्ट्र–पिता का सपना था जिसमें राम–राज्य की परिकल्पना को, इन पंचायतों के अन्दर देखा था, उनके सुगठन के अन्दर देखा था। यह वह भारतवर्ष है मान्यवर, जिन्हें हम "कुल" के नाम से जानते हैं। मान्यवर, यह चाणक्य और कौटिल्य की भूमि है जिसने अपने अर्थ शास्त्र में इसे परिलक्षित किया। जब ये संशोधन लागू हुए जून, 1993 में, वह हमारा कौन सा भाग्य था कि ऐसे लोग बैठे थे सत्ता में, जिन्होंने इस लोकतंत्र की इस मूलभूत इकाई को कमजोर करने में कोई भी कोर–कसर नहीं छोड़ी।

मान्यवर, जो कुछ कहा जा रहा है वह सिर्फ लिप सिम्पेथी है उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक ने हमें शक्ति दी है। पंचायतीराज और नगर निकायों में वह परिवर्तन करना आवश्यक है जो हमारी सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप हो। जब लम्बे समय तक यह परिवर्तन नहीं हुए तब संविधान का वह संकट पैदा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब अवधि समाप्त होने के समय तक भी पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव नहीं कराये गये यह कि जब हम चुनाव कराना चाहते थे तब विधान सभा चुनाव की घोषणा हो गई, उसके पहले पर्याप्त समय नहीं मिला था, यह गलत है। मान्यवर, उससे पहले पर्याप्त समय था। मान्यवर, हमने पारदर्शिता की नीति अपनाई है। जितने माननीय विधान सभा सदस्य हैं उनसे हमने इस सम्बन्ध में सुझाव मांगे हैं। हमने यह प्रयास भी किया कि हम कुछ सदस्यों से गहन विचार-विमर्श के लिए बैठें और उसके माध्यम से हम वो चीजें सामने रखें जो हम करना चाहते हैं। हमने हर नगर-पालिका में एक दिन तय किया है और उस दिन वे व्यक्ति जो इस क्षेत्र में रूचि रखते हों, अपने सुझाव दे सकते हैं। माननीय पंत जी का संकल्प जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। मान्यवर, विधियों में परिवर्तन आवश्यकताओं के अनुरूप हमेशा होते रहते हैं। निश्चित रूप से आज हमारे सामने चुनौती है कि हम जल्दी से जल्दी इन चुनावों को करा लें और चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता सौंप दें।

चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाना संविधान के विरुद्ध होगा। हमारा दृढ़ संकल्प है कि 8 जुलाई को माननीय उच्चतम न्यायालय जब अपनी पहली बैठक करेगा तो हम अपना प्रस्ताव उसके सामने रखेंगे। इसलिए आज जो संकल्प लाया गया है यह बेमानी है।

(कई माननीय सदस्यों ने एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, बेईमानी शब्द असंसदीय है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने बेमानी शब्द का प्रयोग किया है। जो असंसदीय नहीं है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मेरा माननीय पंत जी से अनुरोध है कि वह अपने संकल्प को वापस ले लें। हर व्यक्ति की यह जिम्मेदारी है कि उत्तरांचल की पंचायत राज व्यवस्था हमारी समाजिक, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरुप हो। जब स्व0 राजीव गाँधी जी ने संविधान में संशोधन करवाया था तो उनकी चिन्ता उन शहरों के प्रति ज्यादा थी जो एक गाँव से शहरों के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं।

यह गम्भीर विषय है। हमने पूरी पारदर्शिता रखने की कोशिश की है। हर तरह से, हर क्षेत्र के विशेषज्ञों, जन प्रतिनिधियों विधि के जाने वाले लोगों, और एडमिनेस्ट्रेशन के जानने वाले लोगों के साथ लम्बा विचार विमर्श किया है और वह विचार विमर्श आज भी चालू है। वह तिथि भी हमने बता दी कि जब म्यूनिसपल रिफार्म और एलेक्ट्रोरल रिफार्मस को हम माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे उन्होंने हमें एक विशेष अनुमति दी है। हरिद्वार के केस में एडमिनिस्ट्रेटर बैठाने के लिए और उसके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए जो मुकदमा न्यायालय में लम्बित पड़ा है उसके लिए सरकार को अनुरोध करना पड़ा। नया राज्य बनाने का अधिकार उसकी सामाजिक परिस्थितियों और जन–भावनाओं के आधार पर हम इसे परिवर्तित करें और एक समयबद्ध कार्यक्रम दें। मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि 8 जुलाई को चाहे हमें कितनी ही मेहनत करनी पड़े हम इसे पूरा करेंगे और हम जो नगर निकाय एक्ट लाएंगे वह एक्ट उत्तरांचल के अधिकारों की रक्षा करने वाला होगा, विकास करने वाला होगा और नगर निकाय की इकाइयों की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति बनाने वाला होगा। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसकी इस समय अवश्यकता नहीं है। सरकार पूरी तरह से आवश्यक संशोधन करके शीघ्र चुनाव करायेगी इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध भी हैं।

श्री अध्यक्ष–

श्री पंत जी आपकी बात आ गयी है।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज हमारा दल और हमारे अन्य विपक्षी भाइयों ने सदन से बहिर्गमन किया उस बहिर्गमन के पीछे क्या कारण था। हम स्वयं चाह रहे थे कि उस पर बहस हो उसमें संशोधन करें क्योंकि पंचायतों के परिसीमन की बात थी। चूँकि आधे घन्टे पूर्व ही यह अधिनियम हमारे सम्मुख रखा जाता है और आधे घन्टे में हमसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। आपकी आड़ लेकर सत्तापक्ष ने उसे पास करा लिया।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, यह तो पीठ पर आरोप है। इसे कार्यवाही से निकाल दें।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, हम तो पीठ का सम्मान करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पंत जी, यह तो पीठ पर आरोप है और आक्षेप भी है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, ठीक है मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। मान्यवर, पीठ से जो भी व्यवस्था दी जाती है उसे हम शिरोधार्य करते हैं।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। ऐसा है कि कई बार कम से कम आप अपने वक्तव्य को देखें इससे पहले भी पीठ ने निर्देश दिया कि हम नियमों को शिथिल करते हुए इसे ले रहे हैं। आक्षेप की परिभाषा क्या होती है। पार्लियामेन्टरी प्रोसिजर में इसका उल्लेख है। जब कभी आगे सदन आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। इससे पहले भी कई बार कहा गया आप कार्यवाही का हिस्सा देख लें। पीठ ने निर्देश दिया किन्हीं परिस्थितियों में आपके गले नहीं उतरा तो आपने अपनी बात कह दी। पीठ सर्वोच्च है।

मान्यवर, आप अपनी बात कह रहे हैं, उस पर सरकार जवाब देगी।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने आरोप लगाया इसलिए हमको उत्तर देना जरूरी था। मान्यवर, हमें इसलिए बहिर्गमन करना पड़ा क्योंकि हम चाहते थे कि उसमें चर्चा हो, पर मुझे अवसर नहीं दिया इसलिए मुझे बहिर्गमन करना पड़ा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम के तहत परिसीमन हुआ था, इसके बाद उत्तरांचल राज्य की अंतरिम सरकार में कार्यवाही हुई, लेकिन वह कार्यवाही किसी संशोधन के तहत नहीं रखी गयी, उसका परिसीमन केवल कागजों तक ही सीमित था। सरकार चाहती तो जिस तरह से संशोधन विधेयक लायी है उसी तरह से पहली विधान सभा सत्र में लाया जा सकता था। मान्यवर, इसका कार्यकाल 5 वर्ष पहले समाप्त हो गया और मान्यवर, 5 वर्ष का कार्यकाल दिसम्बर माह में समाप्त हुआ और जनवरी माह में चुनाव होने चाहिए थे और तब कहा गया कि विधान सभा के चुनाव सम्भावित हैं इसलिए चुनाव नहीं हो सकता है। मान्यवर, इसलिए पंचायतीराज के अनुसार उत्तर प्रदेश अधिनियम 12 के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई कि उसे निर्वाचन कमेटियों को सौंप दिया जाये। मान्यवर, उसे अध्यादेश के माध्यम से लाया गया और वह वैधानिक रूप से किया गया। फिर उसका कार्यकाल मई माह में समाप्त होना था और मई माह तक चुनाव हो जाना चाहिए था। मान्यवर, मैंने कहा था कि इस विधेयक में प्राविधान है कि 6 महीने से ज्यादा कार्यकाल नहीं हो सकता है लेकिन, पता नहीं किस सलाह पर सरकार अध्यादेश के माध्यम से विधेयक ले आई कि इसका समय और बढ़ा दिया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर किसी पंचायत का कार्यकाल 5 साल पूरा हो जाएगा तो पंचायत का गठन करने के लिए इस खण्ड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक है। यह संविधान के 243–ड में है। मान्यवर, पंचायतों का कार्यकाल पिछली सरकार में ही दिसम्बर माह में समाप्त हो गया था यह पिछली सरकार की जिम्मेदारी थी कि दिसम्बर माह तक चुनाव करा देती।

मान्यवर, मैं जो भी संवैधानिक है (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी केवल पिछली सरकार का रोना रो रहे हैं, पिछली सरकार ने ये नहीं किया वो नहीं किया। आपने क्या योजना बनायी है, उसका उल्लेख करें।

श्री प्रीतम सिंह–

श्रीमन्, मैं नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करूँगा यदि आप ऐसा आचरण चाहते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है, यदि आपके माननीय सदस्य भी बात–बात पर सत्तापक्ष ने ये नहीं किया...... (व्यवधान)

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यदि आपको ऐसा लगता है तो आप हमें बता दीजिए। मान्यवर, यह पहला विपक्ष होगा जिसमें माननीय काशी सिंह ऐरी तथा माननीय नेता नारायण पाल... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सरकार पंचायतों के प्रति गम्भीर है। हम चुनाव कराना चाहते हैं, इसमें कोई संदेह प्रतिपक्ष को नहीं होना चाहिए। मान्यवर, आपने जो परिसीमन किया है वह सही नहीं है। जहाँ भी मैं गया लोगों ने ऐसी ही बात हमसे कही, उस पक्ष के कई साथियों ने भी हमसे यह बात कही। मान्यवर, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ।

मान्यवर, यह परिस्थिति हमारे सामने रही इसलिए चुनाव में विलम्ब हुआ, जो आप सुझाव देंगे निश्चित रूप से उन्हें रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल में पंचायतों, नगरपालिकाओं तथा महानगर क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 40 तथा संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के अनुरुप अनुच्छेद 243 (क) से 243 (य)(च) के प्राविधानों के अनुसार इसी सत्र में विधि बना लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

सबके लिए शिक्षा योजना की भाँति प्रदेश में सबके लिए स्वास्थ्य योजना बनाकर प्रदेश के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में (संकल्प)

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि सबके लिए शिक्षा योजना की भाँति प्रदेश में सबके लिए स्वास्थ्य योजना

बनाकर प्रदेश के दूरस्थ एवं अरोचित क्षेत्रों को भी स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने हेतु तुरन्त कदम उठाये जायं।"

मान्यवर, हम इस संकल्प को इन परिस्थितियों के कारण लाये हैं कि प्रदेश में स्वास्थ्य की स्थिति बहुत चिन्तनीय है, यह अच्छी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में पूरा विश्व जागरुक है। बड़ी–बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें चाहे उनके कोई भी स्रोत हों, सर्व शिक्षा के लिए तत्पर हैं। हमारे प्रदेश में चल रहा है, ठीक चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम उस गति तक नहीं पहुँच पाये हैं जो हम शिक्षा के क्षेत्र में कर पाये हैं। स्वास्थ्य की सुविधायें इस प्रदेश में पहले से कम थी। हमको उत्तर प्रदेश में रहते हुए स्टेट एलोपैथिक के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रूप में थोड़ा मानक कम करते हुए भारत के योजना आयोग ने छूट दी थी। आज हमारा अलग उत्तरांचल बन गया है उसके लिए नई डिस्पेन्सरीज खोलने का कोटा पूरा हो गया और योजना आयोग ने डिस्पेन्सरी खोलने की अनुमति नहीं दी। दूसरी ओर हमारे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं।

मान्यवर, संख्याओं की बात करेंगे तो संख्या अस्पतालों की ठीक–ठाक है, लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति है तथा जो पर्वतीय क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व है अगर आप उसको देखेंगे तो आप भी महसूस करेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं का पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत अभाव है। आप भी बहुत दूर क्षेत्र से चुनकर यहाँ पर आये हैं दूरस्थ क्षेत्रों में वहाँ के निवासियों को बहुत दूर जाकर के थोड़ी बहुत स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। वह भी अपूर्ण हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन पर भी कटौती की जा रही है निरन्तर कटौती हो रही है उनको भी व्यवस्थित करने की स्थित में हम नहीं हैं। चिकित्सकों का अभाव है जैसा कि मुझे बताया गया 430 चिकित्सकों की नियुक्ति की जा रही है तो आज की तिथि में 430 चिकित्सक नहीं हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से ही बेकार हैं। ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश की जो जनता है वह अपना स्वास्थ्य कैसे ठीक रख पायेगी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वह भी काफी महँगी हैं। मान्यवर, यह विचारणीय प्रश्न है। हमारे संविधान के नीति निर्देश तत्वों में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सर्वाधिक बल दिया गया है। किन्तु हमारी सरकार स्वास्थ्य के प्रति कुछ करती नजर नहीं आ रही है। इसलिए सदन में हमको यह संकल्प लाना पड़ा ताकि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। यह संकल्प सदन में अवश्य पारित होगा। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हम बाहर से भी मदद लें। मैं समझता हूँ अगर सदन यह अभिमत व्यक्त करें कि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की योजना लागू करेंगे तभी हमारे नेता सदन को ताकत मिलेगी। माननीय नेता सदन काफी अनुभवी हैं वे बाहर से भी फाइनेन्शियल मदद ला सकते हैं इस राज्य के लिए, वे इस सम्बन्ध में बेहतर जानते हैं लेकिन इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी यह जरूरी होगा कि हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं दृढ संकल्प के साथ इस संकल्प को पारित करें।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तरांचल राज्य के सामान्य सूचकांक की स्थिति सरकार द्वारा जो राष्ट्र में तुलनात्मक रूप में संतोषजनक

बताया जाना, जहाँ अपने आप में हास्यास्पद है, वहीं, यदि गहराई में जाएं, जैसा कि बजट भाषण में भी अंकित है, सम्पूर्ण शिशु प्रतिरक्षण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, सुरक्षित प्रसव, जन स्वास्थ्य संस्थाओं के उपयोग आदि में सुधार की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के दूर–दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायतों में जो ए0एन0एम0 सेन्टरों में नियुक्ति होती हैं, वह संविदा के आधार पर न होकर स्थायी नियुक्ति दी जानी चाहिए ताकि सुरक्षित प्रसव की सुविधा का लाभ आम जनता को मिल सके।

मान्यवर, मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और आयुर्वैदिक चिकित्सालयों के बारे में कहना चाहता हूँ। उत्तरकाशी में प्राथमिक चिकित्सालयों और आयुर्वैदिक चिकित्सालयों की हालत बहुत बदतर है। वहाँ पर दूर–दूराज के क्षेत्रों में जो ए0एन0एम0 सेन्टर हैं, उनमें न कोई सुविधा उपलब्ध है और न ही कोई चिकित्सक वहाँ पर तैनात हैं। प्रत्येक स्वास्थ्य कर्मचारी सुविधाजनक स्थान पर आना चाहता है और पदाधिकारियों की मिल भगत से उनको सुविधाजनक क्षेत्रों में रखा गया है। जनपद उत्तरकाशी के 3 चिकित्सक जनपद देहरादून और हरिद्वार में नियुक्त हैं, इनमें से कुछ तो पद सहित स्थानान्तरित होकर यहाँ पर आ गए हैं और कुछ अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर हैं। इस कारण उत्तरकाशी में चिकित्सकों की बेहद कमी है। इस ओर भी ध्यान देना चाहिए और जिन लोगों का इसमें हाथ है, उनको दण्डित किया जाना चाहिए और उन चिकित्सकों को उनके निर्धारित स्थान पर वापस भेजना चाहिए।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, स्वास्थ्य की बात चल रही है। हमारा विधान सभा परिसर उत्तर प्रदेश के विधान सभा परिसर की ही तरह हो गया है। प्रत्येक सीढ़ी में थूकदान बने हुए हैं। जगह–जगह पर गन्दगी पड़ी हुई है। और बीड़ी–सिगरेट पीते हुए लोग दिखाई देते हैं। मैं कहना चहता हूँ, माननीय नेता सदन भी यहाँ पर मौजूद हैं, विधान सभा परिसर में पान, बीड़ी, सिगरेट और पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए।

राज्य मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

मान्यवर, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से उत्तरांचल के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों में प्रति जनपद में 1600 आउटरीच सेशन किये जायेंगे जिसमें गर्भवती माताओं की देखभाल, शिशुओं का सम्पूर्ण प्रतिरक्षण, सीमित परिवार की अवधारणा सेवायें, अल्प रक्तता बचाव हेतु उपचार, डीसेन्ट्री से पीड़ित रोगियों को उपचार दिया जा रहा है।

जिन ग्राम सभाओं में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की कोई स्थाई इकाई स्थापित नहीं हैं, उन ग्राम सभाओं में बाल विकास परियोजना के अन्तर्गत 1869 आंगनबाड़ी केन्द्रों द्वारा न्यूनतम स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ करने के लिए 370 अतिरिक्त ए0एन0एम0 की तैनाती की स्वीकृति दे दी गयी है। जिसमें से 211 की तैनाती की जा चुकी हैं। शेष की तैनाती की कार्यवाही चल रही है।

दूरस्थ असेवित क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित प्रसव की सुविधा प्रदान करने हेतु अप्रशिक्षित दाईयों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जिसमें 900 दाईयों को प्रशिक्षण दिये जाने की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से 672 को सेवा प्रदान की गयी हैं इसके अतिरिक्त दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में उप केन्द्रों के माध्यम से भी प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (सुरक्षित मातृत्व, शिशु कल्याण, परिवार कल्याण, यौन जनित रोग एवं प्रजनन तंत्र का संक्रमण) की सेवायें 1525 उप केन्द्रों के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 325 राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों द्वारा चिकित्सा उपचार प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालयों से सम्बन्धित पैथी द्वारा चिकित्सा उपचार की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करने की कार्यवाही पूर्व से ही की जा रही है। अतः मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि आप अपने संकल्प को वापस लेने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन संकल्प व्यक्त करता है कि सबके लिए शिक्षा योजना की भाँति प्रदेश में सबके लिए स्वास्थ्य योजना बनाकर प्रदेश के दूरस्थ एवं असेवित क्षेत्रों को भी स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान कराने हेतु तुरन्त कदम उठाये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

कैलाश मानसरोवर यात्रा को धार्मिक यात्रा घोषित कर यात्रियों को यात्रा हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं तथा सम्पूर्ण पैदल यात्रा मार्ग को विकसित किया जाय, पर प्रस्तुत संकल्प

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रतिवर्ष होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा को धार्मिक यात्रा घोषित कर यात्रियों को यात्रा हेतु सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायें तथा सम्पूर्ण पैदल यात्रा मार्ग को तीर्थ यात्रा मार्ग के रूप में विकसित किया जाए।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

उत्तरांचल राज्य में सामान्य जाति के नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाय, पर प्रस्तुत संकल्प

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य में सामान्य जाति के नागरिकों को भी सरकारी सेवाओं में आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

हरिद्वार में करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केन्द्र "हरि–की–पैड़ी" गंगा तट को पूर्णतया प्रदूषण से मुक्त रखा जाय, पर प्रस्तुत संकल्प

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि हरिद्वार में करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केन्द्र "हरि–की–पैड़ी" गंगा तट को पूर्णतया प्रदूषण से मुक्त रखा जाए।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

जनपद अल्मोड़ा में छावनी परिषद्, रानीखेत के नागरिक क्षेत्र (सिविल एरिया) को नगरपालिका बनाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय, पर प्रस्तुत संकल्प

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद अल्मोड़ा में छावनी परिषद्, रानीखेत के नागरिक क्षेत्र (सिविल एरिया) को नगरपालिका बनाने हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

पौड़ी गढ़वाल की चार पट्टियों विचलाढांगू, मल्लाढांगू (द्वारीखाल) और तल्लाढांगू व मल्ला उदयपुर (यमकेश्वर) को मिलाकर अलग विकास खण्ड जाखणीखाल बनाया जाए, पर प्रस्तुत संकल्प

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करती हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि विधान सभा क्षेत्र, यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल की चार पट्टियों विचलाढांगू, मल्लाढांगू (द्वारीखाल) और तल्लाढांगू व मल्ला उदयपुर (यमकेश्वर) को मिलाकर अलग विकास खण्ड जाखणीखाल बनाया जाय।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

(मोबाइल फोन की ध्वनि सुनाई पड़ी)

उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस करने के सम्बन्ध में, नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल की कानून व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उत्तरांचल पुलिस को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाय।"

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 51 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई है : श्री प्रीतम सिंह पंवार, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री प्रकाश पंत, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री तसलीम अहमद, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री हरबंस कपूर, श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत। चूँकि आज सत्र का अन्तिम दिन है, इसलिए इस पर वक्तव्य नहीं हो पायेगा फिर भी उक्त सूचनाओं में से श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन", श्री प्रकाश पंत, श्रीमती विजय बड़थ्वाल की सूचनाओं के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

जनपद देहरादून में कोटी में अरबों रुपयों की लागत से बने सिंचाई विभाग के भवनों की दुर्दशा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री हरबंस कपूर, सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[यमुना जल विद्युत परियोजना के चरण–2 भाग–1 के अन्तर्गत इच्छाड़ी बाँध छिबरों विद्युत गृह का निर्माण वर्ष 1966 के प्रारम्भ किया गया था, जिसका निर्माण कार्य वर्ष 1975 में पूर्ण हो गया था एवं तभी से विद्युत उत्पादन प्रारम्भ हो गया था। परियोजना हेतु हरिपुर से 27 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम कोटी के समीप सिंचाई विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोटी कालोनी का निर्माण कराया गया था। इच्छाड़ी बाँध तथा छिबरों विद्युत गृह के संचालन एवं रखरखाव हेतु सिंचाई व जल विद्युत निगम के कार्मिक इस परियोजना में कार्यरत हैं तथा इस कालोनी में रह रहे हैं। कालोनी में कार्मिकों की सुविधा हेतु बैंक, टेलीफोन विभाग तथा स्कूल आदि की व्यवस्था तथा उनके स्टाफ के आवास हेतु भी व्यवस्था की गई है। तदनुसार इस कालोनी का उपयोग इन सुविधाओं तथा इस हेतु तैनात कार्मिकों के लिए

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

भी किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 259 आवासों में से 198 आवासों का उपयोग किया जा रहा है एवं केवल 61 आवास रिक्त हैं। इन रिक्त आवासों को अन्य विभागों की मांग होने पर उन्हें अस्थाई तौर पर दिये जाने पर विचार किया जा सकता है। कालोनी के रखरखाव के साथ कालोनी के अध्यासियों को पेयजल, विद्युत आपूर्ति, दूर संचार, पोस्ट ऑफिस, बैंक तथा चिकित्सा आदि मूलभूत सुविधायें लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं। कालोनी के नियमित रखरखाव कार्य नियमानुसार किये जा रहे हैं। इस कालोनी का उपयोग किशाऊ बाँध के निर्माण के समय भी किया जायेगा।]

उत्तरांचल राज्य लोक सेवा आयोग में परीक्षा नियंत्रक की स्थायी नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 नारायण सिंह जंतवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा, दी गई नियम 51 के अन्तर्गत सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं लोक निर्माण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[उत्तरांचल लोक सेवा आयोग की स्थापना 25 मार्च, 2001 को हुई है। लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से अध्यक्ष तथा 3 सदस्यों द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद से विकल्प के आधार पर 12 कर्मचारियों द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल में माह नवम्बर, 2001 में योगदान दिया गया है। लोक सेवा आयोग में सचिव पद पर एवं विशेष कार्याधिकारी के पद पर अधिकारी की तैनाती की गई है। परीक्षा नियंत्रक के पद के लिए उत्तरांचल में पी0सी0एस0 सेवा संवर्ग के पर्याप्त संख्या में अधिकारियों की उपलब्धता न होने के कारण वर्तमान में हरिद्वार जिले के अपर जिलाधिकारी को परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। प्रयास किया जा रहा है कि परीक्षा नियंत्रक के पद पर पूर्णकालिक अधिकारी की तैनाती कर दी जाय। कार्य संचालन के लिए विभिन्न कार्यालयों से लोक सेवा आयोग को कर्मचारी सम्बद्ध करके उपलब्ध कराये गये हैं। अनु सचिव, अनुभाग अधिकारी, प्रवर वर्ग सहायक एवं अवर वर्ग सहायक आदि पदों पर व्यवस्थायें लोक सेवा आयोग उत्तरांचल को स्वयं करनी हैं। आयोग को सुझाव दिया गया है कि प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी/कर्मचारी तैनाती के लिए प्रस्ताव प्राप्त करें। लोक सेवा आयोग, उत्तरांचल को परीक्षाएं संचालित कराने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करने में शासन द्वारा अपने स्तर से सभी सम्भव सहयोग प्रदान किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्साधिकारियों व न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियों के विरुद्ध आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किये जा चुके हैं।

जहाँ तक पी0सी0एस0 सेवाओं में उत्तरांचल के मूल निवासियों के लिए आरक्षण हिमाचल प्रदेश की भांति रखे जाने का प्रश्न है केवल मूल निवासियों के लिए आरक्षण का प्रतिशत रखा जाना विधिक रूप से सम्भव नहीं है। उत्तरांचल में सभी सेवाओं के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमशः 19%, 4% तथा 14% निर्धारित किया गया है।]

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

माननीय सदस्यों के उद्गार

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

श्रीमन्, मैं किन शब्दों में इस परम् सम्मानित सदन के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करूँ। संवैधानिक तरीके से इस सत्र में आपने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए योगदान दिया और यदि कहीं पर कोई कठिनाई भी आई तो उसका शमन भी किया। पार्लियामेन्ट्री पद्धति को निभाने के लिए हम सबको ऐसे प्रकरणों में बहुत सावधानी से इस प्रकार से निरन्तर प्रयास करना है जिससे पार्लियामेन्ट्री जनतंत्र में, चूँकि हम भारत के अभिन्न अंग होते हुए, जो हमारे दायित्व हैं, हमें उनका पालन करना चाहिए, इससे सारे देश की छवि पर असर पड़ता है। यह हम सभी जानते हैं। जिस तरह से आप लोगों ने मनोयोग के साथ योगदान दिया है, मैं सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने यहाँ सबसे बड़ी बात यह देखी कि प्रत्येक सदस्य हर समय उपस्थित रहता है और जागरूक रहता है, प्रत्येक सदस्य को सावधानी से सुना जाता है। यह भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। बहुत से ऐसे सदनों को मैंने देखा है जहाँ दिन भर बैठने के लिए लोगों के पास समय नहीं रहता है। 95 प्रतिशत औसत यहाँ पर सदस्य बैठे रहे और अपना योगदान दिया। मुझे विश्वास है कि पार्लियामेन्ट्री इतिहास जो यहाँ पर शुरू हुआ है यह शुभ संकेत है। भविष्य में हम इन परम्पराओं को बनाये रखेंगे। माननीय नेता विरोधी दल, नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मंत्रि परिषद् के सहयोगी और सम्मानित सदस्यों को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ, फिर जल्दी ही मिलेंगे। मान्यवर, मैं आपके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ।

यह मुस्कराहट भी पार्लियामेन्ट्री पद्धति को मजबूत करती है और योगदान भी देती है साथ ही अशांति के क्षण में शांति प्रदान करती है। साथ ही साथ विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में इस दफा अग्निकाण्ड की वजह से रात दिन मेहनत करके इस सदन को आगे चलने में अपना योगदान दिया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री भगत सिंह कोश्यारी)–

मान्यवर, इस विधान सभा के सत्र में बजट जैसे महत्वपूर्ण कार्य का सम्पादन हुआ। एक दो विधेयक भी पारित हुए। इस बीच दुर्भाग्य पूर्ण तरीके से अग्निकाड हो गया, इस कारण सम्भवतः हमारे अनेक माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करते अनेक विषयों पर, विभागों पर और माननीय मंत्रीगण उसका उत्तर देते उनसे वह वंचित रहे। इस सत्र के दौरान रात के 11:15 बजे तक आप पीठासीन रहे। भगीरथ की तरह पीठासीन रहे। हम लोग तो आते जाते रहे परन्तु आप साधनामय तरीके से, श्री प्रकाश पंत जी भी जब इस पीठ पर थे तो वह भी इसी प्रकार लम्बे समय तक बैठे रहते थे, बैठे रहे। सबको सुना कभी–कभी निराशा वाली बातें भी होती हैं परन्तु आपका एक लम्बे समय तक बैठा रहना ही आपकी तपस्या का फल है। बहुत सारे नये सदस्य हैं पुराने भी हैं। हमारे जो विपक्ष के नेतागण हैं भाजपा के बाद बसपा सबसे बड़ा दल है उसके सम्मानित नेता नारायण पाल जी पहली बार विधान सभा आए। इसके बावजूद भी उन्होंने बड़ी निष्ठा के साथ न केवल विपक्ष की भूमिका अपितु सारी चर्चाओं में भाग लिया, यह एक स्वस्थ्य

परम्परा है। उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के हमारे मझे हुए नेता श्री काशी सिंह ऐरी जी ने भी अपनी भूमिका निभायी परन्तु उनमें वो धार देखने को नहीं मिली जो दिखाई देती थी। उसके साथ क्रान्ति भी शांत हो जाती है उनका मार्ग दर्शन मिला। श्री बलवीर सिंह नेगी जी ने अपना योगदान दिया। माननीय नेता सदन ने इस बार अपना जो लिखित बजट भाषण पढ़ा। वह तो एक परम्परा हैं परन्तु जो उन्होंने समापन भाषण दिया, वह हम सब लोगों के लिए और सभी माननीय सदस्यों के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा।

मान्यवर, हमारे सभी साथियों ने अपना संवैधानिक प्रयास किया है। मान्यवर, मैं दुर्भाग्यपूर्ण अवसरों पर नहीं जाना चाहता हूँ, जो हम लोगों को कहना था कहा और जो आपको कहना था, कहा। इसमें कोई आपसी मन मुटाव नहीं है। मान्यवर, इन विकट परिस्थितियों के बाद भी हम लोगों ने कार्य किया। मान्यवर, मैं सोचता हूँ कि अगला आने वाला सत्र हम सब लोग अधिक आपसी सौहार्द के साथ निभा सकेंगे। हमारे विधान सभा सचिव, रिपोर्टर, मार्शल, और इसके सभी अधिकारीगण और कर्मचारीगण जिन्होंने सहयोग दिया है, इन सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और एक बार फिर मैं आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ।

श्री नारायण पाल–

मान्यवर, हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, हमारे प्रेरणा के स्रोत श्री कोश्यारी जी, सम्मानित इन्दिरा ह्रदयेश जी, बड़े भाई ऐरी जी, और मंत्रीमण्डल के सभी मंत्रीगण, समस्त विधायकगण, हमारे विधान सभा के सचिव, श्री महेश चन्द्र जी और सभी लोग जिनकी भूमिका इस पूरे अधिवेशन में रही, मैं सभी का बड़ा आभारी हूँ। मान्यवर, मैंने सम्मानित प्रकाश पंत जी के विचार सुने, मा0 नव प्रभात जी के विचार को सुना, सभी लोगों के विचार सुने तो मुझे लगा कि हमारा जो लक्ष्य है वह अपने राज्य को समृद्ध और सम्पन्न बनाना है और जो कमी है उसे पूरा करना है।

मान्यवर, लेकिन मुझे पता लगा हमारे छोटे भाई हेमेश खर्कवाल, हमारे छोटे भाई काजी निजामुद्दीन ने जिस तरीके से अपनी समस्याओं को रखा, उससे मुझे ऐसा लगता है उत्तरांचल में हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे लोग अच्छे तरीके से अपने–अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठायेंगे, जिससे हमारा भविष्य तरक्की के रास्ते पर बढ़ेगा। मैंने स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गाँधी जी के बारे में पढ़ा, लेकिन मैं गौरवान्वित होता हूँ जब मुझे बैठने का मौका मिलता है माननीय नारायण दत्त तिवारी जी और सम्मानित भगत सिंह कोश्यारी जी के साथ तो मुझे ऐसा लगता है, ईश्वर ने हमारी सुन ली है। और हमें ऐसी जगह पहुँचाया है जहाँ पर हमने देश के लिए समाज के लिए परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो समाज में उपेक्षित है उनके लिए कुछ करना होगा। चाहे आज हम राजनैतिक हिसाब से विरोधाभास रखते हैं, भले ही हमारी नीतियाँ, सिद्धान्त अलग–अलग हों, लेकिन आपस में हमें सीखने का मौका मिलता है वह अनुकरणीय है। कुछ दिन पहले यहाँ परिसर में आग लगी थी, परन्तु आज यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कहीं आग लगी ही नहीं। इसके लिए अधिकारी, कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हमसे जो भी गलती अनजाने में हुई हों। आपसे हमने बहुत अनुभव लिया है। मै वायदा करता हूँ। रचनात्मक और प्रगतिशील विषय होंगे उन पर हमारा आपको पूरा सहयोग मिलेगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, आज बजट सत्र का अन्तिम दिन है और माननीय नेता सदन ने, माननीय प्रतिपक्ष, माननीय बहुजन समाज पार्टी ने जो अपने उद्‌गार व्यक्त किये हैं, मैं उन सब उद्‌गारों से अपने को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, राज्य बनने के बाद ये पहली चुनी हुई विधान सभा भी है और यह हमारा सबका सौभाग्य है कि आज हम इस पहली चुनी हुई विधान सभा में उन तमाम सारी चुनौतियों को लेकर पहुँचे हैं, जिन चुनौतियों का सामना आगे हमको करना है। यह हमारा सौभाग्य है कि इस पहली चुनी हुई विधान सभा में नेता सदन के रूप में हमको एक ऐसा योग्य व्यक्ति मिला।

मान्यवर, मेरा सौभाग्य है कि 5–6 साल के बीच के गैप के बाद मुझे अपने राज्य, जिसके लिए हम 22 सालों तक लड़े, उसकी पहली विधान सभा में आने का मौका मिला जैसा नेता सदन के बारे में ऐसे बहुत पुराने साथी भी आज इस विधान सभा में बैठे हैं उनके साथ भी बैठने का मौका मिला। यह भी सौभाग्य की बात है कि बहुत सारे नये साथी हैं उनके साथ भी बैठने का मौका मिला। मुझे इससे यह बड़ा सुखद अनुभव हुआ कि हमारे नये भाई जो चुन कर आये, हम समझते थे कि उन्हें सीखने में समय लगेगा लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी उसका अनुकरण किया, खास तौर से हमारी महिला सदस्यों ने अपनी कार्य कुशलता दिखायी है वह अभिभूत करने वाली है। हमारे नये सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है और उनको अपनी बात कहने का मौका दिया, यह मान्यवर आपकी सदाशयता और आपका उदार दिल और इस पीठ पर आसीन होने की काबिलियत का परिचय दिया। आप कंजूसी करते या शक्ति बरतते तो नये सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिलता। आपने ऐसी परिस्थितियों में सदन को आगे बढ़ाने का कार्य किया जब कि स्थिति विपरीत थी, आने वाले समय में ये सारी बातों को दृष्टिगत रखें तो इससे भी बेहतर वातावरण, इससे भी बेहतर विचारों के साथ और उन विचारों के साथ जिनसे हम आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकें, इन विचारों से हम प्रदेश की जनता के उस दुख दर्द को दूर कर सकें। इससे भी हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा। कभी–कभी हमारे प्रति पक्ष कहते थे कि सुधार कम हुआ है, तो आप भी 15 महीने सरकार में बैठे थे। 3 महीने इस सरकार को हो गये, हम भी विचलित हो जाते हैं कि इस सरकार की बात करें या उस सरकार के बारे में। धीरे–धीरे समय आयेगा इस सरकार का पूरा विश्लेषण होगा, आप पायेंगे कि हमारी धार प्रखर होगी। आप यहाँ बैठे हैं मगर जिम्मेदारी सब की है, भूमिका में थोड़ा फर्क है, सत्ता में बैठे हमारे साथी हैं, अपनी–अपनी भूमिका के साथ न्याय करेंगे। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता के दुख दर्द दूर करने में मदद करेंगे।

मान्यवर, मैं दिल से आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने सदन की कार्यवाही बहुत ही अच्छे तरीके से संचालित की। साथ ही आपके तमाम सहयोगी जिन्होंने सदन को संचालित करने में अपना सहयोग दिया, आपके सचिव सभी रिपोर्टर लोग, विधान सभा के सभी अधिकारी/कर्मचारी तथा सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने उत्तरदायित्व को समझा तथा अपने को इस चुनौती के लिए तैयार करते हुए इस सदन की कार्यवाही को, जिसमें व्यवधान भी आया फिर भी सुचारू रूप से सदन को चलाया, उसके लिए साधुवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय नेता सदन, माननीय

नेता प्रतिपक्ष, माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी और हमारी संसदीय कार्यमंत्री जिन्होंने सदन को चलाने में प्राणपण से मेहनत की उनको भी धन्यवाद देता हूँ और सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ और यह उम्मीद करता हूँ कि जब हम अगली बार यहाँ पर आयें, तो नये विचारों के साथ नई ऊर्जा के साथ इस सदन में आएं। इस उम्मीद के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

बजट सत्र की सन्ध्या बेला में इस सदन में उपस्थित माननीय नेता सदन श्रद्धेय तिवारी जी, सरल और सहज स्वभाव के परम आदरणीय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, मेरे अनुज ब0स0पा0 के सम्मानित नेता श्री नारायण पाल, उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के आदरणीय नेता श्री काशी सिंह ऐरी जी, माननीया परम् आरदणीय श्रीमती इन्दिरा हृदयेश जी और इस सदन के सभी आदरणीय सदस्यगण, मैं आभारी हूँ आप सभी का और हृदय से भी आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जिन परिस्थितियों में आपने मेरी कमियों की अनदेखी करते हुए भी सदन को व्यवस्थित चलाने में मुझ पर कृपा की यह मेरा सौभाग्य है। मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमारे बीच में नेता सदन जिन्हें राजनीति का और संसदीय ज्ञान का दीर्घकालिन अनुभव है और संसदीय परम्पराओं की अच्छी जानकारी है तथा जिनके मन में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कुछ करने की सोच है।

मान्यवर, जिनके मन में इस सम्पूर्ण उत्तरांचल प्रदेश को साथ लेकर चलने की मंशा है। निश्चित तौर पर मैं तमाम दलीय नेताओं का, माननीय नेता प्रतिपक्ष का और सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिनके सहयोग से मैं इस पीठ पर विराजमान हूँ। मैने कोशिश की, जैसा कि मेरा दायित्व है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सदन का संचालन करूँ। आज माननीय तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और मुझे विश्वास है कि उनके मार्ग दर्शन में यह प्रदेश चहुँमुखी विकास करेगा। नेता प्रतिपक्ष माननीय कोश्यारी जी का भी मार्ग दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। सदन के अन्दर और सदन के बाहर भी एक अनुज के रूप में मुझे आपने दिशा निर्देश दिया। चाहे प्रकाश पंत जी हों, चाहे अजय भट्ट जी हों, चाहे काशी सिंह ऐरी जी हों, सबका सहयोग मुझे प्राप्त हुआ और सबने मेरे प्रति सदाशयता दिखाई है। आप सबसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और जैसा मैंने पहले भी कहा, पिछले सत्र में और इस सत्र में भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने मर्यादित ढंग से अपने प्रश्नों को उठाया और अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहाँ पर उठाया। मैं समझता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर एक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस अवसर पर मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ। आपने जो सहयोग अभी तक मुझे दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी रूप में मुझे आपका सहयोग मिलता रहेगा। इस अवसर पर मैं, जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने रात के 12:00, 1:00 बजे तक रूक कर यहाँ पर काम किया, चाहे हमारे सचिव हों, चाहे अन्य अधिकारी और कर्मचारी हों, चाहे रिपोर्टर हों, चाहे पत्रकार हों, सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, सुरक्षा कर्मियों और पुलिस कर्मियों का, जिन्होंने यहाँ पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाई। मैं कहना चाहता हूँ, जैसा कि अभी माननीय नारायण पाल जी ने कहा।

जब यहाँ अग्निकांड हुआ, कारण कोई भी रहे हों उस दौर में ऐसा लगता था कि सदन चलाने में कठिनाई होगी और कोई दूसरा विकल्प तलाशना होगा और 04 दिन का समय कम था, सब कुछ जल चुका था, लॉबी जल चुकी थी। और जब यहाँ फिर से वापस आए तो लगा ही नहीं कि यहाँ पर अग्निकाण्ड हुआ, मैं उन लोगों को भी पी०डब्ल्यू०डी० के इन्जीनियर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आप सबका, नेता प्रतिपक्ष, माननीय तिवारी जी और वरिष्ठ साथियों का मुझे सहयोग मिलेगा तथा मैं फिर से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने हेतु प्रस्ताव लायें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाए।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

अब हम राष्ट्र–गान के लिए खड़े होते हैं।

राष्ट्र–गान

जन–गण–मन अधिनायक जय हे।
भारत–भाग्य विधाता।।
पंजाब–सिंधु–गुजरात–मराठा।
द्राविड़–उत्कल बंग।।
विन्ध्य–हिमाचल–यमुना–गंगा।
उच्छल–जलधि–तरंग।।
तव शुभ नामे जागे।
तव शुभ आशिष मांगे।।
गाहे तव जय गाथा।
जन–गण–मंगलदायक जय हे।
भारत–भाग्य–विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे।
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष--

अब यह सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 50 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया)

महेश चन्द्र

सचिव, विधान सभा,

उत्तरांचल।

देहरादून,

दिनांक 14 जून, 2002

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 विधान सभा / 190–2–8–2003–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / ऑफसेट)।